هندي أركان الإسلام والإيمان

इस्लाम और ईमान के स्तंभ

कुरआन व सुन्नत से संकलित

लेखक
मुहम्मद बिन जमील ज़ैनू

अनुवादक
रज़ाउर्रहमान अन्सारी

कम्पोज़िंग व सम्पादना
मक्तब दअ्वा रबवा

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 ARRIYADH 11457
TEL 4454900 – 4916065 FAX 4970126
-e-mail:rabwah@islamhouse.com

विषय सूची

विषय पृष्ठ

بسم الله الرحمن الرحيم

इस्लाम के अरकान

जिस तरह किसी भी इमारत को क़ायम रखने के लिए बुनयादों और स्तंभों की आवश्यकता होती है ऐसे ही इस्लाम के कुछ स्तंभ और बुनयादें हैं जिन पर इस्लाम की इमारत क़ायम है। इनको इस्लाम के अरकान का नाम दिया जाता है। अल्लाह के रसूल ﷺ ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है:

१- गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअ़बूद नहीं और मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं जिनकी अल्लाह के दीन में पैरवी करना ज़रूरी है।

२- नमाज़ क़ायम करना, यानी उसे सभी अरकान और वाजिबात के साथ ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ (तन्मयता) से अदा करना।

३- ज़कात देना, जो उस समय फ़र्ज़ होती है जब कोई ८५ ग्राम सोना या उसके बराबर नक़दी का मालिक हो जाये। उस में से साल पूरा होने के बाद २.५ प्रतिशत निकालना ज़रूरी है। और नक़दी के अलावा हर चीज़ में उसकी मात्रा तय है।

४- अल्लाह के घर का हज्ज करना, उस व्यक्ति के लिए जो वहाँ तक पहुँचने का (शारीरिक यानी बदनी और आर्थिक यानी माली) सामर्थ्य रखता हो।

५- रमज़ान के रोज़े रखना, रोज़े की नियत से खाने पीने और हर उस चीज़ से जो रोज़ा तोड़ने वाली हो, फ़ज्र से लेकर सूर्य डूबने तक बचे रहना। (बुख़ारी व मुस्लिम)

ईमान के अर्कान

जिन चीज़ों पर प्रत्येक मुसलमान के लिए ईमान लाना फ़र्ज़ और ज़रूरी है उन्हें ईमान के अर्कान के नाम से जाना जाता है, जो निम्नरूप हैं:

१- अल्लाह तआ़ला पर ईमान लानाः यानी अल्लाह के अस्तित्व, गुणों और इबादत में उसकी वहदानियत (अकेला होने) पर ईमान लाना।

२- फ़रिश्तों पर ईमान लानाः जो कि नूरी मख़लूक़ हैं और अल्लाह के आदेशों को लागू करने के लिए पैदा किये गये हैं।

३- अल्लाह की किताबों पर ईमान लानाः जिनमें तौरात, इंजील, ज़बूर और क़ुरआने करीम हैं। उनमें क़ुरआने करीम सबसे श्रेष्ठ है।

४- उसके रसूलों पर ईमान लानाः जिनमें सबसे पहले नूह عليه السلام और सबसे अन्तिम मुहम्मद ﷺ हैं।

५- आख़िरत के दिन पर ईमान लानाः जो हिसाब का दिन है और उसी दिन लोगों के कर्मों की पूछ गछ होगी।

६- अच्छे और बुरे भाग्य पर ईमान लानाः यानी जायज़ अस्बाब तथा माध्यमों को अपनाते हुये अच्छे और बुरे भाग्य पर राज़ी रहना चाहिये। क्योंकि सभी अल्लाह की ओर से तय किये हुए हैं जैसाकि सही मुस्लिम की हदीस में इस बात को स्पष्ट किया गया है।

इस्लाम, ईमान और एहसान का अर्थ

हज़रत उमर ﷺ से रिवायत है, वह फ़रमाते हैंः एक दिन जबकि हम अल्लाह के रसूल ﷺ के पास बैठे हुए थे, तो उजले सफ़ेद कपड़ों और काले सियाह बालों वाला एक व्यक्ति आया जिस पर यात्रा करने के चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे और न ही हम में से कोई उसे जानता था। वह आगे बढ़ा और नबी अकरम ﷺ के सामने इस तरह बैठा कि उसने अपने घुटने उनके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आप ﷺ की रानों पर रख लिए, फिर कहाः ऐ मुहम्मद! मुझे बताइये, इस्लाम क्या है? आप ﷺ ने फ़रमायाः इस्लाम यह है कि तू गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअ्बूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ायम कर, ज़कात अदा कर, रमज़ान के रोज़े रख और यदि सामर्थ्य हो तो अल्लाह के घर (बैतुल्लाह) का हज्ज कर। उसने कहाः आपने सही फ़रमाया। (हज़रत उमर ﷺ फ़रमाते हैं) हम आश्चर्य चकित थे कि यह कैसा आदमी है जो सवाल करके ख़ुद ही इसका समर्थन कर रहा है। फिर उसने कहा कि मुझे ईमान के बारे में बताइयेः आप ﷺ ने फ़रमायाः ईमान यह है कि तू अल्लाह, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, आख़िरत (क़ियामत) के दिन और अच्छे और बुरे भाग्य पर ईमान लाये। उसने कहाः आपने सही फ़रमाया। फिर उसने कहाः मुझे बताइये कि एहसान क्या है? आप ﷺ ने फ़रमायाः एहसान यह है कि तू अल्लाह की इस तरह इबादत कर गोया कि तू उसे देख रहा है, और अगर तू उसे न देख सके तो वह तुझे ज़रूर देख रहा है। उसने कहाः मुझे क़ियामत के बारे में बताइये कि कब आयेगी? आप ﷺ ने फ़रमायाः उसके बारे में

जिससे पूछा जा रहा है वह पूछने वाले से अधिक नहीं जानता। (यानी उसके बारे में मुझे तुम से अधिक ज्ञान नहीं) उसने कहाः तो फिर मुझे उसकी अलामतें बताइये। आप ﷺ ने फ़रमायाः उसकी अलामत यह है कि लौंडी अपने आक़ा को जन्म देगी और तुम देखोगे कि बकरियों के चरवाहे जो नंगे पाँव, नंगा शरीर और मोहताज हैं (इतने धनवान हो जायेंगे कि) एक दूसरे से बढ़कर बुलंद इमारतें बनाने में मुक़ाबला करेंगे। उसके चले जाने के बाद आप ﷺ ने फ़रमायाः ऐ उमर! जानते हो यह पूछने वाला कौन था? तो मैं ने कहाः अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप ﷺ ने फ़रमायाः वह जिब्रील थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आये थे। (मुस्लिम)

ला इलाह इल्लल्लाह का अर्थ

इसका अर्थ यह है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं। इस में अल्लाह के अ़लावा की बंदगी को नकारा गया है और केवल अल्लाह जो अकेला है और जिसका कोई साझी नहीं के लिए उसे साबित किया गया है।

१- अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿فَٱعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [سورة محمد: ١٩]

''अतः जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअ़बूद नहीं।'' (सूरह मुहम्मदः १९)

२- और आप ﷺ ने फ़रमायाः ((जो शख़्स ख़ुलूस दिल से ला इलाह इल्लल्लाह कहेगा वह जन्नत में दाख़िल होगा।)) (इस हदीस को बज़्ज़ार ने रिवायत किया है और अल्बानी ने उसे अल्‌जामेअ़ में सही क़रार दिया है।)

मुख़्लिस वह है जो इस कलिमा को समझ-बूझ कर उस पर अमल करे और इस तौहीद के कलमे से अपनी दअ़वत की शुरूआ़त करे, क्योंकि यह कलिमा ऐसे तौहीद पर आधारित है जिसके लिए अल्लाह तआ़ला ने जिन्नों और इन्सानों को पैदा फ़रमाया।

३- और जब अल्लाह के रसूल ﷺ के चचा अबू तालिब का देहान्त हो रहा था तो आप ﷺ ने उनसे फ़रमायाः चचाजान! आप 'ला इलाह इल्लल्लाह' कह दीजिए, इस कलिमा के आधार पर मैं आपके लिए अल्लाह तआ़ला से सिफ़ारिश करूंगा। लेकिन उन्होंने 'ला इलाह इल्लल्लाह' कहने से इंकार कर दिया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

४- अल्लाह के रसूल ﷺ मक्का में १३ वर्ष तक मुश्रिकों को यही दअ्वत देते रहे कि 'ला इलाह इल्लल्लाह' कह दो, तो उनका जवाब -जैसाकि कुरआन में आया है- यह था किः

﴿وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنۡهُمۡۖ وَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝٤ أَجَعَلَ ٱلۡأٓلِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عُجَابٌ ۝٥ وَٱنطَلَقَ ٱلۡمَلَأُ مِنۡهُمۡ أَنِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمۡۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ يُرَادُ ۝٦ مَا سَمِعۡنَا بِهَٰذَا فِي ٱلۡمِلَّةِ ٱلۡأٓخِرَةِ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا ٱخۡتِلَٰقٌ ۝٧﴾ [سورة ص: ٤-٧]

''और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हीं में से एक डराने वाला कैसे आ गया? और काफ़िरों ने कहा कि यह तो झूठा जादूगर है। क्या उसने सब मअ्बूदों को छोड़कर एक ही मअ्बूद बना लिया? यह तो बहुत ही अजीब बात है। और उनमें से जो सरदार लोग थे वे यह कहते हुये चले कि चलो जी और अपने मअ्बूदों पर जमे रहो। निःसंदेह इस बात में कोई ग़र्ज़ (उद्देश्य) है। हमने तो यह बात पिछले धर्म में भी नहीं सुनी, कुछ नहीं यह तो सिर्फ घड़ंत है।'' (सूरह स्वादः ४-७)

और अरबों में यह बात इस लिए कही कि वे इस कलिमा का अर्थ समझते थे और इस लिए उन्होंने यह कलिमा पढ़ने से इंकार किया कि यह कलिमा पढ़ने वाला ग़ैरूल्लाह को नहीं पुकारा करता। जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने उनके बारे में फ़रमायाः

﴿إِنَّهُمۡ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمۡ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبِرُونَ ۝٣٥ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجۡنُونِۭ ۝٣٦ بَلۡ جَآءَ بِٱلۡحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ۝٣٧﴾ [سورة الصافات: ٣٥-٣٧]

''यह वह (लोग) हैं कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई (सच्चा) मअ्बूद नहीं तो यह सर्कशी करते थे, और कहते थे कि क्या हम अपने मअ्बूदों को एक पागल कवि (शायर) की बात पर छोड़ दें? (नहीं नहीं) बल्कि वह (नबी) तो हक़ (सच्चा दीन) लेकर आये हैं और सब रसूलों को सच्चा जानते हैं।'' (सूरह अस्साफ़्फ़ातः ३५-३७)

और आप ﷺ ने फ़रमायाः ((जिसने ला इलाह इल्लल्लाह कह दिया और हर उस चीज़ का इंकार किया जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाती है तो ऐसा करने से उसका माल और उसकी जान हराम हो गई और उसका हिसाब अल्लाह पर है।)) (मुस्लिम)

इस हदीस का अर्थः शहादत का कलिमा पढ़ने का तक़ाजा यह है कि हर ग़ैरूल्लाह की इबादत से बचा और इंकार किया जाये जैसाकि मरे हुए लोगों से दुआ़ करने जैसे कर्म हैं।

और अ़जीब बात यह है कि कुछ मुसलमान अपनी ज़ुबान से यह कलिमा पढ़ते हैं लेकिन वे ग़ैरूल्लाह को पुकार कर अपने आ़माल से उसके अर्थ की ख़िलाफ़ वर्ज़ी करते हैं।

५- 'ला इलाह इल्लल्लाह' वह कलिमा है जो तौहीद और इस्लाम की बुनियाद तथा सम्पूर्ण जीवन व्यवस्था है जिसे हर प्रकार की इबादत अल्लाह ही के लिए ख़ास करने से अपनाया जा सकता है। और यह उस समय संभव है जब कोई मुसलमान अल्लाह के लिए फ़रमाबरदार हो जाये और केवल उसको ही पुकारे और उसी की शरीयत (क़ानून) की हाकिमियत स्वीकार करे।

६- अ़ल्लामा इब्ने रजब रहेमहुल्लाह ने कहाः 'इलाह' (मअ्बूद) वह है जिसकी फ़रमाबरदारी की जाये और उसका भय, उसकी ताज़ीम, उससे महब्बत, उससे आशा, उस पर भरोषा, उससे

सवाल और उसको पुकारते हुए उसकी नाफ़रमानी न की जाये। और ये सभी वे चीज़ें हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरे के लिए करना जायज़ नहीं। जिस किसी ने भी 'इलाह' के इन विशेषताओं में किसी सृष्टि को साझी बना लिया तो यह अ़मल इस बात की दलील है कि उसने 'ला इलाह इल्लल्लाह' मन से नहीं कहा। और जितनी उसमें शिर्क की आदत होगी उतना ही वह मख़्लूक़ की इबादत में फंसा होगा।

७- रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((अपने मरने वालों को 'ला इलाह इल्लल्लाह' पढ़ने की तल्क़ीन (उपदेश) किया करो क्योंकि (दुनिया से विदा होते हुए) जिसकी अंतिम बोली 'ला इलाह इल्लल्लाह' होगी वह कभी न कभी जन्नत में अवश्य दाख़िल होगा, चाहे उससे पहले लिखा अ़ज़ाब उसे भुगतना पड़े।)) (इसे इब्ने हिब्बान ने उल्लेख किया है और अल्बानी ने सही क़रार दिया है)

कलिमा शहादत की तल्क़ीन करने से अभिप्राय केवल मरने वाले के पास कलिमा पढ़ना ही नहीं जैसाकि कुछ लोगों का ख़्याल है, बल्कि उसे पढ़ने का आदेश देना है, जिसकी दलील अनस बिन मालिक ؓ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने एक अंसारी की अ़यादत (बीमार का हाल-चाल पूछना) की तो फ़रमायाः ((मामूजान! 'ला इलाह इल्लल्लाह' कहो।)) उसने कहाः मामू या चचा? आपने फरमायाः ((बल्कि तुम मेरे लिए मामू की हैसियत से हो।)) तो उसने कहाः मेरे लिए 'ला इलाह इल्लल्लाह' कहना बेहतर है? आपने फ़रमायाः ((हाँ, बेहतर है।)) (इसे इमाम अहमद ने मुस्लिम की शर्त पर सही सनद के साथ उल्लेख किया है ३/१५२)

८- कलिमा 'ला इलाह इल्लल्लाह' उसी समय किसी व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है जब वह उसके अर्थ को अपने लिए जीवन व्यवस्था बनाता है और मुर्दों या अनुपस्थित प्राणियों

(ग़ायेब ज़िंदों) को पुकारने जैसे शिर्क वाले कर्मों से इस कलिमा की ख़िलाफ़वर्ज़ी नहीं करता है। और जिस किसी ने ऐसा किया उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी ने वज़ू करके तोड़ दिया हो। अतएव जैसे वज़ू करके तोड़ देने वाले व्यक्ति को अपने उस वुज़ू का कोई लाभ नहीं होता, वैसे ही यदि किसी ने ईमान लाने के बाद कोई शिर्क का काम किया तो उसे उस ईमान का कोई लाभ नहीं होगा।

मुहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ

मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं इसका मतलब यह है कि वह अल्लाह की ओर से भेजे हुए हैं। अतएव जो कुछ उन्होंने बताया हम उसकी तस्दीक़ करें और उनके आदेशों की पैरवी करें और जिस चीज़ से रोका और मना किया है उसे त्याग दें और उनकी सुन्नत को अपनाते हुए अल्लाह की इबादत करें।

१- मौलाना अबुल हसन अली नदवी किताबुल ईमान में फ़रमाते हैं: अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की हर ज़माने और हर जगह पर सबसे पहली दावत और सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि अल्लाह के बारे में लोगों का अ़क़ीदा सही किया जाये और बंदे और उसके रब के बीच संबंध सही बुनियाद पर क़ायम हो कि केवल अल्लाह ही नफ़ा नुक़सान, इबादत, दुआ़, निवेदन और क़ुर्बानी का अधिकारी है। और उनका हमला उनके ज़माने के में पाई जाने वाली बुतपरस्ती पर केन्द्रित था जो बुतपरस्ती ज़िंदा और मुर्दा बुज़ुर्ग हस्तियों की इबादत की श्क्ल में पाई जाती थी।

और यह हैं अल्लाह के रसूल ﷺ जिनसे उनका रब फ़रमा रहा है:

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِى نَفۡعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ

ٱلْغَيْبَ لَٱسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ ٱلسُّوٓءُ ۚ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [سورة الأعراف: ١٨٨]

''(ऐ पैग़म्बर!) आप कह दीजिए कि मैं तो अल्लाह की मर्ज़ी के बिना अपनी ज़ात के लिए न किसी नफ़ा का और न किसी नुक़सान का मालिक हूँ। और अगर मैं ग़ैब की बातें जानता होता तो बहुत सी भलाइयाँ हासिल कर लेता और मुझे कोई नुक़सान न पहुँचता। मैं तो केवल डराने वाला और बशारत (शुभसूचना) देने वाला हूँ उन लोगों को जो ईमान रखते हैं।'' (सूरह आराफ़ः १८८)

और आप ﷺ ने फ़रमायाः ((मेरी शान ऐसे न बढ़ाना जैसाकि ईसाइयों ने ईसा बिन मरयम की शान बढ़ा दी। मैं तो केवल अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ, इस लिए तुम मुझे अल्लाह का बंदा और रसूल ही कहना।)) (बुख़ारी)

शान बढ़ाने का मतलब यह है कि उनकी तारीफ़ बढ़ा चढ़ा कर करना। इस लिए हमारे लिए यह उचित नहीं कि हम उन्हें अल्लाह के सिवा पुकारें जैसे कि ईसाइयों ने ईसा बिन मरयम अ़लैहिस्सलाम के साथ किया तो शिर्क में घिर गये। बल्कि आप ﷺ ने हमें आदेश दिया है कि हम यह कहें कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं।

३- अल्लाह के रसूल ﷺ से सच्ची मुहब्बत यह है कि उनकी पैरवी करते हुए केवल अल्लाह से दुआ़ की जाये और उसके अ़लावा किसी व्यक्ति को न पुकारा जाये चाहे वह (व्यकित) कोई भी पहुँचा हुआ वली ही क्यों न हो। अल्लाह के रसूल ﷺ का कथन हैः ((जब माँगो तो केवल अल्लाह से माँगो और जब मदद लो तो

केवल अल्लाह से मदद लो।)) (तिरमिज़ी-हसन सहीह) और आप ﷺ पर कोई ग़म या मुसीबत आन पड़ती तो आप फ़रमातेः **يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ** 'या हय्यु या क़य्यूमु बिरहमतिक अस्तग़ीस' ((ऐ ज़िंदा और क़ायम रहने वाली ज़ात! मैं तेरी रहमत की बदौलत तुझसे मदद माँगता हूँ।)) (तिरमिज़ी-हसन)

अल्लाह तआ़ला उस कवि पर रहमतें नाज़िल करे जिसने सच्ची मुहब्बत बयान करते हुए कहाः

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ   إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُ

यदि तुम अपनी मुहब्बत में सच्चे होते तो उनकी इताअ़त करते क्योंकि मुहब्बत करने वाला अपने महबूब का फ़रमाबरदार होता है।

और सच्ची मुहब्बत के चिन्हों में से यह है कि उस तौहीद (एकेश्वरवाद) की दावत से जिससे आपकी दावत की शुरूआ़त हुई उससे मुहब्बत की जाये और तौहीद की दावत देने वालों से प्यार हो और शिर्क तथा उसकी दावत देने वालों से नफ़रत हो।

अल्लाह तआ़ला कहाँ है?

अल्लाह तआ़ला आस्मान पर है। मुआ़विया बिन हकम सुलमी ﷺ ने फ़रमायाः मेरी लौंडी थी जो उहुद और जुवानिया के निकट बकरियाँ चराया करती थी। एक दिन जब मैंने नीरिक्षण किया (जायेज़ा लिया) तो पाया कि एक बकरी को भेड़िया उठा ले गया। इन्सान होने के नाते मुझे भी वैसा ही दुख हुआ जैसे और दूसरे लोगों को दुख होता है, तो मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया। फिर रसूलुल्लाह ﷺ के पास आया। जब उन्हें बताया तो उन्हें बुरा लगा। मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं उसे आज़ाद कर दूँ? तो आप ﷺ ने फ़रमाया कि उसे मेरे पास ले आओ। (अतएव मैं उस

लौंडी को लेकर आप ﷺ की सेवा में हाज़िर हुआ) आप ﷺ ने उससे पूछाः बताओ अल्लाह कहाँ है? उसने कहाः आस्मान पर है। आप ﷺ ने पूछाः ((मैं कौन हूँ?)) उस लौंडी ने जवाब दियाः आप अल्लाह के रसूल हैं। आप ﷺ ने फ़रमायाः ((उसे आज़ाद कर दो, क्योंकि वह ईमानवाली है।)) (मुस्लिम, अबू दाऊद)

उपरोक्त हदीस से निम्नलिखित बातों का पता चलता हैः

१- सहाबा किराम ﷺ मामूली बात में भी अल्लाह के रसूल ﷺ से सम्पर्क बनाते थे ताकि उस बारे में अल्लाह का आदेश मालूम करें।

२- अल्लाह तआला के आदेशों पर चलते हुए केवल अल्लाह और उसके रसूल ﷺ से फैसला लेना चाहिए जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाता हैः

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [سورة النساء: ٦٥]

''तेरे रब की क़सम! उस समय तक लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों का फैसला तुमसे न करवायें। फिर तुम्हारे उस फैसले पर दिल में कोई तंगी महसूस न करें और उसके सामने सिर न झुका लें।'' (सूरह अन्निसाः ६५)

३- सहाबी ने लौंडी को मारा तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने उसे बुरा समझा और इस बात का महत्व दिया।

४- केवल मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद करना चाहिए न कि काफ़िर को, क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने उस लौंडी से पूछ-गछ की ताकि मालूम करें कि वह मुसलमान है या नहीं। लेकिन जब

मालूम हुआ कि मुसलमान है तो आज़ाद करने का आदेश दिया।

५- तौहीद (एकेश्वरवाद) के बारे में जानकारी हासिल करना ज़रूरी है, और तौहीद में से है अल्लाह तआ़ला का अपने अ़र्श पर उच्चय होना जिसका जानना आवश्यक है।

६- अल्लाह तआ़ला के बारे में पूछना कि 'वह कहाँ है?' सुन्नत है जैसाकि रसूल ﷺ ने लौंडी से पूछा।

७- इस सवाल के जवाब में यह कहना चाहिए कि अल्लाह तआ़ला आस्मान पर है, क्योंकि आप ﷺ ने लौंडी के जवाब को ठीक क़रार दिया। इसी तरह क़ुरआन करीम ने भी लौंडी के इस जवाब का समर्थन किया है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾ [سورة الملك: ١٦]

''क्या तुम आस्मान पर जो ज़ात है उससे बेख़ौफ़ (निडर) हो गये हो कि वह तुम्हें ज़मीन पर धंसा दे और अचानक ज़मीन काँपने लगे।'' (सूरह अल्-मुल्कः १६) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा फ़रमाते हैं कि वह ज़ात अल्लाह तआ़ला की है।

८- मुहम्मद ﷺ की रिसालत की गवाही देने से ही ईमान सही साबित होता है।

९- यह अ़क़ीदा रखना कि अल्लाह तआ़ला आस्मान पर है सच्चे ईमान की निशानी है। और यह अ़क़ीदा अपनाना प्रत्येक मुसलमान पर वाजिब है।

१०- इस हदीस से उस आदमी की ग़लती का रद्द हो गया जो यह कहता है कि अल्लाह तआ़ला अपनी ज़ात के साथ हर जगह मौजूद है। इस बारे में सही बात यह है कि वह हमारे साथ

अपने इल्म (ज्ञान) से है ज़ात से नहीं।

११- पूछ-गछ करने के लिए रसूल ﷺ का लौंडी को बुलाना इस बात की दलील है कि आप ﷺ को ग़ैब का इल्म (परोक्ष का ज्ञान) नहीं था। इससे सूफ़ियों की काट हो गई जो यह कहते हैं कि आप ﷺ को ग़ैब का इल्म था।

नमाज़ों की फ़ज़ीलत और उन्हें छोड़ने पर पकड़

१- अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِمۡ يُحَافِظُونَ ۝ أُوْلَٰٓئِكَ فِي جَنَّٰتٖ مُّكۡرَمُونَ﴾

[سورة المعارج: ٣٤-٣٥]

''और जो अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त (रक्षा) करते हैं। यही लोग जन्नतों में इज़्ज़त वाले हूंगे।'' (सूरह अल्-मआरिजः ३४-३५)

२- और अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ﴾ [سورة العنكبوت: ٤٥]

''और नमाज़ क़ायम करो, क्योंकि नमाज़ बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है।'' (सूरह अल्-अन्कबूतः ४५)

३- और अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ۝ ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ﴾ [سورة الماعون: ٤-٥]

''तबाही उन नमाज़ियों के लिए है जो अपनी नमाज़ों से ग़ाफ़िल हो जाते हैं।'' (सूरह अल्-माऊन) यानी बिना कारण क़ज़ा कर देते हैं।

४- और अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ۝ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ﴾ [سورة المؤمنون: ١-٢]

''निश्चय वे मोमिन सफल हो गये जो अपनी नमाज़ें ख़ुशूअ़ और ख़ज़ूअ़ से (दिल लगाकर) अदा करते हैं।'' (सूरह अल्-मोमिनूनः १-२)

५- और अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا﴾ [سورة مريم: ٥٩]

''फिर उनके बाद ऐसे अयोग्य (ना ख़लफ़) लोग पैदा हुए जिन्होंने नमाज़ को गंवा दिया और इच्छाओं की पूर्ति में पड़ गये तो ये लोग जहन्नम के ग़ैय नाम के वादी से दोचार होंगे।'' (सूरह मरयमः ५६)

६- अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((तुम्हारा क्या विचार है यदि किसी के दरवाज़े के सामने से नहर बहती हो जिसमें वह प्रतिदिन पाँच बार स्नान करे तो क्या उसके शरीर पर कोई गंदगी बाक़ी रह सकती है?)) सहाबा किराम ﷺ ने जवाब दियाः ऐसे व्यक्ति पर किसी प्रकार की गंदगी बाक़ी नहीं रह सकती। आप ﷺ ने फ़रमायाः ((इसी तरह पाँचों नमाज़ों की मिसाल है, जिससे अल्लाह तआ़ला गुनाह माफ़ कर देते हैं।)) (बुख़री व मुस्लिम)

७- और आप ﷺ ने फ़रमायाः ((हमारे और उनके (काफ़िरों के) बीच सीमा रेखा नमाज़ है, जिसने उसे छोड़ दिया वह काफ़िर हो गया।)) (अहमद आदि, सहीह)

८- और आप ﷺ ने फ़रमायाः ((आदमी और कुफ़्र व शिर्क के बीच फ़र्क़ करने वाली चीज़ नमाज़ का छोड़ना है।)) (मुस्लिम)

वुज़ू, तयम्मुम और नमाज़

वुज़ूः अपने दोनों बाजुओं से कपड़ा केहुनियों तक समेट कर 'बिस्मिल्लाह' कहिये।

१- कलाइयों तक दोनों हाथ धोइये, कुल्ली कीजिये और नाक में तीन बार पानी डालिये।

२- तीन बार अपना चेहरा और फिर दायाँ और बायाँ

बाज़ू केहुनियों तक धोइये।

३- अपने पूरे सिर का कानों सहित मसह कीजिये।

४- तीन बार दायाँ फिर बायाँ पाँव टखनों तक धोइये।

५- यदि पानी न मिल सके या बीमारी आदि की वजह से पानी का प्रयोग न कर सकें तो उस परिस्थिति में तयम्मुम कर लें, जिसका तरीक़ा यह है कि अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारकर अपने चेहरे और हथेलियों पर फेरें।

६- पानी, मिट्टी, जगह और कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है।

फ़ज्र (सुबह) की नमाज़

सुबह की फ़र्ज़ नमाज़ दो रकअ़तें हैं। (नियत की जगह दिल है।)

१- क़िब्ला की ओर मुँह करके अपने दोनों हाथ कानों तक उठाइये और 'अल्लाहु अक्बर' कहिए।

२- दायें हाथ को बायें हाथ पर रखकर सीने के ऊपर रखिये और पढ़ियेः

((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ)).

उच्चारणः ((सुब्हानकल्लाहुम्म व बिहम्दिक, व तबारकस्मुक, व तआ़ला जद्दुक, व ला इलाह ग़ैरुक।))

अर्थः ((मैं तेरी पाकीज़गी बयान करता हूँ ऐ अल्लाह! तेरी हम्द के साथ, और बहुत बाबरकत है नाम तेरा, और बुलंद है शान तेरी, और नहीं है कोई सच्चा मअ़बूद तेरे सिवा।)) इसके अ़लावा सुन्नत में वारिद दूसरी दुआ़यें भी पढ़ना जायज़ है।

पहली रकअ़त

(आहिस्ता से पढ़ें:) **أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** अऊ़ज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, यानी मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह तआ़ला की

मरदूद शैतान से। **بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ** बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। फिर सूरह फ़ातिहा पढ़ें:

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۞ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ مَٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ۞﴾

''सारी तारीफ़ जहानों (संसारों) के रब के लिए है। बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बदले के दिन (क़ियामत) का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद माँगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा। उन लोगों का रास्ता जिन पर तू ने इनाम किया, उनकी नहीं जिन पर ग़ज़ब किया गया (यानी वह लोग जिन्होंने हक़ को पहचाना मगर उस पर अमल पैरा नहीं हुए) और न गुमराहों की (यानी वह लोग जो जिहालत के सबब हक़ के रास्ता से भटक गये)।'' (आमीन)

फिर सूरह इख़्लासः

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝١ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ۝٤﴾

''आप कह दीजिये कि वह अल्लाह तआला एक (ही) है। अल्लाह तआला बेनियाज़ है। न उससे कोई पैदा हुआ न वह किसी से पैदा हुआ। और न कोई उसका हम्सर है।'' या इसके अलावा जो

कुरआन से पढ़ना आसान हो पढ़िये।

१- दोनों हाथ उठाते हुए 'अल्लाहु अक्बर' कहिए और रुकूअ़ कीजिए और दोनों हाथ घुटनों पर रखिए और तीन बार **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ** 'सुब्हान रब्बियल अ़ज़ीम' (पाक है मेरा रब अ़ज़मत वाला) पढ़िये।

२- अपना सिर उठाइये और दोनों हाथ उठाते हुए **سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** 'समिअ़ल्लाहु लिमन् हमिदह, अल्लाहुम्म रब्बना लकल्हम्द' (सुन ली अल्लाह ने जिसने उसकी तारीफ़ की, ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरे लिए ही तारीफ़ है) पढ़िये।

३- 'अल्लाहु अक्बर' कहकर सज्दा करें और दोनों हथेलियाँ, दोनों घुटने, पेशानी, नाक और दोनों पाँव की उँगलियाँ इस तरह से ज़मीन पर रखिये कि उनका रुख़ क़िब्ला की ओर हो और केहुनियाँ ज़मीन से ऊँची रखिये और तीन बार 'सुब्हान रब्बियल् आला' **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** (पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है) पढ़िए।

४- 'अल्लाहु अक्बर' कहते हुए सज्दा से सिर उठाइये और दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखकर **رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي** 'रब्बिग़फ़िर ली वर्हम्नी वह्दिनी व आ़फ़िनी वर्ज़ुक़्नी' (ऐ मेरे रब! मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम फ़रमा, मुझे हिदायत दे, मुझे आ़फ़ियत दे और मुझे रिज़्क़ दे) पढ़िए।

५- 'अल्लाहु अक्बर' कहते हुए दूसरा सज्दा करें और तीन बार **سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** 'सुब्हान रब्बियल् आला' (पाक है मेरा रब जो सबसे बुलंद है) कहें।

६- दूसरे सज्दा से सिर उठाइए और बायीं टाँग पर बैठ जाइए और दायें पाँव की उँगलियाँ खड़ी रखें। इस बैठक को जल्सए इस्तराहत कहते हैं।

दूसरी रकअ़त

१- दूसरी रकअ़त के लिए खड़े होकर अऊ़जु बिल्लाहि, बिस्मिल्लाह और सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद कोई छोटी सूरत या जो कुछ कुरआन से पढ़ना आसान हो पढ़ें।

२- फिर जैसे आपको बताया गया उसी तरह रुकूअ़ और सज्दा कीजिए। दूसरे सज्दा के बाद बैठ जाइये और दायें हाथ की उंगलियाँ इकळी करके घुटने पर रखिये और शहादत की उंगली उठाते हुए तशह्हुद पढ़िए:

التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

"अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु, वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबीय्यु, व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन, अशहदु अल्लाइलाहा इल्लल्लाहु, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु।"

सारी प्रशंसा और नमाज़ें और पाक वस्तुऐं अल्लाह के लिए हैं। (दुसरा अर्थः ज़ुबानी, बदनी और माली इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं।) ऐ नबी! आप पर सलाम हो, और अल्लाह की रहमत और उसकी बर्कत अवतारित हो, सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूजने योग्य नहीं है, और गवाही देता हूँ कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम *उसके बन्दे और उसके रसूल हैं।*

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

उच्चारणः अल्लाहुम्म सल्लि अ़ला मुहम्मदिंव व अ़ला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अ़ला इब्राहीम व अ़ला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अ़ला मुहम्मदिंव व अ़ला आलि मुहम्मदिन कमा बारक्त अ़ला इब्राहीम व अ़ला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद।

"ऐ अल्लाह! कृपा (रहमत) भेज मुहम्मद पर और उनके परिवार पर जैसे रहमत (कृपा) भेजी तूने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) पर और उनके परिवार पर, बेशक तू महिमा और गुणगान के योग्य है। ऐ अल्लाह! बर्कत भेज मुहम्मद पर और उनके परिवार पर, जैसे बर्कत भेजी तूने इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) पर और उनके परिवार पर, बेशक तू महिमा और गुणगान के योग्य है।"

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़बरि व मिन फ़ितनतिल मह्या वल्मामाति व मिन फ़ितनतिल मसीहिद्दज्जाल।

अर्थः- ऐ अल्लाह! तेरी शरण चाहता हूँ जहन्नम के अज़ाब से और क़ब्र के अज़ाब से और जीवन तथा मृत्यु के फ़ितने से और मसीह दज्जाल के फितने से।

३- फिर दायें और बायें तरफ़ चेहरा फेरते हुए **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ** 'अस्सलामु अ़लैकुम व रहमतुल्लाह' (अर्थात

तुम्हारे ऊपर सलामती और अल्लाह की रहमत हो) कहिए।

नमाज़ की रकअ़तों की संख्या का नक़्शा

नमाज़ें	फ़र्ज़ से पहले की सुन्नतें	फ़र्ज़	बाद की सुन्नतें
फ़ज्र	२	२	-
ज़ोहूर	२+२	४	२
अ़स्र	२+२	४	-
मग़रिब	२	३	२
इशा	२	४	२ सुन्नत और ३ वित्र
जुमअ़ा	२ तहिय्यतुल मस्जिद	२	२ घर में या २+२ मस्जिद में

नमाज़ के मसायेल

१- पहले की सुन्नतें फ़र्ज़ नमाज़ से पहले पढ़ी जाऐंगी और बाद सुन्नतें फ़र्ज़ नमाज़ के बाद पढ़ी जाऐंगी।

२- नमाज़ इत्मिनान और सुकून के पढ़ें, सज्दा की जगह पर नज़र रखें और इधर उधर न देखें।

३- जब इमाम उच्च स्वर में क़िराअत न करे तो आप क़िराअत करें लेकिन जब वह उच्च स्वर में क़िराअत करे तो केवल सूरह फ़ातिहा पढ़े।

४- जुमअ़ा की फ़र्ज़ नमाज़ दो रकअ़त है जो मस्जिद में ही ख़ुत्बा के पढ़ी जाएगी।

५- मग़रिब की तीन फ़र्ज़ हैः जैसे आपने फ़ज्र की दो रकअ़त अदा की थीं वैसे ही दो रकअ़त अदा कीजिए। और जब आप तहिय्यात की दुआ़एं पढ़ चुकें तो सलाम न फेरें बल्कि 'अल्लाहु अक्बर' कहकर कंधों के बराबर अपने दोनों हाथों को उठाते हुए तीसरी रकअ़त के लिए खड़े हो जाएं। तिसरी रकअ़त में केवल सूरह फ़ातिहा पढ़ें और फिर पहले की तरह आख़री

रकअ़त को पूरी करके दाएं बाएं सलाम फेर दें।

६- ज़ोहर, अ़स्र और इशा की नमाज़ के चार चार फ़र्ज़ हैं, जैसे आपने फ़ज्र की दो रकअ़त अदा की थीं वैसे ही दो रकअ़त अदा कीजिए। और जब आप 'अत्तहिय्यात लिल्लाह--' पढ़ चुकें तो सलाम न फेरें बल्कि 'अल्लाहु अक्बर' कहकर कंधों के बराबर अपने दोनों हाथों को उठाते हुए तीसरी रकअ़त के लिए फिर चौथी रकअ़त के लिए खड़े हो जाएं। तिसरी और चौथी रकअ़त में केवल सूरह फ़ातिहा पढ़ें और नमाज़ पूरी करके दाएं बाएं सलाम फेर दें।

७- वित्र की तीन रकअ़तें हैं: दो रकअ़तें पढ़कर सलाम फेर दें और फिर तीसरी रकअ़त अलग से पढ़कर सलाम फेर दें। और बेहतर यह है कि आप तीसरी रकअ़त में रुकूअ़ से पहले या बाद में दुआ़ये कुनूत पढ़ें। दुआ़ये कुनूत यह है:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

अल्लाहुम्महदिनी फ़ीमन हदैत व आफ़िनी फीमन आफ़ैत व तवल्लनी फीमन तवल्लैत व बारिक ली फीमा अअ़्तैत वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नक तक़्ज़ी वला युक़्ज़ा अलैक व इन्नहू ला यज़िल्लु मंव वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आ़दैत तबारकत रब्बना व तआ़लैत।

(अर्थः- ऐ अल्लाह! मुझको हिदायत दे उन लागों के साथ में जिनको तूने हिदायत दी, और आफ़ियत दे मुझको उन में जिनको तूने आफ़ियत दी और दोस्त रख मुझको उन लोगों में जिनको तूने दोस्त रखा और बर्कत दे मुझको उस नेअ़्मत में जो तूने मुझे दी, और महफ़ूज़ रख मुझको उस शर्र से जिसका तूने फैसला किया है,

तू ही फैसला करता है, तेरे ऊपर किसी का फैसला नहीं होता, जिसको तू दोस्त रखे उसे कोई ज़लील करने वाला नहीं और जिसको तू दुश्मन बना ले उसको कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं। बर्कत वाला है, तू ऐ हमारे रब! महान है।)

८- यदि आप मस्जिद में आते हैं और इमाम को रुकूअ़ की स्थिति में पाते हैं तो खड़े होकर 'अल्लाहु अक्बर' कहिए और इमाम के साथ रुकूअ़ में मिल जाइए। यदि इमाम के सिर उठाने से पहले आप रुकूअ़ में मिल गए तो आपकी यह रकअ़त हो गई, लेकिन यदि इमाम के सिर उठाने के बाद आप रुकूअ़ में गए तो आपकी यह रकअ़त शुमार नहीं होगी।

९- यदि इमाम के साथ आपकी एक अथवा एक से अधिक रकअ़त छूट जाए तो फिर भी इमाम के साथ नमाज़ के अंत तक अनुसरण (मुताबअ़त) करें, और जब इमाम सलाम फेरे तो उसके साथ सलाम फेरे बग़ैर बाक़ी रकअ़तों को पूरा करने के लिए खड़े हो जाएं।

१०- नमाज़ जल्दी और तेज़ी से मत पढ़ें, क्योंकि उससे नमाज़ बातिल हो जाती है। अल्लाह के रसूल ﷺ ने एक आदमी को देखा जो नमाज़ जल्दी जल्दी पढ़ रहा था तो आपने उसे हुक्म दिया कि ((वापस जाओ और दोबारा नमाज़ पढ़ो, क्योंकि तुम ने नमाज़ नहीं पढ़ी।)) उसने तीन बार ऐसा किया। तीसरी बार उसने रसूलुल्लाह ﷺ से गुज़ारिश की कि मुझे नमाज़ पढ़ना सिखा दीजिए। तो आप ﷺ ने फ़रमायाः ((इस तरह से रुकूअ़ करो कि तुम मुत्मइन हो जाओ, फिर उठो और सीधे खड़े हो जाओ। फिर इत्मिनान के साथ सज्दा करो। फिर सिर उठाओ यहाँ तक कि इत्मिनान के साथ बैठ जाओ।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

११- यदि आप से नमाज़ के वाजिबात में से कोई वाजिब -जैसे पहला तशह्हुद- छूट जाए या रकअ़तों की संख्या में संदेह हो जाए तो थोड़ी रकअ़तें गिनकर (कम संख्या पर बिना करके) नमाज़ पूरी कर लें और सलाम फेरने से पहले दो सज्दा सहो कर लें।

१२- नमाज़ में ज़्यादा हरकत न करें, क्योंकि यह नमाज़ के ख़ुशूअ़ और ख़ुज़ूअ़ के विरोध (मुख़लिफ़) है, बल्कि संभव है कि अधिक तथा अनावश्यक (ग़ैर ज़रूरी) हरकतें नमाज़ बर्बाद होने का कारण बन जाएं।

१३- इशा की नमाज़ का समय आधी रात को समाप्त हो जाता है जबकि वित्र की नमाज़ का समय फ़ज्र की नमाज़ के समय तक बाक़ी रहता है। और इशा की नमाज़ किसी ज़रूरत के बग़ैर मुवख़्ख़र नहीं की जायेगी।

जुमअ़ा की नमाज़ और जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने का वुजूब (अनिवार्यता)

जुमअ़ा की नमाज़ और जमाअ़त के साथ नमाज़ अदा करना निम्नलिखित दलीलों से पुरुषों पर वाजिब है:

१- अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [سورة الجمعة: ٩]

''ऐ ईमान वालो! जब जुमअ़ा के दिन नमाज़ के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह की याद (नमाज़) की तरफ़ दौड़ो और ख़रीदना और बेचना छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है यदि तुम जानते हो।'' (सूरह जुमुअ़ाः ६)

२- अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((जो व्यक्ति तीन जुमे ग़फ़लत और सुस्ती से छोड़ देता है अल्लाह तआ़ला उसके दिल पर मुहर लगा देता है।)) (अहमद-सहीह)

३- आप ﷺ ने फ़रमायाः ((मैं ने इरादा किया कि अपने जवानों को लकड़ियाँ इकळी करने का आदेश दूँ, फिर उन लोगों के पास जाऊँ जो बिना किसी कारण अपने घरों में नमाज़ पढ़ते हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है तो उनके घरों को जला दूँ।)) (मुस्लिम)

४- आप ﷺ ने फ़रमायाः ((जो व्यक्ति अज़ान सुनने के बावजूद नमाज़ के लिए मस्जिद में नहीं आता तो (बीमारी या डर जैसे) उज़्र के बग़ैर उसकी नमाज़ नहीं होती।)) (इब्ने माजा)

५- अल्लाह के रसूल ﷺ के पास एक अंधा व्यक्ति आया और कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई मस्जिद में लाने वाला नहीं। अतएव वह अल्लाह के रसूल ﷺ से घर में नमाज़ पढ़ने की अनुमति माँगता है, तो आप उसे अनुमति दे देते हैं, परन्तु जब वह चलने लगता है तो आप पूछते हैं कि ((क्या तुम अज़ान सुनते हो?)) उसने जवाब दियाः हाँ। आप ﷺ ने फ़रमायाः ((तो फिर तुम्हें मस्जिद में नमाज़ के लिए आना होगा।)) (मुस्लिम)

६- हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद رضي الله عنه फ़रमाते हैंः जो व्यक्ति चाहता है कि वह कल क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला से इस्लाम की हालत में मिले तो उसे चाहिए कि जब भी पाँचों नमाज़ों के लिए पुकारा जाए तो उनकी बाजमाअ़त पाबन्दी करे। क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे नबी को हिदायत के रास्ते बताए हैं और नमाज़ों को जमाअ़त के साथ अदा करना उन्हीं हिदायत के तरीक़ों में से है। यदि तुम भी पीछे रहने वालों की तरह घर में नमाज़

पढ़ना शुरू कर दो तो अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे। और जब अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। हम देखा करते थे कि जाने बूझे मुनाफ़िक़ों के सिवा कोई दूसरा आदमी जमाअ़त से पीछे नहीं रहता था। यहाँ तक कि (बीमार) आदमी को दो आदमी के सहारे लाकर पंक्ति (सफ़्फ़) में खड़ा किया जाता। (मुस्लिम)

जुमआ़ की नमाज़ और जमाअ़त के साथ नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत

१- नबी अकरम ﷺ ने फ़रमायाः ((जो व्यक्ति ग़ुस्ल करके जुमआ़ के लिए आता है और जहाँ तक होता है (नफ़िल) नमाज़ पढ़ता है, फिर इमाम के अपने ख़ुत्बा से फ़ारिग़ होने उसका ख़ुत्बा सुनता है और उसके साथ (जुमआ़ की) नमाज़ अदा करता है तो उसके उस जुमआ़ से दूसरे जुमआ़ तक के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और तीन दिन और भी।)) (मुस्लिम)

२- आप ﷺ ने फ़रमायाः ((जो व्यक्ति इशा की नमाज़ जमाअ़त के साथ अदा करता है, ऐसे है जैसे उसने आधी रात क़ियाम किया, और जो व्यक्ति फ़ज्र की नमाज़ भी जमाअ़त से पढ़ता है तो ऐसा है जैसे उसने सारी रात क़ियाम किया हो।)) (मुस्लिम)

३- आप ﷺ ने फ़रमायाः ((जमाअ़त के साथ नमाज़ अकेले नमाज़ के मुक़ाबले में सत्ताइस गुना ज़्यादा बेहतर है।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

४- आप ﷺ ने फ़रमायाः ((जो व्यक्ति जुमआ़ के दिन जनाबत (नापाकी) के ग़ुस्ल की तरह ग़ुस्ल करता है और पहली घड़ी में मस्जिद आता है तो वह ऐसा है जैसे उसने ऊँट क़ुर्बानी दी

हो। और जो व्यक्ति दूसरी घड़ी में आता है तो वह ऐसा है जैसे कि उसने गाय की कुर्बानी दी हो। और जो तिसरी घड़ी में आता है तो वह ऐसा है जैसे कि उसने सींगों वाले मेंढे की कुर्बानी दी हो। और जो चौथी घड़ी में आता है तो वह ऐसा है जैसे कि उसने मुर्गी की कुर्बानी की हो। और पाँचवी घड़ी में आने वाले को अंडे की कुर्बानी का सवाब मिलता है। फिर जब इमाम ख़ुत्बा के लिए आ जाए तो सवाब लिखने वाले फ़रिश्ते ख़ुत्बा सुनने के लिए बैठ जाते हैं।)) (मुस्लिम)

आदाब के साथ जुमआ़ की नमाज़ कैसे अदा करूँगा?

१- मैं जुमआ़ के दिन गुस्ल करूँगा, नाख़ुन उतारूँगा, ख़ुशबू लगाऊँगा और वुज़ू करने के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनूँगा।

२- कच्ची प्याज़ और लहसुन नहीं खाऊँगा और न सिगरेट पीऊँगा और मिस्वाक या पेस्ट से अपने दाँत साफ़ करूँगा।

३- अल्लाह के रसूल ﷺ के आदेश का पालन करते हुए मस्जिद में दाख़िल होकर दो रकअ़त तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ूँगा, चाहे इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो। क्योंकि आप ﷺ ने फ़रमायाः ((जो व्यक्ति ख़ुत्बे के दौरान मस्जिद में आये तो हल्की सी दो रकअ़त पढ़ ले।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

४- इमाम का ख़ुत्बा सुनने के लिए बैठ जाऊँगा और बात-चीत नहीं करूँगा।

५- दिल से नियत करके इमाम के पीछे जुमआ़ की दो रकअ़त फ़र्ज़ अदा करूँगा।

६- जुमआ़ की नमाज़ के बाद सुन्नत मस्जिद में चार रकअ़त या घर में दो रकअ़त पढ़ूँगा, और यही बेहतर है।

७- उस दिन दूसरे दिनों से ज़्यादा नबी अकरम ﷺ पर

दुरूद पढूँगा।

८- जुमआ के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करूँगा, क्योंकि आप ﷺ ने फरमायाः ((जुमआ के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जो मुसलमान भी अपने लिए अल्लाह से उस समय कोई भलाई माँगता है तो अल्लाह तआला उसे वह दे देता है।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

बीमार पर नमाज़ की फ़र्ज़ियत

मुसलमान भाईयो! बीमारी की हालत में भी नमाज़ मत छोड़िये, क्योंकि इस हालत में भी आप पर नमाज़ फ़र्ज़ है। अल्लाह तआला ने मुजाहिदों पर जंग के दौरान भी नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ किया है।

और आपको मालूम होना चाहिए कि बीमार व्यक्ति के लिए नमाज़ में दिली सुकून है जो उसकी शफ़ायाबी (स्वास्थ्य प्राप्ति) में सहायक बनती है। अल्लाह तआला का फ़रमान हैः

﴿وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِ﴾ [سورة البقرة: ٤٥]

''और सब्र और नमाज़ के साथ मदद तलब करो।'' (सूरह अल-बक़राः ४५) और रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाया करते थेः ((ऐ बिलाल! नमाज़ के लिए इक़ामत कहो, उसके ज़रीया हमें राहत पहुँचाओ।)) (इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है और अल्बानी ने इसकी सनद को हसन क़रार दिया है)

बीमार व्यक्ति को नमाज़ छोड़कर नाफ़रमान बनकर मरने के बजाय यह चाहिए कि नमाज़ अदा करता हुआ दुनिया से विदा हो। अल्लाह तआला ने बीमार के लिए वुज़ू और ग़ुस्ले जनाबत के बदले तयम्मुम करने की अनुमति दी है अगर वह पानी इस्तेमाल करने पर क़ादिर (सक्षम) न हो, ताकि वह इस सबब से नमाज़ न

छोड़ दे। अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:

﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [سورة المائدة: ٦]

‘‘और अगर तुम बीमार हो, या सफ़र की हालत में हो, या तुम में से कोई वर्चःस्थान (पाख़ाना) से आये या तुम औ़रतों से मिले हो और तुम्हें पानी न मिले तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, इसे तुम अपने चेहरों पर और हाथों पर मल लो। अल्लाह तआ़ला तुम्हें किसी प्रकार की तंगी में डालना नहीं चाहता, बल्कि उसका इरादा तुम्हें पाक करने का और तुम्हें अपनी भरपूर नेअ़मत देने का है, ताकि तुम शुक्र अदा करते रहो।’’ (सूरह अल्-माइदाः ६)

बीमार व्यक्ति की तहारत (पाकी) का तरीक़ा

१- बीमार के लिए ज़रूरी है कि वह पानी से तहारत (पवित्रता) हासिल करे। अतएव छोटी हदस (नापाकी) से वुज़ू करे और बड़ी हदस से ग़ुस्ल करे।

२- यदि पानी इस्तेमाल करने से आ़जेज़ (असमर्थ) हो, या बीमारी के बढ़ने अथवा स्वस्थ्य (शफ़ायाब) होने में देर होने की आशंका हो तो ऐसी हालत में तयम्मुम करेगा।

३- तयम्मुम का नियम यह है कि एक बार अपने दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर मारे, फिर उनसे अपने चेहरे का और फिर दोनों हाथों का (कलाई तक) एक दूसरे पर मसह करे।

४- यदि बीमार ख़ोद (स्वयं) तहारत हासिल नहीं कर सकता हो तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे वुज़ू या तयम्मुम कराएगा।

५- अगर बीमार के किसी ऐसे अंग में घाव हो जिसे वुज़ू में धोना ज़रूरी हो तो अगर पानी से धो सकता है तो धो ले। लेकिन अगर पानी से धोने में घाव प्रभावित होता हो तो अपना हाथ धोकर मसह कर ले। और अगर मसह करने से भी घाव बिगड़ने का संभावना हो तो उसकी तरफ़ से तयम्मुम कर ले।

६- यदि उसके किसी टूटे हुए अंग पर पट्टी आदि हो तो धोने के बदले उस पर मसह कर लेना काफी होगा। क्योंकि उस हालत में मसह करना धोने के क़ायम मक़ाम (स्थानापन्न) होगा। अतएव उसकी तरफ़ से तयम्मुम करने की ज़रूरत नहीं।

७- दीवार या किसी भी ऐसी चीज़ पर तयम्मुम करना जायज़ है जिस पर गर्द हो। और अगर दीवार रंग (पेंट) की हुई हो तो फिर उस समय उस पर तयम्मुम करना जायज़ होगा जब उस पर गर्द (धूल-कण) पड़े हों, वरना नहीं।

८- यदि तयम्मुम धरती, दीवार या किसी गर्दे वाली चीज़ पर करना संभव (मुम्किन) न हो तो फिर बीमार व्यक्ति अपने पास किसी बर्तन या कपड़े में मिट्टी रख ले और उससे तयम्मुम करे।

९- अगर रोगी ने एक नमाज़ के लिए तयम्मुम किया और उसकी यह तहारत दूसरी नमाज़ तक बाक़ी रही तो वह यह नमाज़ दोबारा तयम्मुम किये बिना पढ़ सकता है, क्योंकि जब तक वह तहारत किसी वजह से ख़त्म नहीं कर देता उस समय तक उसकी तहारत बाक़ी है।

१०- रोगी के लिए अपने शरीर से हर प्रकार की नजासत (गन्दगी) दूर करना ज़रूरी है, लेकिन अगर वह ऐसा करने का सामर्थ्य (ताक़त) न रखता हो तो वह जिस हालत में है उसी हालत में नमाज़ पढ़ ले। उसकी यह नमाज़ सहीह मानी जाएगी, अतएव गन्दगी दूर होने पर उसे नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं।

११- बीमार व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि वह पाक-पवित्र कपड़ों में नमाज़ पढ़े, इस लिए अगर कपड़े नापाक हो जाते हैं तो उन्हें धोना या उन्हें पाक कपड़ों से बदलना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर मुम्किन न हो तो जिस हालत में है उसी हालत में नमाज़ पढ़ ले। उसकी यह नमाज़ सहीह मानी जाएगी, अतएव पाक कपड़े मिलने पर उसे नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं।

१२- रोगी के लिए ज़रूरी है कि वह पाक जगह पर नमाज़ पढ़े, इस लिए अगर जगह नापाक हो जाती है तो उसे धोना, जगह बदलना या फिर उस पर पाक चीज़ (कपड़े आदि) बिछाना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर यह मुम्किन न हो तो जिस हालत में है उसी हालत में नमाज़ पढ़ ले। उसकी यह नमाज़ सहीह मानी जाएगी, अतएव उसे नमाज़ दोहराने की ज़रूरत नहीं।

१३- रोगी के लिए यह जायज़ नहीं कि वह पाक न हो सकने की वजह से नमाज़ समय पर अदा न करे, बल्कि उसे चाहिए कि भरसक (जहाँ तक हो सके) तहारत करके नमाज़ को उसके समय में अदा करे। और अगर कोशिश के बावजुद शरीर, कपड़े या स्थान से गन्दगी दूर न कर सका तो कोई हर्ज नहीं।

बीमार व्यक्ति कैसे नमाज़ पढ़े?

१- रोगी पर आवश्यक (वाजिब) है कि वह फ़र्ज़ नमाज़ खड़ा होकर अदा करे, चाहे उसे झुक कर या दीवार अथवा लाठी पर टेक लगाकर ही क्यों न पढ़ना पड़े।

२- अगर खड़े होने की ताक़त न हो तो बैठकर पढ़ सकता है। और बेहतर यह है कि क़ियाम और रुकूअ़ की जगह वह चार ज़ानू होकर बैठे।

३- और अगर बैठने की भी ताक़त न हो तो क़िब्ला की तरफ़ फिर कर लेटे हुए ही नमाज़ पढ़े। और बेहतर यह है कि दायें पहलू पर लेटा हो। लेकिन अगर क़िब्ला की दिशा में न मुड़ सकता हो तो फिर वह जिस तरफ़ लेटा हो उसी तरफ़ नमाज़ पढ़ ले, उसकी नमाज़ सही होगी और दोहराने की ज़रूरत नहीं।

४- अगर पहलू पर नमाज़ पढ़ना मुम्किन न हो तो वह अपने पाँव क़िब्ला की ओर किये हुए लेटे-लेटे ही नमाज़ पढ़े। और बेहतर यह है कि उसका सिर थोड़ा ऊँचा हो ताकि क़िब्ला रुख़ हो सके। और अगर यह भी मुम्किन न हो तो फिर वह जैसे लेटा हो वैसे ही नमाज़ पढ़ ले, दोहराने की ज़रूरत न होगी।

५- बीमार पर नमाज़ में रुकूअ़ और सज्दा करना ज़रूरी है। लेकिन अगर न कर सकता हो तो वह अपने सिर से इशारा करते हुए रुकूअ़ और सज्दा करे, और सज्दा करते हुए रुकूअ़ के

मुक़ाबले में ज़्यादा सिर झुकाए। और अगर केवल रुकूअ़ ही कर सकता हो तो रुकूअ़ कर ले और सज्दा के लिए सिर से इशारा कर ले। इसी तरह अगर केवल सज्दा कर सकता हो तो सज्दा कर ले और रुकूअ़ के लिए सिर से इशारा कर ले। सज्दा करने के लिए कोई तकिया वग़ैरह उठाने की ज़रूरत नहीं।

६- अगर बीमार इंसान रुकूअ़ और सज्दा सिर के इशारे से भी न कर सकता हो तो फिर अपनी दोनों आँखों से इशारा करे। चुनांचि (अतएव) रुकूअ़ के लिए इशारा करते हुए मामूली अन्दाज़ में बंद करे और सज्दा के लिए इशारा करते समय रुकूअ़ के मुक़ाबले में ज़्यादा बन्द करे। कुछ बीमार लोग रुकूअ़ और सज्दा के लिए उँगली से इशारा करते हैं, हालाँकि इस बात की मुझे कुरआन व हदीस से कोई दलील मालूम न हो सकी और न ही किसी आ़लिम का कोई क़ौल मिल सका।

७- फिर अगर सिर या आँख से भी इशारा करने की ताक़त न हो तो अपने दिल में नमाज़ पढ़े। पस (अतएव) तक्बीर कहे, क़िराअत करे और अपने दिल से रुकूअ़, सज्दा, क़ियाम और बैठने की नियत करे, हर इंसान को उसकी नियत के अनुसार बदला दिया जायेगा।

८- रोगियों पर हर नमाज़ को उसके समय पर अदा करना और उस में ज़रूरी विषयों को भरसक (जहाँ तक हो सके) पूरा करना आवश्यक है। लेकिन अगर उसके लिए हर नमाज़ समय पर अदा करना मुश्किल हो तो ज़ोहर और अ़स्र तथा मग़रिब और इशा की नमाज़ इकळी पढ़ सकता है। आसानी के मुताबिक़ जमा तक़्दीम यानी अ़स्र की नमाज़ ज़ोहर के साथ और इशा की नमाज़ मग़रिब के साथ या जमा ताख़ीर यानी ज़ोहर की नमाज़ अ़स्र के

साथ और मग़रिब की नमाज़ इशा के साथ पढ़ सकता है, जबकि फ़ज्र की नमाज़ किसी पहली या बाद वाली नमाज़ के साथ जमा नहीं की जा सकती।

६- अगर बीमार इंसान सफ़र में हो और अपने नगर के अ़लावा किसी दूसरे नगर में इलाज करा रहा हो तो वह चार रकअ़त वाली नमाज़ों को क़स्र करके पढ़े, अर्थात ज़ोहर, अ़स्र और इशा की नमाज़ दो दो रकअ़त करके पढ़े। यह छूट उसके अपने नगर को वापस आने तक बाक़ी रहेगी, चाहे सफ़र की अवधी (मुद्दत) लम्बी हो या थोड़ी हो। (मक़ालतुश्शैख़ मुहम्मद बिन सालेह अल्-उ़सैमीन रहेमहुल्लाह)

नमाज़ शुरू करने की दुआ़एं

((اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ)) [متفق عليه]

उच्चारणः ((अल्लाहुम्म बाइद् बैनी व बैन ख़तायाय कमा बाअ़द्त बैनल् मशरिक़ि वल्मग़रिबि अल्लाहुम्म नक़्क़िनी मिनल् ख़ताया कमा युनक़्क़स सौबुल् अब्यज़ु मिनद्दनसि अल्लाहुम्मग़्सिल् ख़तायाय बिल्माइ वस्सल्जि वल्बरदि।))

अर्थः ((ऐ अल्लाह! मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी कर दे जिस तरह तू ने मश्रिक़ (पूरब) और मग़रिब (पच्छिम) के दरमियान दूरी पैदा फ़रमाई। ऐ अल्लाह! मुझे मेरे गुनाहों से साफ़ कर दे जैसे सफ़ेद कपड़े को मैल से साफ़ किया जाता है। ऐ अल्लाह! मुझे मेरे गुनाहों से धो दे बरफ़, पानी और ओलों से।))

(आप ﷺ इसे फ़र्ज़ में पढ़ा करते थे।) (बुख़ारी व मुस्लिम)

((اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ. اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا فَإِنَّهُ لاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ)) [رواه مسلم]

उच्चारणः ((अल्लाहुम्म अनूतल् मलिक, ला इलाह इल्ला अनूत, अनूत रब्बी, व अना अ़ब्दुक, ज़लम्तु नफ़्सी, वअ़्तरफ़्तु बिज़म्बी, फ़ग़्फ़िर ली ज़ुनूबी जमीअ़ा, इन्नहू ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अनूत। अल्लाहुम्महदिनी लिअहसनिल अख़्लाक़, ला यहदी लिअहसनिहा इल्ला अनूत, वस्रिफ़ अ़न्नी सैयिअहा, फ़इन्नहू ला यस्रिफ़ु सैयिअहा इल्ला अनूत।))

अर्थः ((ऐ अल्लाह! तू ही बादशाह है, तेरे सिवा कोई सच्चा मअ़बूद नहीं, तू मेरा रब है और मैं तेरा बन्दा हूँ, मैं ने अपने आप पर जुल्म किया, और मैं ने गुनाहों का इक़रार किया, पस तू मेरे सब गुनाह क्षमा कर दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाह क्षमा नहीं कर सकता। ऐ अल्लाह! बेहतरीन अख़्लाक़ की तरफ़ मेरी रहनुमाई फ़रमा, तेरे सिवा बेहतरीन अख़्लाक़ की तरफ़ कोई रहनुमाई नहीं कर सकता, और मुझसे बुरे अख़्लाक़ दूर कर दे, क्योंकि तू ही मुझसे बुरे अख़्लाक़ को हटा सकता है।))

(आप ﷺ इसे फ़र्ज़ तथा नफ़िल में तक्बीरे तह्रीमा के बाद नमाज़ के शुरू में पढ़ा करते थे।) (मुस्लिम)

नमाज़ के अख़ीर की दुआएं

((اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ)) [رواه مسلم]

उच्चारणः ((अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक मिन अज़ाबि जहन्नम व

मिन अज़ाबिल क़बरि व मिन फ़ितनतिल मह्या वल्ममाति व मिन शर्रि फ़ितनतिल मसीहिद्दज्जाल।))

अर्थः- *((ऐ अल्लाह! तेरी शरण चाहता हूँ जहन्नम के अज़ाब से और क़ब्र के अज़ाब से और जीवन तथा मृत्यु के फ़ितने से और मसीह दज्जाल के फितने की बुराई से।))* (मुस्लिम) (आप ﷺ यह तशह्हुद के आख़िर में पढ़ा करते थे।)

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ)) [رواه النسائي بسند صحيح]

उच्चारणः ((अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ु बिक मिन शर्रि मा अ़मिल्तु, व मिन शर्रि मा लम् अअ़्मल्।))

अर्थः ((ऐ अल्लाह! तेरी शरण चाहता हूँ उस चीज़ से जो मैं ने किया और उस चीज़ से जो मैं ने नहीं किया।)) (इस हदीस को नसई ने सही सनद के साथ रिवायत किया है)

जनाज़े की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा

जनाज़े की नमाज़ पढ़ने वाला दिल से उसकी नीयत करे और फिर चार तक्बीरें कहेः

१- पहली तक्बीर के बाद 'अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम' और 'बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' पढ़कर सूरह फ़ातिहा पढ़े।

२- दूसरी तक्बीर के बाद दुरूदे इब्राहीमी (अल्लाहुम्म सल्लि अ़ला मुहम्मदिँव व अ़ला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अ़ला इब्राहीम व अ़ला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अ़ला मुहम्मदिँव व अ़ला आलि मुहम्मदिन कमा बारक्त अ़ला इब्राहीम व अ़ला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद) पढ़े।

३- तीसरी तक्बीर के बाद अल्लाह के रसूल ﷺ से वारिद

(साबित शुदा) यह दुआ पढ़ेः

((اللّٰهُمَّ اغفرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ. اللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ)) [رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح]

उच्चारणः ((अल्लाहुम्मग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्म मन अह्यय्तहू मिन्ना फअहयिहि अललइस्लामि व मन तवफ़्फ़यतहू मिन्ना फ़तवफ्फहू अ़लल्ईमान। अल्लाहुम्म ला तहरिमना अजरहू व ला तफ्तिन्ना बादहु।))

अर्थः- ((ऐ अल्लाह् क्षमा कर हमारे जीवितों को और हमारे मुर्दों को, हमारे उपस्थित को और हमारे अनुपस्थित को, हमारे छोटों को और बड़ों को, हमारे पुरूषों को और हमारी महिलाओं को। ऐ अल्लाह! हम में से जिनको तू जीवित रखे उसको इस्लाम पर जीवित रख और हम में से जिसको मृत्यु दे, तू उसको ईमान पर मृत्यु दे। ऐ अल्लाह! हमको इसके पुण्य से वंचित न रखना और उसके बाद हमको बुराईयों में मत डालना।)) (इस हदीस को इमाम अहमद और इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, और इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन सहीह कहा है)

४- चौथी तक्बीर के बाद इच्छानुसार दुआ़ करे और फिर दायीं तरफ़ सलाम फेर दे।

मौत का उपदेश

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ

عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدۡخِلَ ٱلۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَازَۗ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ﴾ [سورة آل عمران: ١٨٥]

''हर जान को मौत का मज़ा चखना है, और क़ियामत के दिन तुम्हें (तुम्हारे कामों का) पूरा पूरा बदला दिया जायेगा, चुनांचि जो इंसान जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाख़िल कर दिया गया वही सफल है, और दुनिया की ज़िंदगी तो केवल धोखे का सामान है।'' (सूरह आले इमरानः १८५) और किसी शायेर ने ख़ोब कहा है:

تَزَوَّدْ لِلَّذِي لَابُدَّ مِنْهُ   فَإِنَّ الْمَوْتَ مِيقَاتُ الْعِبَادِ

وَتُبْ مِمَّا جَنَيْتَ وَأَنْتَ حَيٌّ   وَكُنْ مُتَنَبِّهًا قَبْلَ الرُّقَادِ

سَتَنْدَمُ إِنْ رَحَلْتَ بِغَيْرِ زَادٍ   وَتَشْقَى إِذْ يُنَادِيكَ الْمُنَادِي

أَتَرْضَى أَنْ تَكُونَ رَفِيقَ قَوْمٍ   لَهُمْ زَادٌ، وَأَنْتَ بِغَيْرِ زَادِ؟

उस मौत की तैयारी का सामान करो जो हर शख़्स को निःसंदेह अपने समय पर आने वाली है। और ज़िंदगी में जो गुनाह कर चुके उनसे तौबा कर लो और क़ब्र में डाले जाने से पहले होशियार हो जाओ। अगर तुम बग़ैर तोशा के कूच किए तो शरमिंदगी होगी और जब पुकारने वाला पुकारेगा तो बद बख़्ती का सामना होगा। क्या तुम बग़ैर तोशा के ऐसे लोगों का हमसफ़र होना चाहते हो जो अपना तोशा साथ ले चुके हूँ।

ईदगाह में ईद की नमाज़

१- अल्लाह के रसूल ﷺ ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिन ईदगाह जाते तो वहाँ पहुँच कर सबसे पहले (ईद की) नमाज़ पढ़ते। (बुख़ारी)

२- अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((ईदुल फ़ित्र की

नमाज़ में पहली रकअ़त में सात और दूसरी रकअ़त में पाँच तक्बीरें कही जाएंगी और (दोनों रकअ़त में) उन तक्बीरों के बाद क़िराअत की जाएगी।)) (हसन, अबू दाऊद)

३- हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने हमें आदेश किया है कि हम ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा में हैज़ वाली औ़रतें और पर्दा में रहने वाली कुंवारी लड़कियाँ भी साथ ले जायें, लेकिन हैज़ वाली औ़रतें नमाज़ न पढ़ें, और वह ख़ैर (कल्याण) तथा मुसलमानों की दुआ़ में शरीक हों। हज़रत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं, मैं ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! अगर हम में से किसी बहन के पास ओढ़नी न हो तो फिर? आप ﷺ ने फ़रमायाः ((उसकी किसी बहन को चाहिए कि वह उसे अपनी ओढ़नी ओढ़ा दे।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

इन हदीसों से मालूम हुआ किः

१- ईद की दो रकअ़त नमाज़ पढ़ना सुन्नत है, जिसमें नमाज़ी पहली रकअ़त के शुरू में सात और दूसरी रकअ़त के शुरू में पाँच तक्बीरें कहे फिर सूरह फ़ातिहा और क़ुरआन में से जो याद हो पढ़े।

२- ईद की नमाज़ शहर से क़रीब किसी ईदगाह में अदा की जायेगी। अल्लाह के रसूल ﷺ ईदगाह की तरफ़ निकलते और आपके साथ बच्चे, औ़रतें और युवतियाँ यहाँ तक कि हैज़ वाली औ़रतें भी निकलतीं।

हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़त्हुल बारी में फ़रमाते हैंः इससे मालूम हुआ कि ईद की नमाज़ के लिए ईदगाह निकलना है, बग़ैर किसी ज़रूरत के मस्जिद में नहीं पढ़ी जायेगी।

ईदुल अज़्हा में क़ुर्बानी की ताकीद

१- अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((हमें चाहिये कि अपनी ईद का दिन नमाज़ से शुरू करें, फिर वापस आकर क़ुर्बानी करें। अतएव जिसने ऐसा किया उसने हमारी सुन्नत को अपना ली, और जिसने नमाज़ से पहले क़ुर्बानी का जानवर ज़बह किया तो (उसकी क़ुर्बानी नहीं हुई) बल्कि अपने घर वालों को खाने के लिए गोश्त का व्यवस्था किया।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

२- और आप ﷺ ने फ़रमायाः ((लोगो! हर घर पर क़ुर्बानी करना ज़रूरी है।)) (अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा, अहमद, इब्ने हजर ने फ़त्हुल बारी में इसे सहीह क़रार दिया है)

३- और अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((जो शख़्स सामर्थ्य (ताक़त) रखने के बावजूद क़ुर्बानी न करे वह हमारी ईदगाह में हाज़िर न हो।)) (इमाम अहमद वग़ैरह ने इसे रिवायत किया है और 'जामिउल उसूल' के प्रतिपादक (मुहक़्क़िक़) ने इसे हसन क़रार दिया है।)

इस्तिस्क़ा (बारिश मांगने) की नमाज़

१- नबी ﷺ ईदगाह की ओर इस्तिस्क़ा की नमाज़ पढ़ने के लिए निकले और बारिश के लिए दुआ़ मांगी, फिर क़िब्ला की ओर फिरकर दो रकअ़त नमाज़ पढ़ी और चादर उलट दी, चादर का दायाँ हिस्सा बायीं ओर कर दिया। (बुख़ारी)

२- हज़रत अनस बिन मालिक ﷺ से रिवायत है कि जब अकाल (क़हतसाली) पड़ता तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ﷺ हज़रत अ़ब्बास ﷺ से वर्षा की दुआ़ करवाते और फ़रमातेः या अल्लाह! हम तेरे रसूल ﷺ (जब वह ज़िन्दा थे) से बारिश की दुआ़ करवाते थे तो तू बारिश बरसाता था। और (अब जबकि तेरे नबी की

वफ़ात हो चुकी है) हम आपके चचा से तुझसे बारिश की दुआ़ करवाते हैं, अतः हम पर बारिश बरसा दे। अनस ﷺ कहते हैं कि उन पर बारिश नाज़िल होती थी।

३- यह हदीस इस बात की दलील है कि नबी अकरम ﷺ ज़िन्दा थे तो मुसलमान उनको दुआ़ का वसीला बनाते और उनसे बारिश के लिए दुआ़ करवाते, और जब वह रफ़ीक़े आला (सर्वोच्च दोस्त यानी अल्लाह) से जा मिले तो मुसलमानों ने मृत नबी से दुआ़ नहीं करवाई बल्कि हज़रत अ़ब्बास ﷺ (जो अभी ज़िन्दा थे) से दुआ़ करवाई। पस अ़ब्बास ﷺ उनके लिए अल्लाह से बारिश की दुआ़ फ़रमाते।

ख़ुसूफ़ (सूरज गरहन) और कुसूफ़ (चांद गरहन) की नमाज़

१- हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ﷺ के ज़माने में सूरज गरहन लगा तो आप ने एलान कराया कि नमाज़ के लिए इकळे हो जाओ, फिर आप ﷺ ने चार रुकूअ़ और चार सज्दों में दो रकअ़त नमाज़ अदा की यानी हर रकअ़त में दो रुकूअ़ और दो सज्दे किये। (बुख़ारी)

२- हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वह फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ﷺ के ज़माने में सूरज गरहन लगा तो आप ने लोगों को इस तरह नमाज़ पढ़ाई कि आप ने क़िराअत लम्बी की, फिर रुकूअ़ किया और लम्बा रुकूअ़ किया, फिर अपना सिर उठाया और लम्बी क़िराअत की जो पहली क़िराअत के मुक़ाबले में कुछ कम थी, फिर लम्बा रुकुअ़ किया जो पहले रुकूअ़ से छोटा था, फिर अपना सिर उठाया और दो सज्दे किये, फिर खड़े हुए और दूसरी रकअ़त में उसी तरह किया, और जब आप ने सलाम फेरा तो उस समय सूरज रौशन हो चुका था,

फिर लोगों के सामने ख़ुत्बा देते हुए फ़रमायाः ((सूरज और चांद किसी की मौत या ज़िन्दगी की वजह से नहीं गहनाते, बल्कि यह तो अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं जो कि अपने बन्दों को (डराने के लिए) दिखाते हैं। अतः जब तुम यह देखो तो नमाज़ की तरफ़ दौड़ो, अल्लाह से दुआ करो, दुरूद पढ़ो और सदक़ा करो।... ऐ मुहम्मद की उम्मत! अगर तुम्हारी ग़ैरत बरदाश्त नहीं करती कि तुम्हारा कोई ग़ुलाम या लौंडी ज़िना करे तो अल्लाह तआला तुमसे भी ज़्यादा ग़ैरतमंद है कि उसका बन्दा या बन्दी ज़िना करे। ऐ मुहम्मद की उम्मत! अगर तुम्हें वह बातें मालूम होतीं जो मुझे मालूम हैं तो तुम बहुत थोड़ा हँसते और बहुत ज़्यादा रोते। क्या मैंने पहुँचा नहीं दिया?)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

इस्तिख़ारा की नमाज़

हज़रत जाबिर ﵁ से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि अल्लाह के रसूल ﷺ हमें हर विषय में इस्तिख़ारा इस तरह सिखाते थे जिस तरह हमें क़ुरआन की सूरह सिखाया करते थे। आप ﷺ फ़रमाते हैंः ((जो शख़्स किसी काम का इरादा करे, उसे चाहिए कि दो रकअ़त नफ़िल नमाज़ पढ़े फिर कहेः

((اَللّٰهُمَّ انّی اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ؛ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ؛ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ؛ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلااَقْدِرُ؛ وَتَعْلَمُ وَلااَعْلَمُ؛ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ* اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَاالْاَمْرَ خَیْرٌ لِیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ (أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ اَمْرِیْ وَآجِلِهِ) فَاقْدُرْهُ لِیْ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ، وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَاالْاَمْرَ شَرٌّلِیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ (أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ اَمْرِیْ وَآجِلِهِ) فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ

بِهِ)). (قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ). [رواه البخاري]

उच्चारणः अल्लाहुम्म इन्नी अस्तख़ीरुक बिइल्मिक, व अस्तक़्दिरुक बिक़ुद्रतिक, व अस्अलुक मिन फ़ज़्लिकल् अ़ज़ीम, फ़इन्नक तक़्दिरु व ला अक़्दिर, व तअ़्लमु व ला अअ़्लम, व अन्त अ़ल्लामुल् ग़ुयूब। अल्लाहुम्म इन् कुन्त तअ़्लमु अन्न हाज़ल् अम्र ख़ैरुन ली फ़ी दीनी व मआ़शी व आ़क़िबति अम्री (औ क़ाला फ़ी आ़जिलि अम्री औ आजिलिहि) फ़क़्दुरहु ली, व यस्सिरहु ली, सुम्म बारिक ली फ़ीह, व इन् कुन्त तअ़्लमु अन्न हाज़ल् अम्र शर्रुन ली फ़ी दीनी व मआ़शी व आ़क़िबति अम्री (औ क़ाला फ़ी आ़जिलि अम्री औ आजिलिहि) फ़स्रिफ़हु अ़न्नी वस्रिफ़नी अ़न्हु, वक़्दुर लियल्ख़ैर हैसु कान, सुम्म रज़्ज़िनी बिहि।

((या अल्लाह! मैं तेरे ज्ञान (इल्म) के द्वारा भलाई चाहता हूँ और तेरी क़ुदरत की मदद से काम करने की ताक़त मांगता हूँ और तुझसे तेरी महान कृपा (रहमत) का सवाल करता हूँ, बेशक तू क़ुदरत (सामर्थ्य) रखता है और मैं क़ुदरत नहीं रखता, तू जानता है और मैं नहीं जानता और तू ग़ैब (परोक्ष) का जानने वाला है। या अल्लाह! अगर तेरे इल्म के मुताबिक़ यह काम (उस काम का उल्लेख करेगा) मेरे लिए दीनी और दुनियावी मामलों और नतीजा के लिहाज़ से (या कहाः मेरी दुनिया अथवा आख़िरत में) बेहतर है तो तू मेरे लिए निर्धारित कर दे, उसे मेरे लिए आसान कर दे और उस में मेरे लिए बरकत दे। और अगर तेरे इल्म के मुताबिक़ यह काम (उस काम का उल्लेख करेगा) मेरे लिए दीनी और दुनियावी मामलों और नतीजा के लिहाज़ से (या कहाः मेरी दुनिया अथवा आख़िरत में) हानिकारक है तो उसे मुझसे दूर कर दे और मुझे उससे दूर कर दे और मेरे लिए भलाई निर्धारित कर दे वह जहाँ

कहीं हो और मुझे उस पर संतुष्ट कर दे।)) (बुख़ारी)

जैसे एक इंसान इलाज के लिए ख़ुद दवा का इस्तेमाल करता है ऐसे ही उसे यह नमाज़ और दुआ ख़ुद करना चाहिए और उसे इसका यक़ीन हो कि उसने अपने जिस रब से इस्तिख़ारा (भलाई तलब) किया है वह ज़रूर किसी बेहतर रास्ते की ओर उसकी मार्गदर्शन (रहनुमाई) करेगा। और उस भलाई की निशानी यह है कि आपके लिए उस काम के अस्बाब आसान हो जायेंगे। और बिदअ़ती इस्तिख़ारे से बचें जो सपूनों तथा पति-पत्नी के नामों का हिसाब लगाकर और विभिन्न रूप से किये जाते हैं जिसकी कोई बुनियाद दीन में नहीं है।

नमाज़ी के आगे से गुज़रने से सावधान

अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((अगर नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाले को पता चल जाये कि उस पर कितना गुनाह है तो उसके लिए चालीस (दिन/महीने/साल) खड़ा रहना नमाज़ी के आगे से गुज़रने से बेहतर है।)) (बुख़ारी)

अबुन्नज़्र ने कहाः मैं नहीं जानता कि चालीस दिन या चालीस महीने या चालीस साल कहा।

इब्ने ख़ुज़ैमा की रिवायत में आया हैः ((चालीस साल)) और इसे इब्ने हजर ने सही क़रार दिया है।

इस हदीस में नमाज़ी के सामने उसके सज्दे की जगह से गुज़रने में बहुत बड़े गुनाह की ख़बर दी गई है। और अगर गुज़रने वाले को गुनाह का इल्म हो तो वह चालीस साल तक इंतेज़ार करना तो सहन कर लेगा लेकिन नमाज़ी के आगे से नहीं गुज़रेगा, अल्बत्ता नमाज़ी के सज्दागाह से दूर से गुज़रने में कोई नुक़सान नहीं, जैसे कि उस हदीस से पता चलता है जिसमें सज्दा की हालत

में हाथ रखने की जगह बताई गई है।

और नमाज़ी को चाहिए कि वह अपने सामने सुतरह रख लिया करे, ताकि गुज़रने वाले सचेत हो जायें। आप ﷺ ने फ़रमायाः ((जब तुम में से कोई सुतरह रखे नमाज़ पढ़ रहा हो और कोई उसके सामने से गुज़रना चाहे तो उसे रोक दे और पीछे हटा दे। अगर फिर भी बाज़ न आए तो उसे सख़्ती से रोके, क्योंकि वह शैतान है।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

नमाज़ी के सामने से गुज़रने की मुमानअ़त (सतर्कता) पर दलालत करने वाली बुख़ारी की यह सहीह हदीस मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी को भी शामिल है, क्योंकि हदीस अ़ाम है, और इस लिए भी कि आप ﷺ ने जब यह हदीस बयान फ़रमाई तो मक्का या मदीना ही में बयान फ़रमाई, जिसकी दलील निम्नलिखित बातें हैंः

१- इमाम बुख़ारी ने 'नमाज़ी अपने सामने से गुज़रने वाले को रोकेगा' के बाब (परिच्छेद) में उल्लेख किया है किः इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने कअ़बा में तशह्हुद के दौरान आगे से गुज़रने वाले को रोका, और फ़रमायाः अगर गुज़रने से न रुके मगर यह कि तुम उसे सख़्ती से रोको तो तुम उसे सख़्ती से रोको।

हाफ़िज़ इब्ने हजर ने फ़त्हुल बारी में फ़रमायाः ख़ुसूसियत (विशेषता) के साथ कअ़बे का ज़िक्र (उल्लेख) किया गया ताकि यह भ्रम न रहे कि बैतुल्लाह में भीड़ होने के कारण आगे से गुज़रना जायज़ है। उपरोक्त असर को इमाम बुख़ारी के उस्ताद अबू नईम ने किताबुस्सलाह में कअ़बे का मौसूलन ज़िक्र फ़रमाया है।

२- रही वह हदीस जिसे इमाम अबू दाऊद ने अपने सुनन में उल्लेख किया है तो वह सहीह नहीं है, क्योंकि उसमें एक मज्हूल रावी है। उस हदीस की इबारत यह हैः

حدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ.
قَالَ سُفْيَانُ: لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ.

قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَنْهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا كَثِيرٌ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ أَبِي سَأَلْتُهُ، وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِي عَنْ جَدِّي.

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: مَعْلُولٌ [١/٥٧٦].

हमसे हदीस बयान किया अहमद बिन हम्बल ने, कहाः हमसे हदीस बयान किया सुफ़यान बिन उ़ययना ने, कहाः मुझसे हदीस बयान किया कसीर बिन कसीर बिन मुत्तलिब बिन अबू वदाअ़ह ने, वह रिवायत करते हैं अपने बअ़ज़ घर वालों से, वह रिवायत करते हैं अपने दादा से कि उन्होंने अल्लाह के रसूल ﷺ को बनी सहम के दरवाज़े के निकट नमाज़ पढ़ते हुये देखा इस हाल में कि लोग आपके आगे से गुज़र रहे थे और उन दोनों के दरमियान कोई सुतरह नहीं था।

सुफ़यान ने कहाः उन दोनों के दरमियान सुतरह नहीं था यानी आप ﷺ के और कअ़बा के दरमियान सुतरह नहीं था।

सुफ़यान ने कहाः हमें इब्ने जुरैज ने इसके बारे में ख़बर देते हुए कहाः हमें कसीर ने अपने बाप से रिवायत करते हुए ख़बर दिया, कहाः मैं ने उनसे सवाल किया तो कहा कि मैं ने अपने बाप से नहीं सुना, बल्कि मैं ने अपने बअ़ज़ घर वालों से सुना जो मेरे दादा से रिवायत करते हैं।

हाफ़िज़ इब्ने हजर ने फ़त्हुल बारी में फ़रमायाः यह हदीस मअ़लूल है। (१/५७६)

३- बुख़ारी में (मक्का और उसके अ़लावा में सुतरह) के अनुच्छेद (बाब) में आया हैः अबू जुहैफ़ा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ﷺ दोपहर के समय बतहा (मक्का) की ओर निकले और आगे के हिस्से में लोहा लगा हुआ लाठी अपने सामने गाड़कर ज़ोहर और अ़स्र की दो दो रकअ़त नमाज़ अदा फ़रमाई।

सारांश यह है कि नमाज़ी के आगे से उसकी सज्दा की जगह से गुज़रना हराम है। और जब वह अपने सामने सुतरह रखे हुए हो फिर भी कोई उसके सामने से गुज़रे तो इसमें सख़्त गुनाह और धमकी है, चाहे हरम में हो या उसके अ़लावा किसी अन्य स्थान में हो, उपरोक्त सहीह हदीसों के आधार पर। सख़्त भीड़ के समय मजबूर व्यक्ति के लिए नमाज़ी के आगे से गुज़रना जायज़ हो सकता है।

४- जब सख़्त भीड़ हो तो हरज (असुविधा) और गुनाह दूर करने के लिए सुन्नत नमाज़ मुअख़्ख़र (बिलंब) करके पढ़ना मुस्तहब है।

रसूलुल्लाह ﷺ की क़िराअत और नमाज़

१- अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً﴾ [سورة المزمل: ٤]

''और क़ुरआन को ख़ूब ठहर ठहर कर पढ़ा करो।'' (सूरह अल्-मुज़्ज़म्मिलः ४)

२- आप ﷺ तीन दिन से कम की अवधी (मुद्दत) में क़ुरआन ख़त्म नहीं करते थे। (सहीह, इसे इब्ने साद ने रिवायत किया है)

३- आप ﷺ हर आयत पढ़कर रुकते और फिर अगली आयत पढ़ते। चुनांचि ﴿**الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**﴾ कह कर रुकते फिर

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ पढ़ते और रुक जाते। (सहीह, तिरमिज़ी)

४- आप ﷺ फ़रमाया करतेः ((कुरआन अच्छी और रसीली आवाज़ में पढ़ा करो, क्योंकि अच्छी आवाज़ कुरआन के हुस्न (सुंदरता) को दोबाला कर (बढ़ा) देती है।)) (सहीह, अबू दाऊद)

५- आप ﷺ कुरआन पढ़ते हुए अपनी आवाज़ ज़्यादा खींचते थे। (सहीह, अहमद)

६- आप ﷺ मुर्ग़ की आवाज़ सुनकर नींद से जागते। (बुख़ारी व मुस्लिम)

७- आप ﷺ (कभी कभी) अपने जूतों में नमाज़ पढ़ते। (बुख़ारी व मुस्लिम)

८- आप ﷺ अपने दायें हाथ से तस्बीह (ज़िक्र-अज़्कार) का शुमार करते। (सहीह, अबू तिरमिज़ी व अबू दाऊद)

६- जब आप ﷺ को कठिनाई होती तो आप नमाज़ पढ़ते। (हसन, अहमद व अबू दाऊद)

१०- आप ﷺ जब नमाज़ में बैठते तो अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखते और दायें हाथ के साथ वाली उँगली उठाये दुआ़ करते। (मुस्लिम, सिफ़तुल जुलूसि फ़िस-सलात ५/८०)

११- (नमाज़ में बैठे हुए) आप ﷺ अपने दायें हाथ की (शहादत) उँगली को हिलाते हुए दुआ़ करते। (सहीह, नसई) और आप ﷺ फ़रमातेः ((उसकी चोट शैतान के ऊपर लोहे से भी ज़्यादा सख़्त है।)) (हसन, अहमद)

१२- आप ﷺ (नमाज़ में) अपना दायाँ हाथ बायें हाथ पर रखकर सीना पर रखते। (इब्ने खुज़ैमा आदि ने रिवायत किया है और तिरमिज़ी ने हसन क़रार दिया है। एवं इमाम नववी ने मुस्लिम की व्याख्या में इसका उल्लेख फ़रमाया और नाफ़ के नीचे हाथ बाँधने वाली हदीस को ज़ईफ़ बताया है।)

१३- चारों इमाम इस बात 'जब सहीह हदीस मिल जाये वही मेरा मज़हब है' पर मुत्तफ़िक़ (एकमत) हैं। अतः तशह्हुद में उँगली को हरकत देना और नमाज़ में सीने पर हाथ रखना उनका मज़हब है, और यह नमाज़ की सुन्नतों में से हैं।

१४- शहादत की उँगली को नमाज़ में हरकत देना इमाम मालिक वग़ैरह और बअ़ज़ शाफ़िइया का मज़हब है, जैसाकि इमाम नववी ने शरहुल मुहज़्ज़ब (३/४५४) में और जामिउ़ल उसूल के मुहक़्क़िक़ (प्रतिपादक) ने (५/४०४) में उल्लेख किया है।

रसूल ﷺ ने उपरोक्त हदीस में उँगली को हरकत देने (हिलाने) की हिक्मत बयान फ़रमाया, जिसमें है कि इस तरह उँगली को हरकत देना शैतान पर लोहे की चोट से भी ज़्यादा सख़्त है, और यह इसलिए कि उँगली का हरकत देना अल्लाह की तौहीद की तरफ़ इशारा है, क्योंकि वह तौहीद को नापसंद करता है।

अतः मुस्लिम पर वाजिब है कि वह रसूल ﷺ की पैरवी करे और आपकी सुन्नत का इंकार न करे। जैसाकि आप ﷺ ने इर्शाद फ़रमायाः ((इस तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो।)) (बुख़ारी)

अल्लाह के रसूल ﷺ की इबादत

१- अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۝١ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝٢﴾ [سورة المزمل: ١،٢]

''ऐ चादर ओढ़ने वाले! रात का क़ियाम करो सिवाये कुछ हिस्से के'' (सूरह अल-मुज़्ज़म्मिलः १,२)

२- हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैंः अल्लाह के रसूल ﷺ रमज़ान में और रमज़ान के अ़लावा में (क़ियामुल्लैल)

ग्यारह रकअ़त से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। आप चार रकअ़त (इस तरह) पढ़ते कि उनकी हुस्न व तूल (सुंदरता और लम्बाई) के बारे में मत पूछो, फिर आप चार रकअ़त (इस तरह) पढ़ते कि उनकी हुस्न व तूल (सुंदरता और लम्बाई) के बारे में मत पूछो, फिर तीन रकअ़त पढ़ते। मैंने पूछाः क्या आप वित्र से पहले सोते भी हैं? आप ﷺ ने फ़रमायाः ((ऐ आइशा! मेरी आँखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

३- हज़रत अस्वद बिन यज़ीद फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से अल्लाह के रसूल ﷺ की रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमायाः आप रात का पहला पहर सोते, फिर क़ियाम करते, और जब सेहरी का समय होता तो वित्र पढ़ते, फिर अपने बिस्तर पर आते, अगर अपने अह्ल (बीवी) की ज़रूरत होती तो ज़रूरत पूरी करते, फिर जब अज़ान सुनते तो फ़ौरन उठ जाते, अगर जुन्बी होते तो ग़ुस्ल करते नहीं तो वुज़ू करके नमाज़ के लिए निकल जाते। (बुख़ारी व मुस्लिम आदि ने रिवायत किया है)

४- हज़रत अबू हुरैरह ﷺ फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ﷺ (रात को) इतनी लम्बी नमाज़ पढ़ते कि आपके दोनों पाँव सूज जाते। आप से कहा जाता कि ऐ अल्लाह के रसूल! आपको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है जबकि अल्लाह ने आपके अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दिये हैं, तो आप फ़रमातेः ((क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

५- अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((तुम्हारी दुनिया में से मेरे लिए औरतें और ख़ुश्बू पसंदीदा बना दी गई है और नमाज़ में मेरी आँखों की ठंडक का सामान किया गया है।)) (सहीह, अहमद)

ज़कात और इस्लाम में उसका महत्व

ज़कात का अर्थः ज़कात ऐसा हक़ (अधिकार) है जो चंद शर्तों के साथ माल में निर्धारित समय (मुक़र्रर वक़्त) में वाजिब होता है, और यह निर्दिष्ट सम्प्रदाय (मख़्सूस लोगों) को दिया जाता है।

ज़कात इस्लाम के महान अर्कान और बुनियादों में से एक रुक्न और बुनियाद है, जिसका उल्लेख अल्लाह की किताब क़ुरआन में बहुत सी जगहों पर नमाज़ के साथ किया गया है।

सभी मुसलमान उसके फ़र्ज़ होने पर एकमत तथा सम्मत (मुत्तफ़िक़) हैं। अतः जो व्यक्ति जानने के बाद उसकी फ़र्ज़ियत का इंकार करे वह काफ़िर है, दीने इस्लाम से ख़ारिज है। और जो उसमें कंजूसी करे तथा उससे कुछ घटाये तो उसके लिए सख़्त यातना और अ़ज़ाब की चेतावनी आई है। इसकी दलीलों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ﴾ [سورة البقرة: ١١٠]

''और नमाज़ क़ायम करो और ज़कात अदा करो।'' (सूरह अल्-बक़रहः ११०) और फ़रमाया अल्लाह तआला नेः

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ﴾ [سورة البينة: ٥]

''और उन्हें हुक्म दिया गया कि अल्लाह के लिए दीन को ख़ालिस करते हुए उसी की इबादत करें यकसू होकर और नमाज़ क़ायम

करें और ज़कात अदा करें, और यही सच्चा दीन है।'' (सूरह अल्-बैयिनाः ५)

और बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर हैः -उनमें से आपने- ज़कात का ज़िक्र फ़रमाया।))

और बुख़ारी में मुआ़ज़ ﷺ के घटना में है कि आप ﷺ ने उन्हें यमन की तरफ़ भेजते हुये फ़रमाया थाः ((--- अगर वह इसे मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह तआ़ला ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके धनी लोगों से लेकर उनके फ़क़ीरों में बाँटी जायेगी।))

और ज़कात न अदा करने वाले के काफ़िर हो जाने के बारे में अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ﴾

[سورة التوبة: ١١]

''अतः अगर वे (काफ़िर) तौबा कर लें और नमाज़ के पाबंद हो जायें और ज़कात अदा करें तो वे तुम्हारे दीनी भाई हैं।'' (सूरह अत्तौबाः ११)

आयत का मफ़हूम यह है कि जो व्यक्ति नमाज़ क़ायम नहीं करता और ज़कात अदा नहीं करता वह हमारा दीनी भाई नहीं हो सकता, बल्कि वह काफ़िरों में से है। इसी लिए हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ ﷺ ने नमाज़ और ज़कात में अन्तर करने वालों और नमाज़ क़ायम करने के बावजूद ज़कात न देने वालों से जंग की, और सभी सहाबियों ने एकमत होकर आपका साथ दिया, इसलिए उनके इस अ़मल की हैसियत इजमाअ़ की है।

ज़कात के फ़र्ज़ होने की हिक्मत

ज़कात के फ़र्ज़ होने की बहुत सी हिक्मतें, महान उद्देश्य (मक़्सद) और मस्लहतें हैं, जो किताब और सुन्नत की उन आयतों और हदीसों पर ग़ौर करने से सामने आती हैं जिनमें ज़कात अदा करने का हुक्म दिया गया है। मिसाल के तौर पर सूरह तौबा की वह आयत है जिसमें ज़कात के मुस्तहिक़ (हक़्दार) लोगों का बयान आया है। इसी तरह वह आयतें और हदीसें जिनमें भलाई के कामों में माल ख़र्च करने की तर्ग़ीब (प्रेरणा) दी गई है। उन हिक्मतों में से कुछ यह हैं:

१- गुनाह और पापों की ज़ंग और दिलों पर पड़े गुनाहों के बुरे आसार (प्रभावों) से मोमिन के नफ़्स की सफ़ाई करना, और उसकी रूह (आत्मा) को बख़ीली तथा कंजूसी की गंदगी और उसके बुरे आसार से पाक करना। अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [سورة التوبة: ١٠٣]

''आप उनके मालों में से सदक़ा (ज़कात) ले लीजिये, जिसके ज़रीये से आप उनको पाक साफ़ कर दें।'' (सूरह अत्तौबाः १०३)

२- ग़रीब मुसलमानों की मदद करना, उसकी ज़रूरत पूरी करना, उसकी ग़मख़ारी (सहानुभूति) करना और उसे ग़ैरुल्लाह (अल्लाह के अ़लावा) से सवाल करने से बचाना।

३- मुसलमान क़र्ज़दारों का क़र्ज़ अदा करके उसकी परेशानी ख़त्म करना।

४- बिखरे हुये दिलों को ईमान व इस्लाम पर जमा करना और उनमें पक्का ईमान न होने के कारण पैदा होने वाले संदेहों तथा बेचैनियों से उन्हें मज़बूत ईमान और कामिल यक़ीन की तरफ़

फेरना।

५- अल्लाह के रास्ते में लड़ाई करने वालों को तैयार करना, इस्लाम के प्रचार-प्रसार के लिए लड़ाई का साज़ व सामान मुहय्या करना, कुफ्ऱ व फ़साद को मिटाना और लोगों के दरमियान इन्साफ़ का झंडा बुलंद करना, ताकि फ़ितना (शिर्क) न रहे और दीन अल्लाह ही का हो जाये।

६- ऐसे मुसलमान यात्रियों की मदद करना जिसके रास्ते का खाना-पीना ख़त्म हो चुका हो और उसके पास इतना ख़र्चा न हो जो उसके लिए काफ़ी हो, तो उसे ज़कात में से इतना माल दिया जायेगा जो उसके घर पहुँचने तक उसकी ज़रूरत को पूरी कर सके।

७- अल्लाह तआला की इताअ़त (आज्ञाकारिता) की बरकत से, उसके हुक्म की ताज़ीम (सम्मान) करके और उसकी सृष्टि (मख़्लूक़) पर एहसान की बदौलत माल को पाक करना, उसे बढ़ाना, उसकी रक्षा करना और उसे आपदों (आफ़तों) से बचाना।

यह हैं चंद उच्च्य हिक्मतें और महान मक़ासेद (उद्देश्य) जिनको सामने रखकर ज़कात मशरूअ़ (विधिसम्मत) की गई। इनके अ़लावा और भी बहुत से भेद तथा हिक्मतें हैं जिनका इहाता (आयत्त) अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई नहीं कर सकता है।

जिन मालों में ज़कात वाजिब है

चार तरह की चीज़ों में ज़कात वाजिब हैः

१- ज़मीन से उगने वाले अनाज और फलः अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ

أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ﴾ [سورة البقرة: ٢٦٧]

''ऐ ईमान वालो! अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी निकाली हुई चीज़ों में से ख़र्च करो। उनमें से बुरी चीज़ों के ख़र्च करने का इरादा (संकल्प) न करना, जिसे तुम खुद लेने वाले नहीं हो, हाँ अगर आँखें बंद कर लो तो।'' (सूरह अल्-बक़रहः २६७) अल्लाह तआ़ला और फ़रमायाः

﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ﴾ [سورة الأنعام: ١٤١]

''और उस (फसल) का हक़ उसके काटने के दिन ही अदा कर दो।'' (सूरह अल्-अन्आ़मः १४१)

और माल का सबसे बड़ा हक़ ज़कात है। नबी ﷺ ने फ़रमायाः ((जो फसल बारिश या झरनों के पानी से सैराब हो उसमें दसवाँ हिस्सा और जिस फसल को खुद पानी पटाया जाये उसमें बीसवाँ हिस्सा ज़कात निकाली जायेगी।)) (बुख़ारी)

२- सोना, चाँदी और नक़दीः अल्लाह तअ़ला ने फरमायाः

﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [سورة التوبة: ٣٤]

''और जो लोग सोने चाँदी का ख़ज़ाना रखते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अ़ज़ाब की ख़बर पँहूचा दीजिए।'' (सूरह अत्तौबाः ३४)

और सहीह मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमायाः ((जो भी सोने और चाँदी का मालिक उसका हक़ नहीं निकालता, क़ियामत के दिन उसके लिए जहन्नम

की आग से सलाखें तैयार की जायेंगी और उनको जहन्नम की आग से गरम करके उसके पहलू, पेशानी और पीठ को दाग़ा जायेगा। और जब जब वह सलाखें ठंडी होंगी उन्हें दोबारा गरम किया जायेगा। और यह उस दिन होगा जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार साल की होगी, यहाँ तक कि बंदों के दरमियान फ़ैसला कर दिया जाये।))

'उसका हक़' से मुराद उसकी ज़कात है, क्योंकि दूसरी रिवायत में आया हैः ((जो भी सोने और चाँदी का मालिक उसकी ज़कात नहीं निकालता---)) (मुस्लिम)

३- व्यापार का माल (तिजारती सामान): इससे मुराद हर वह चीज़ है जो कमाने और तिजारत की ग़र्ज़ (उद्देश्य) से तैयार की जाये, जैसेः अक़ार (ग़ैर मन्क़ूल जायदाद/स्थावर संपत्ति), जानवर, खाने पीने का सामान और गाड़ी इत्यादि। अतः हर साल के ख़त्म होने पर उसका मालिक उस माल के मूल्य का अनुमान लगाये और उस अनुमानित मूल्य का ढ़ाई प्रतिशत ज़कात निकाले, चाहे यह राशि उसके ख़रीद मूल्य के बराबर हो या उससे कम या उससे ज़्यादा हो। इसी तरह जनरल स्टोर, मोटर हाउस और स्पेयर पार्टस आदि के मालिकों को चाहिए कि वह अपनी दूकानों में मौजूद सामानों की हर छोटी बड़ी चीज़ की गिनती करते हूए हिसाब लगाएं और उसकी ज़कात निकालें। लेकिन अगर उनके लिए इस तरह से हर छोटी बड़ी चीज़ की गिनती मुम्किन न हो तो एहतियात का ख़्याल रखते हुए इस तरह से ज़कात निकालें जिससे वह अपनी ज़िम्मेदारी से बरी (मुक्त) हो सकें।

४- मवेशीः इससे मुराद ऊँट, गाय, बकरी और भेड़ है। शर्त यह है किः (क) वे जानवर चरागाहों में चरने वाले हों। (ख)

दूध और नस्ल वृद्धि के लिए तैयार किये गये हों। (ग) ज़कात के निसाब की हद तक जा पहूँचें।

चरने वाले जानवारों से मुराद वे जानवर हैं जो पूरा साल या साल के ज़्यादातर हिस्से में चरागाहों की घास-फूस पर गुज़र बसर करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं यानी उन्हें ज़्यादातर दिनों में चारा मुहय्या करना पड़ता हो तो फिर केवल उस समय उन में ज़कात फ़र्ज़ होगी जब वे व्यापारिक उद्देश्य (तिजारती मक़्सद) से तैयार किये जायें। अतः अगर ख़रीद व फ़रोख़्त के लिए तैयार किये गये हों तो उनके व्यापार का माल होने के लिहाज़ से उनमें ज़कात निकाली जायेगी, चाहे वे चरागाहों में चरने वाले हों या ख़ुद चारा मुहय्या करके पाले जायें।

ज़कात के निसाब की मिक़्दार (परिमाण)

१- अनाज और फलः

इसका निसाब पाँच वसक़ है जो कि ६१२ किलोग्राम अच्छे गेहूँ के बराबर है। अतः अगर अनाज या फल ६१२ किलोग्राम तक पहुँच जायें तो अगर वह फसल नहरों या वर्षा के पानी से सींची गई हो तो उस में दसवाँ हिस्सा और अगर वह फसल मेहनत और परिश्रम से सींची गई हो तो उस में बीसवाँ हिस्सा ज़कात निकाली जायेगी।

२- नक़्दी या क़ीमतः

(क) सोनाः इसका निसाब बीस दीनार है जो कि ८५ ग्राम के बराबर है। अतः अगर सोने का वज़न ८५ ग्राम या उससे ज़्यादा हो तो उसकी ढ़ाई प्रतिशत ज़कात निकालनी होगी।

(ख) चाँदीः इसका निसाब पाँच अवाक़ है जो कि ५६५ ग्राम के बराबर है। अतः अगर चाँदी ५६५ ग्राम या उससे ज़्यादा

हो तो उस में से ढ़ाई प्रतिशत ज़कात निकालनी होगी।

(ग) क्रेंसीः अगर क्रेंसी सोने या चाँदी के निसाब के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो उस में भी ढ़ाई प्रतिशत ज़कात निकालनी होगी।

३- व्यापार का मालः

उसके मूल्य का अंदाज़ा सोने या चाँदी के निसाब से लगाया जायेगा और उस में से ढ़ाई प्रतिशत ज़कात निकाली जायेगी।

४- मवेशीः

(क) ऊँटः ऊँट का कम से कम निसाब पाँच ऊँट है जिस में एक बकरी ज़कात है।

(ख) गायः गाय का कम से कम निसाब तीस गाय है जिस में एक साल का गाय का बछड़ा ज़कात है।

(ग) बकरीः बकरी का कम से कम निसाब चालीस बकरी है जिस में एक बकरी ज़कात है।

अधिक जानकारी के लिए हदीस और फ़िक़ह की किताबें देखिए।

ज़कात वाजिब होने की शर्तें

१- इस्लामः अतः काफ़िर और मुर्तद्द (धर्मत्यागी) पर ज़कात वाजिब नहीं है।

२- मुकम्मल मिलकियतः जिस माल की ज़कात निकाली जायेगी वह उसके हाथ में और उसके तसर्रुफ़ (क़ब्ज़े) में हो या उसके हासिल करने पर क़ादिर (समर्थ) हो।

३- माल का ज़कात के निसाब को पहुँच जानाः यानी यह कि माल उस निसाब को पहुँच जाये जिसकी तहदीद (निर्धारण) शरीअ़त ने की है, और वह माल के हिसाब से मुख़्तलिफ़ (अलग

अलग) है, जैसाकि पहले इसका बयान हो चुका है कि कुछ मालों में अंदाज़ा लगाकर और बाक़ी में निर्धारित (मुअय्यना) मिक़्दार पर ज़कात निकाली जायेगी।

४- साल का गुज़रनाः वह यह कि निसाब की सीमा तक माल मिल्कियत में आये हुए साल मुकम्मल हो चुका हो, लेकिन ज़मीन से उगने वाली चीज़ों की ज़कात उसकी कटाई के समय निकाली जायेगी। इसी तरह चरागाहों में पलने वाले जानवरों की पैदावार और व्यापारिक मालों से हासिल होने वाले मुनाफ़े की ज़कात उनके अस्ल (मूल) पर साल गुज़रने पर ही निकाली जायेगी।

५- हुर्रियत (आज़ादी): अतः गुलाम पर ज़कात वाजिब नहीं है, क्योंकि वह किसी चीज़ का मालिक नहीं होता है, बल्कि वह और उसका माल उसके मालिक की मिल्कियत होती है।

ज़कात के हक़्दार लोग

ज़कात के हक़्दारों का ज़िक्र ख़ुद अल्लाह तआला ने किया है, चुनांचि इर्शाद फ़रमायाः

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَـٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة التوبة: ٦٠]

''सदक़े (ज़कात) सिर्फ़ फ़क़ीरों के लिए हैं और मिस्कीनों के लिए और उनके उसूल करने वालों के लिए और उनके लिए जिनके दिल परचाये जाते हों और गर्दन छुड़ाने में और क़र्ज़दारों के लिए और अल्लाह की राह में और मुसाफ़िरों के लिए, फ़र्ज़ है अल्लाह की तरफ़ से, और अल्लाह इल्म व हिक्मत वाला है।'' (सूरह अत्तौबाः ६०)

अल्लाह तआ़ला ने इस आयत में जिन आठ क़िस्म के लोगों को ज़कात का हक़्दार ठहराया है वह निम्नलिखित हैं:

१- **फ़क़ीरः** इससे मुराद वह इंसान है जो अपनी ज़रूरतों का आधा या उससे भी कम का मालिक हो, और फ़क़ीर मिस्कीन की तुलना में अधिक ज़रूरतमंद है।

२- **मिस्कीनः** ऐसा मिस्कीन जो फ़क़ीर की तुलना में बेहतर हालत में हो, जैसाकि किसी को दस रूपये की ज़रूरत हो और उसके पास सात या आठ रूपये हों। फ़क़ीर का मिस्कीन से ज़्यादा ज़रूरतमंद होने पर दलील अल्लाह तआ़ला का यह फ़रमान है:

﴿أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَـٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ﴾ [سورة الكهف: ٧٩]

''कश्ती तो चंद मिस्कीनों की थी जो दरया में काम काज करते थे।'' (सूरह अल्-कहफ़: ७९) यहाँ अल्लाह तआ़ला ने उन लोगों को नाव के मालिक होने के बावजूद मिस्कीन का नाम दिया है।

फ़क़ीर और मिस्कीन को इतनी ज़कात देनी चाहिए जो उनकी साल भर की ज़रूरतों के लिए काफ़ी हो, क्योंकि ज़कात हर साल फ़र्ज़ होती है, इसलिए मुहताज को अपनी साल भर की ज़रूरतों के अनुसार ज़कात लेनी चाहिए।

काफ़ी होने से मुराद खाने पीने, पहनने और रहने सहने की वह ज़रूरतें उपलब्ध (मुहय्या) कराना है जिनके बिना गुज़ारा न हो सके। इसलिए दी जाने वाली ज़कात इतनी हो कि उसके फ़ुज़ूल ख़र्ची या उसकी तंगदस्ती से काम लिए बिना उसकी और उसके परिजनों की ज़रूरतें पूरी हो सकें। और यह ऐसी चीज़ें हैं जो समय, आबादी और व्यक्ति के लिहाज़ से बदलती रहती हैं। इसलिए जो माल एक जगह के लिए एक साल के लिए काफ़ी है वह दूसरी

जगह के लिहाज़ से नाकाफ़ी हो सकता है। इसी तरह जो राशि दस साल पहले काफ़ी समझी जाती थी वह आज के दौर में नाकाफ़ी हो सकती है। इसी तरह जो चीज़ एक इंसान के लिए काफ़ी हो दूसरे इंसान के लिए उसके बाल-बच्चों या ख़र्चा आदि के अधिक होने की वजह से नाकाफ़ी हो सकती है।

उलमा ने फ़तूवा दिया है कि बीमार का इलाज, कुँवारे का विवाह और प्रयोजनीय किताबें किफ़ायत में शामिल हैं।

ज़कात लेने वाले फ़क़ीर और मिस्कीनों के लिए शर्त यह है कि वह मुसलमान हों और वह बनी हाशिम और उनके ग़ुलामों में से न हों और न उन लोगों में से हों जिनका ख़र्च ज़कात देने वाले पर हो, जैसे माता-पिता, संतान और पत्नियाँ आदि, और न ही वे ताक़तवर बारोज़गार हों, क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((ज़कात में किसी मालदार और ताक़तवर बारोज़गार का कोई हक़ नहीं।)) (अहमद, अबू दाऊद और नसई ने इसे रिवायत किया है और जामिउल उसूल के मुहक़्क़िक़ ने इसे सहीह कहा है)

३- ज़कात उसूल करने वालेः ये वह लोग हैं जिन्हें हाकिम या उनका नाइब ज़कात इकठी करने, उसकी सूरक्षा करने या उसे बाँटने की ज़िम्मेदारी सौंपता है, जैसे ज़कात उसूल करने वाले, उसकी रखवाली करने वाले, उसका हिसाब किताब करने वाले, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले और उसको तक़्सीम करने वाले प्रभृति लोग हैं।

ज़कात पर काम करने वाला अगर मुसलमान, बालिग़, अमानतदार और फ़र्ज़ पहचानने वाला है तो उसे उसके काम के मुताबिक़ ज़कात का माल दिया जायेगा, चाहे वह मालदार ही क्यों न हो। लेकिन अगर वह बनी हाशिम में से है तो फिर उसे देना जायज़ नहीं, क्योंकि मुत्तलिब बिन रबीआ़ से मरवी हदीस में रसूल

ﷺ ने फ़रमायाः ((बेशक सदक़ा मुहम्मद के आल (परिवार) के लिए हलाल नहीं है।)) (मुस्लिम)

४- दिल परचाये जाने वालेः इससे मुराद वह लोग हैं जो अपने क़बीलों के हाकिम हों और उनके इस्लाम लाने की उम्मीद हो, या उनके ईमान को और ताक़त देना या उनकी वजह से दूसरे लोगों का इस्लाम क़बूल करना मक़्सूद हो या मुसलमानों की तरफ़ से दिफ़ाअ़ (प्रतिरोध) करना या उसकी शरारत (दुष्टता) से बचाना मक़्सूद हो।

उनका हिस्सा बाक़ी है, मन्सूख़ (रहित) नहीं हुआ है। ज़कात में से उनको उन्हें इतना दिया जा सकता है जिससे उनके दिल परचाये जा सकें और इस्लाम की मदद और उसकी तरफ़ से दिफ़ाअ़ किया जा सके। (इन उद्देश्यों को सामने रखते हुए) काफ़िरों को ज़कात का माल दिया जा सकता है, क्योंकि नबी करीम ﷺ ने हुनैन की जंग से मिलने वाले ग़नीमत के माल में से सफ़वान बिन उमय्या को कुछ माल दिया था। (मुस्लिम)

इसी तरह यह माल (नए) मुसलमानों को भी दिया जा सकता है, जैसाकि आप ﷺ ने अबू सुफ़्यान बिन हर्ब, अक़रअ़ बिन हाबिस और उयइना बिन हिस्न ﷺ में से हर एक को सौ सौ ऊँट प्रदान किया था।

५- गर्दन आज़ाद करने के लिएः इस में ग़ुलाम आज़ाद करना और मुकातब (ऐसा ग़ुलाम जो अपने आप को अपने आक़ा से कुछ माल के बदले आज़ाद करवाना चाहता हो) की मदद करना शामिल है। इस में दुश्मन की क़ैद से जंगी क़ैदियों को मुक्त करना (छुड़ाना) भी शामिल है, क्योंकि यह अ़मल किसी क़र्ज़दार के क़र्ज़ उतारने के समान है, बल्कि उससे भी बढ़कर है, क्योंकि ऐसे क़ैदी

के हत्या किये जाने या उसके मुर्तद्द (धर्मत्यागी) हो जाने का ख़तरा (आशंका) है।

६- **क़र्ज़दारः** यह वह लोग हैं जिन्होंने क़र्ज़ लिया और उन पर अदा करना अवधारित हो गया।

क़र्ज़ की दो क़िस्में हैंः

(क) ऐसा शख़्स जो अपनी जायज़ ज़रूरत के लिए जैसे कपड़ों की ज़रूरतें, शादी, मकान बनाने, घरेलू सामानों की ख़रीदारी के लिए या भूल चूक से किसी दूसरे इंसान का नुक़्सान कर देने की वजह से क़र्ज़दार हो चुका हो। अतः अगर वह क़र्ज़दार फ़क़ीर है और उसके पास क़र्ज़ उतारने का सामर्थ्य (ताक़त) नहीं है तो उसे ज़कात में से इतना माल दिया जायेगा जिससे उसका क़र्ज़ अदा हो जाये। लेकिन शर्त यह है कि वह मुसलमान हो और उसने किसी हराम काम के लिए क़र्ज़ न लिया हो और न ही उसे क़र्ज़ तुरन्त (फ़ौरी) अदा करना हो, और यह कि वह किसी ऐसे इंसान का क़र्ज़दार हो जिसके क़र्ज़ को न अदा करने पर रोका (क़ैद किया) जा सकता है। अतः उसका क़र्ज़ कफ़्फ़ारा और ज़कात संबंधी न हो।

(ख) अगर कोई इंसान किसी दूसरे के लाभ के लिए क़र्ज़ ले तो उसे भी ज़कात दी जा सकती है ताकि वह अपना क़र्ज़ उतार सके। इसकी दलील हज़रत क़बीसा अलूहिलाली ﷺ की हदीस है, वह फ़रमाते हैं कि मैंने किसी की ज़मानत ले ली और अल्लाह के रसूल ﷺ के पास आया ताकि इस बारे में सवाल करूँ। तो आपने फ़रमायाः ((उस समय तक इंतिज़ार करो जब तक कि सदक़ा और ख़ैरात का माल आ जाये तो हम तुम्हें उस में से दिलवा देंगे।)) फिर आपने फ़रमायाः ((ऐ क़बीसा! तीन तरह के आदमियों के सिवा

किसी के लिए सवाल करना जायज़ नहीं है। एक वह इंसान जिसने किसी की ज़मानत ली हो, उसके लिए उस समय तक सवाल करना जायज़ है जब तक कि वह अपनी ज़मानत पूरी नहीं कर देता, उसके बाद वह मांगना बंद कर दे। दूसरा वह इंसान जिसे कोई ऐसी आफ़त आ पहुँची हो जिससे उसकी धन-संपत्ति नष्ट हो गई हो, तो उसके लिए भी उस समय तक सवाल करना जायज़ है जब तक उसे रोज़ी मिल नहीं जाती। और तीसरा वह वह इंसान जिसको भूख से मरने की नौबत आ जाये, यहाँ तक कि उसकी क़ौम के तीन बुद्धिमान (अ़क़्लमंद) व्यक्ति गवाही दें कि अमुक इंसान की भूख से मरने की नौबत है। अतः उसके लिए मांगना सही है यहाँ तक कि उसे इतना माल मिल जाये जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो जाये। ऐ क़बीसा! इन तीन सूरतों के अ़लावा सवाल करना हराम है और ऐसा सवाल करने वाला हराम खाता है।)) (मुस्लिम)

इसी तरह किसी मरे हुए इंसान का क़र्ज़ भी अदा किया जा सकता है, क्योंकि क़र्ज़दार का क़र्ज़ उतारने के लिए उसे दी जाने वाली ज़कात उसके हवाले करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि अल्लाह तआला ने क़र्ज़दार का ज़कात में हिस्सा रखा है न कि उसे ज़कात का मालिक क़रार दिया है।

७- अल्लाह के रास्ते में: ऐसे लोगों के लिए जो रिज़ाकाराना तौर पर जिहाद कर रहे हूँ और हुकूमत की तरफ़ से कोई तन्ख़ाह मुक़र्रर न हो, और इस में फ़क़ीर और मालदार सभी शामिल हैं। सरहदों की हिफ़ाज़त करने वाले मैदाने जंग में लड़ने वालों की तरह हैं। लेकिन इसमें बाक़ी जन कल्याण के काम (रिफ़ाही काम) दाख़िल नहीं हो सकते, अन्यथा (वर्ना) आयत में बाक़ी क़िस्मों का इस तरह तफ़सीली तौर पर ज़िक्र करने का कोई

फ़ायदा न होगा, क्योंकि इन उल्लिखित चीज़ों का शुमार भी जन कल्याण के कामों (रिफ़ाही कामों) में होता है।

अल्लाह के रास्ते में जिहाद का मफ़्हूम बहुत व्यापक (वसीअ़) है, यानी इसमें लोगों की फ़िकरी तरबियत (वैचारिक प्रशिक्षण) दुष्टों की दुष्टता (शर्र पसंदों की शरारत) की रोक थाम, गुमराहों तथा बातिल मज़ाहिब (धर्मों) के संदेहों का इज़ाला (अपसारण), अच्छी फ़ायदामंद किताबों का प्रचार-प्रसार करना और नसरानियों और दुनियादारों के ख़िलाफ़ काम करने के लिए मुख़्लिस और अमानतदार लोगों की कोशिशों को काम लाना इत्यादि शामिल हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((मुशरिकों के साथ अपने माल, अपनी जान और अपनी ज़ुबान से जिहाद करो।)) (अबू दाऊद ने सहीह सनद के साथ रिवायत किया है)

८- **मुसाफ़िरः** यहाँ मुराद ऐसे यात्री हैं जो अपनी किसी जायज़ ज़रूरत के लिए एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हुए अगर रास्ते का सामान ख़त्म हो जाये और कहीं से क़र्ज़ आदि भी हासिल नहीं कर सकते तो उन्हें ज़कात में से इतना माल दिया जा सकता है जो उसके घर पहुँचने तक काफ़ी हो। और उस मुसाफ़िर को भी ज़कात का माल दिया जा सकता है जो किसी ज़रूरत के तहत लम्बा समय तक क़ियाम करे इस उम्मीद पर कि उसकी ज़रूरत पूरी होगी।

ज़कात बाँटते समय उन आठों क़िस्म के लोगों को शामिल करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हाजत और ज़रूरत के तहत हाकिम, उसका नाइब या ज़कात देने वाला उन में से एक को या कुछ को भी दे सकता है।

जिन्हें ज़कात नहीं दी जायेगी

१- मालदार और रोज़गार करने वाले ताक़तवर।

२- ज़कात देने वाले के माता-पिता और उसकी पत्नि तथा बच्चे और जिनके ख़र्चे का वह ज़िम्मेदार है।

३- ग़ैर मुस्लिम।

४- नबी ﷺ का आल् (परिवार)।

मता-पिता और बीवी बच्चों के अ़लावा सभी रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है। और ज़कात का माल बनू हाशिम (आले रसूल ﷺ) को दिया जा सकता है जब वह माले ग़नीमत के पाँचवे हिस्से से रोक दिये जायें, क्योंकि यह हाजत और ज़रूरत का मक़ाम है।

ज़कात अदा करने के फ़ायदे

१- अल्लाह और उसके रसूल के आदेश का पालन करना और अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक पसंदीदा चीज़ को माल पर तरजीह देना जिसे नफ़्स पसंद करती है।

२- अ़मल का दोगुना सवाब मिलना। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ﴾ [سورة البقرة: ٢٦١]

‘‘जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें सात बालियाँ निकलें और हर बाली में सौ दाने हों, और अल्लाह तआ़ला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे।’’ (सूरह अल्-बक़रहः २६१)

३- सदक़ा ईमान की दलील और उसकी अ़लामत है,

जैसाकि हदीस में आया हैः ((सदक़ा दलील है।)) (मुस्लिम)

४- गुनाह और बुरे अख़्लाक़ से पवित्रता का कारण है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [سورة التوبة: ١٠٣]

''आप उनके मालों में से सदक़ा (ज़कात) ले लीजिये, जिसके ज़रीये से आप उनको पाक साफ़ कर दें।'' (सूरह अत्तौबाः १०३)

५- माल के बढ़ने, उसमें बरकत और उसके नुक़्सान से हिफ़ाज़त का करण है। रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((सदक़ा करने से माल नहीं घटता है।)) (मुस्लिम) और अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ﴾ [سورة سبأ: ٣٩]

''तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे अल्लाह उसका (पूरा पूरा) बदला देगा। और वह सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है।'' (सूरह सबाः ३९)

६- सदक़ा करने वाला क़ियामत के दिन अपने सदक़े के साया में होगा, जैसाकि हदीस में है कि ((अल्लाह तआ़ला सात लोगों को अपने (अर्श) के साये में साया प्रदान करेगा, जिस दिन उसके साया के अ़लावा और कोई साया न होगा---और एक इंसान वह है जिसने इस तरह से छुपाकर सदक़ा किया कि उसके बायें हाथ को मालूम नहीं कि उसके दायें हाथ ने क्या सदक़ा किया है।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

७- अल्लाह की रहमत का सबब है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۚ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ﴾

[سورة الأعراف: ١٥٦]

''और मेरी रहमत तमाम चीज़ों पर मुहीत (व्यापक) है, जिसे मैं उन लोगों के नाम लिखूंगा जो लोग डरते हैं और ज़कात अदा करते हैं।'' (सूरह अल्-आराफ़ः १५६)

ज़कात न देने वालों की सज़ा

१- अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾﴾ [سورة التوبة: ٣٤، ٣٥]

''और जो लोग सोने चाँदी का ख़ज़ाना रखते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अ़ज़ाब की ख़बर पँहूचा दीजिए। जिस दिन उस ख़ज़ाने को जहन्नम की आग में तपाया जायेगा फिर उससे उसकी पेशानियाँ और पहलू और पीठें दाग़ी जायेंगी, (उनसे कहा जायेगा) यह है जिसे तुमने अपने लिए ख़ज़ाना बना रखा था, पस अपने ख़ज़ानों का मज़ा चखो।'' (सूरह अत्तौबाः ३४-३५)

२- इमाम अहमद और इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरह ﷺ से रिवायत किया है कि नबी ﷺ ने फ़रमायाः ((जो दौलतमंद इंसान अपनी दौलत की ज़कात नहीं निकालता तो क़ियामत के दिन उसकी उसी दौलत की तख़्तियाँ बनाकर जहन्नम की आग में गरम की जायेंगी, फिर उनसे उसके पहलू, पेशानी और पीठ को दाग़ा जायेगा, यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला अपने बंदों के दरमियान फ़ैसला कर दे, और यह ऐसे दिन में होगा जो पचास हज़ार साल के बराबर

होगा, फिर उसे उसका रास्ता दिखाया जायेगा या जन्नत की तरफ़ या जहन्नम की तरफ़।))

३- इमाम बुख़ारी ने रिवायत किया कि नबी ﷺ ने फ़रमायाः ((जिसको अल्लाह तआ़ला ने माल दिया हो और उसकी उसने ज़कात अदा न की हो तो क़ियामत के दिन उसका माल गंजे साँप की शक्ल में जिसकी आँखों में दो बिन्दु होंगे, उसके गले का तौक़ बन जायेगा, फिर उसकी दोनों बाछें पकड़ कर कहेगाः मैं तेरा माल हूँ मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ।)) फिर आप ﷺ ने तिलावत फ़रमाईः

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ﴾ [سورة آل عمران: ١٨٠]

''जिन्हें अल्लाह ने अपने कृपा से कुछ दे रखा है वह उसमें अपनी कंजूसी को अपने लिए बेहतर ख़्याल न करें, बल्कि वह उनके लिए निहायत बदतर है, बहुत जल्द क़ियामत वाले दिन यह अपनी कंजूसी की चीज़ के तौक़ डाले जायेंगे।'' (सूरह आले इम्रानः १८०)

४- इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया कि नबी ﷺ ने फ़रमायाः ((जो भी ऊँट, गाय या बकरियों का मालिक अपने इन जानवरों की ज़कात नहीं निकालता वह जब क़ियामत के दिन (अल्लाह तआ़ला के यहाँ) आयेगा तो उसके ये जानवर बहुत बड़े और मोटे हो चुके होंगे, उसे अपने सींगों से मारेंगे और अपने पाँव से रौंदेंगे, जब सब जानवर उसके ऊपर से गुज़र जायेंगे तो दोबारा फिर पहले वाले जानवर आ जायेंगे, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फ़ैसला कर दिया जाये।))

ज़रूरी बातें

१- ज़कात के आठ मदों में से किसी एक मद में ज़कात देना भी सही है और उन में ज़कात उनकी मौजूदगी में बाँटना ज़रूरी नहीं है।

२- क़र्ज़दार को इतनी ज़कात दी जा सकती है जिससे उसका सभी क़र्ज़ या उसका कुछ हिस्सा अदा हो जाये।

३- ज़कात किसी काफ़िर या मुर्तद्द को देना जायज़ नहीं। इसी तरह किसी बेनमाज़ी को भी नहीं दी जायेगी, क्योंकि वह सहीह क़ौल के मुताबिक़ काफ़िर है, लेकिन अगर उसे इस शर्त पर ज़कात दी जाये कि वह नमाज़ की पाबंदी करेगा तो इस हालत में उसकी हौसला अफ़ज़ाई करते हुए उसे देना जायज़ होगा।

४- ज़कात किसी मालदार को देना जायज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया किः ((उस में किसी मालदार और बारोज़गार शक्तिशाली का कोई हिस्सा नहीं।)) (अबू दाऊद, सहीह)

५- कोई इंसान ऐसे लोगों को ज़कात नहीं दे सकता जिनके ख़र्चे उठाना उस पर वाजिब हो, जैसे माता-पिता, बाल-बच्चे और बीवी।

६- अगर किसी महिला का पति फ़क़ीर हो तो वह उसे ज़कात दे सकती है। क्योंकि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद ؓ की पत्नी ने अपने पति अ़ब्दुल्लाह को ज़कात दी तो नबी ﷺ ने उनको ऐसा करने पर बरक़रार रखा।

७- बिना ज़रूरत के एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ़ ज़कात मुन्तक़िल (स्थानांतरित) नहीं की जायेगी, लेकिन अगर जिस मुल्क से ज़कात देने वाले का तअ़ल्लुक़ है वहाँ कोई मुहताज न हो या दूसरे मुल्कों में अकाल (क़हतसाली) हो या मुजाहिदीन की मदद

मक़्सूद हो या हाकिम की निगाह में कोई आ़म मस्लहत हो तो मुन्तक़िल की जा सकती है।

८- अगर किसी इंसान का माल ज़कात के निसाब को पहुँच जाये, लेकिन वह ख़ुद किसी दूसरे देश में हो तो उसे उपरोक्त स्थितियों (मज़्कूरा हालात) के सिवा उसी देश में ज़कात निकालनी चाहिए जिसमें उसका माल है।

९- फ़क़ीर को इतनी ज़कात दी जा सकती है जो उसे कई महीनों या पूरे एक साल के लिए काफ़ी हो।

१०- सोना और चाँदी में ज़कात वाजिब है, चाहे वह नक़्दी हो या बिस्किट हो या पहनने वाले ज़ेवरात हों या आ़रियत (उधार) में दिया गया हो, क्योंकि उसकी फ़र्ज़ियत पर वारिद दलीलें आ़म हैं और बिना तफ़्सील के आईं हैं। कुछ उ़लमा ने कहा कि पहने जाने वाले और आ़रियत में दिये जाने वाले ज़ेवरात पर ज़कात नहीं है। दलीलों की रू से पहला क़ौल राजिह है और इस पर अ़मल करने में एहतियात भी है।

११- इंसान ने जो कुछ अपनी ज़रूरतों के लिए तैयार किया हो, जैसे खाने-पीने का सामान, मकान, जानवर, गाड़ी और कपड़े वग़ैरह। ऐसी चीज़ों में ज़कात नहीं है, क्योंकि नबी ﷺ ने फ़रमायाः ((मुस्लिम पर उसके ग़ुलाम और उसके घोड़े पर ज़कात नहीं है।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

लेकिन जैसे पहले कहा जा चुका है कि सोने और चाँदी के ज़ेवरात इस हुक्म में नहीं आते।

१२- किराये पर दिये जाने वाले मकान और गाड़ियों वग़ैरह की रक़म पर अगर साल गुज़र चुका हो तो उस रक़म पर ज़कात निकालनी होगी, चाहे वह रक़म ख़ुद ही इतनी हो कि ज़कात

के निसाब को पहुँच जाये या दूसरा माल मिलाने से पहुँचे।

(ज़कात के ये मसायेल शैख़ अ़ब्दुल्लाह बिन सालिह कुसय्यर के रिसाला से (मामूली बदलाव के साथ) लिये गये हैं)

रोज़ा और उसके फ़ायदे

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ [سورة البقرة: ١٨٣]

''ऐ ईमान वालो! तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किये गये जैसाकि तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज़ किये गये थे ताकि तुम परहेज़गार बन सको।'' (सूरह अल्-बक़रहः १८३)

अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः

१- ((रोज़ा (आग से) ढाल है।)) (बुख़ारी)

२- ((जो शख़्स रमज़ान का रोज़ा उसकी फ़र्ज़ियत के ऐतेक़ाद के साथ और अज्र व सवाब की ख़ातिर रखता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

३- ((जो व्यक्ति रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के महीने में ६ रोज़े रखता हो वह ऐसे है जैसे उसने पूरे साल के रोज़े रखे हों।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

४- जिस व्यक्ति ने रमज़ान (की रातों) में अल्लाह के सवाब के वादा की तस्दीक़ करते हुये और अज्र व सवाब हासिल करने के लिए क़ियाम किया (यानी तरावीह पढ़ी) उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

मुस्लिम भाईयो! आपको मालूम होना चाहिए कि रोज़ा बहुत फ़ायदे पर आधारित इबादत है, उन में से चंद यह हैं:

१- रोज़ा रखने से हज़म के निज़ाम और आँतों को लगातार काम करने से कुछ आराम मिलता है, बेकार माद्दे ख़त्म हो

जाते हैं, शरीर शक्तिशाली होता है और इससे बहुत सी बीमारियों का इलाज हो जाता है। और रोज़ा सिगरेट पीने वालों को सिगरेट पीने से बाज़ रखता है और सिगरेट के छोड़ने पर मदद करता है।

२- रोज़ा से इंसान के नफ़्स में सुधार होता है, कल्याण (ख़ैर), निज़ाम (सिस्टम) और सब्र व तक़्वा (धैर्य व संयम) की आदत पैदा होती है।

३- रोज़ेदार का अपने दूसरे रोज़ेदार भाईयों से बराबरी का एहसास पैदा होता है, अतः वह उनके साथ रोज़ा रखता है, उनके साथ इफ़्तारी करता है, इस्लामी एकता का अनुभव करता है और भूख का एहसास करता है तो अपने मुहताज तथा भूखे भाईयों की मदद करता है।

रमज़ान के महीने में आपके कर्तव्य (फ़रायेज़)

मुस्लिम भाईयो! आप जान लें कि अल्लाह तआ़ला ने हम पर रोज़े को फ़र्ज़ किया है ताकि हम उसके ज़रीया उसकी इबादत करें। आप अपने रोज़े को मक़्बूल (स्वीकार्य) और फ़ायदेमंद बनाने के लिए निम्नलिखित चीज़ों को अपनायें:

१- नमाज़ों की पाबंदी करें। बहुत से रोज़ेदार नमाज़ पढ़ने से ग़फ़लत बरतते हैं, हालाँकि वह दीन का सुतून है और उसका छोड़ने वाला काफ़िर है।

२- अच्छे अख़्लाक़ का प्रदर्शन करें और कुफ़्र से तथा दीन को बुरा कहने से और लोगों के साथ बद सुलूकी करने से बचें, क्योंकि रोज़ा बुरा मामला सिखाने के बदले इंसानी नफ़्स की इस्लाह करता है, और कुफ़्र मुस्लिम को दीने इस्लाम से ख़ारिज कर देता है।

३- हँसी मज़ाक़ करते हुये भी बेहूदा बातें न करें, क्योंकि

उससे आपका रोज़ा बरबाद हो जाता है। अल्लाह के रसूल ﷺ फ़रमाते हैं: ((जब तुम में से कोई रोज़े की हालत में हो तो गाली-गलौच और बेहूदा बातें न करे। अगर उसे कोई गाली दे या उससे झगड़ा करे तो कहे कि मैं रोज़ादार हूँ मैं रोज़ादार हूँ।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

४- रोज़ा से लाभ उठाते हुए सिगरेट छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि सिगरेट कैंसर और अल्सर जैसी बीमारियों का सबब बनती है। और आपको चाहिए कि अपने को साहसी (हिम्मती) और आत्मविश्वासी इंसान बनायें, अतः अपनी सेहत और माल की सूरक्षा करते हुए इफ़्तारी के बाद भी ऐसे ही सिगरेट पीने से बचे रहिए जैसे रोज़ा की हालत में थे।

५- इफ़्तार के वक़्त खाने में इस्राफ़ करके रोज़ा के फ़ायदे को बरबाद न करें और अपनी सेहत को नुक़्सान न पहुँचायें।

६- सीनेमा और टीवी अख़्लाक़ बिगाड़ने वाली और रोज़ा को फ़ासिद करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहें।

७- रात को देर तक जाग कर सेहरी और फ़ज्र की नमाज़ को बरबाद न करें, और सुबह सवेरे अपने काम में व्यस्त (मश्गूल) हो जायें, क्योंकि रसूल ﷺ ने दुआ की है कि ((ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत के लिए उसकी सुबह में बरकत पैदा फ़रमा दे।)) (सहीह, अहमद व तिरमिज़ी)

८- सगे संबंधियों और मुहताज लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ा व ख़ैरात करें, रिश्तेदारों की ज़ियारत करें और लड़ाई झगड़ा करने वालों के बीच सुलह करायें।

९- ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करें, क़ुरआने

करीम की तिलावत करें, उसे सुनें, उसके मअ़ना (अर्थ) पर ग़ौर करें, उस पर अ़मल करें और फ़ायदेमंद दर्स सुनने के लिए मस्जिदों में हाज़िर हों। (और यह न भूलें कि) रमज़ान के आख़िरी (दस दिन) में मस्जिद में इतेकाफ़ करना सुन्नत है।

१०- आपको चाहिए कि रोज़ा के मसायेल जानने के लिए उससे संबंधी किताबों को पढ़ें, आपको मालूम होगा कि भूल से खाने पीने में रोज़ा नहीं टूटता, इसी तरह आपके लिए (सहवास या एहतिलाम के कारण) जुन्बी की हालत में सेहरी खाना और रोज़ा की नियत करना जायज़ है, लेकिन तहारत और नमाज़ के लिए जनाबत से ग़ुस्ल करना ज़रूरी होता है।

११- रमज़ान के रोज़ों की पाबंदी करें और अपने बच्चों को रोज़ा रखने पर आ़दत डालें और बिना किसी उ़ज़्र के रोज़ा न छोड़ें। जिस शख़्स ने एक रोज़ा छोड़ दिया उस पर तौबा और उस दिन की क़ज़ा है। और जिसने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से सहवास किया उस पर कफ़्फ़ारा है, और कफ़्फ़ारा यह हैः एक ग़ुलाम आज़ाद करना, इसकी ताक़त न हो तो दो माह के लगातार रोज़े रखना, अगर इसकी भी ताक़त न हो तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना।

१२- मेरे मुस्लिम भाई! रमज़ान में रोज़ा छोड़ने और खुले आ़म रोज़ाख़ोरी से बचें, क्योंकि रोज़ाख़ोरी अल्लाह के ख़िलाफ़ हिम्मत दिखाने, इस्लाम का मज़ाक़ उड़ाने और लोगों में बुराई और बेहयाई फैलाने के बराबर है। और आप जान लें कि रोज़ाख़ोरों के लिए ईद नहीं है, क्योंकि ईद ख़ुशी का वह महान त्योहार है जो रोज़ा पूरे होने और इबादत क़बूल होने पर मनाया जाता है।

रोज़ा संबंधी हदीसें

रमज़ान की फ़ज़ीलतें: अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः

१- ((जब रमज़ान शुरू होता है तो आस्मान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिये जाते हैं।))

और एक रिवायत में है कि: ((जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

और एक दूसरी रिवायत में है कि: ((रहमत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

२- और तिरमिज़ी की रिवायत में है: ((रमज़ान की हर रात में एक मुनादी (पुकारने वाला) आवाज़ लगाता है कि ऐ भलाई चाहने वाले! नेकी और भलाई के लिए लपक आ, और ऐ बुराई का इरादा करने वाले! बुराई करने से बाज़ आ जा। और रमज़ान के आख़िर तक अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करते रहते हैं।)) (मिश्कात की तख़रीज में अल्बानी ने इसे हसन क़रार दिया है)

३- ((आदम संतान के हर नेक काम का सवाब दस गुना से सात सौ गुना तक बढ़ा दिया जाता है, लेकिन रोज़े के सवाब के बारे में अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका अज्र दूँगा, क्योंकि रोज़ादार अपनी इच्छाओं और खाना-पीना केवल मेरे लिए छोड़ता है। रोज़ेदार को दो ख़ुशियाँ हासिल होती हैं: एक ख़ुशी रोज़ा इफ़्तार करते हुए, दूसरी ख़ुशी अपने रब से मुलाक़ात करते हुए। और रोज़ेदार के मुँह की बदबू अल्लाह तआला के यहाँ मिश्क की सुगंध से भी अधिक प्रिय है।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

ज़ुबान की हिफ़ज़त: रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः ((जो शख़्स झूठ बोलने और उस पर अमल करने से बाज़ नहीं आता, अल्लाह को उसके खाना-पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं।)) (बुख़ारी)

इफ़्तारी, दुआ और सेहरीः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः

१- ((जब तुम में से कोई इफ़्तारी करे तो खजूर से इफ़्तारी करे, अगर खजूर न पाये तो पानी से इफ़्तारी करे, क्योंकि वह पाकीज़ा है।)) (तिरमिज़ी, जामिउल उसूल के मुहक़्क़िक़ ने कहा कि इसकी सनद सहीह है)

२- अल्लाह के रसूल ﷺ जब इफ़्तारी करते तो यह दुआ पढ़तेः

((اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ)) [رواه أبو داود وحسنه محقق جامع الأصول والألباني في المشكاة رقم ١٩٩٤]

उच्चारणः ((अल्लाहुम्म लक सुम्तु व अ़ला रिज़्क़िक अफ़्तर्तु, ज़हबज़्ज़मउ वब्तल्लतिल् उ़रूक़ु व सबतल् अज्रु इन्शाअल्लाह))

अर्थः ((ऐ अल्लाह! मैं ने तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरे ही दिये हुए रिज़्क़ पर इफ़्तारी कर रहा हूँ, प्यास जाती रही, रगें तर हो गईं और रोज़े का अज्र साबित हो गया अगर अल्लाह ने चाहा।)) (अबू दाऊद, जामिउल उसूल के मुहक़्क़िक़ ने और अल्बानी ने मिश्कात में इसे हसन क़रार दिया है, हदीस नम्बर १९९४)

३- अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((लोग उस समय तक बेहतरी और भलाई में हैं जब तक वे इफ़्तारी में जल्दी करते हैं 'यानी रोज़ा के डूबते ही इफ़्तारी कर लेते हैं'।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

४- ((सेहरी किया करो, क्योंकि सेहरी में बरकत है।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

नबी ﷺ के रोज़े

१- आप ﷺ ने फ़रमायाः ((हर महीने में तीन दिन के और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना पूरे एक साल रोज़े रखने के बराबर है। और अ़रफ़ात के दिन (९ ज़ुल्हिज्जा) का रोज़ा रखने से

मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि वह पिछले और अगले एक साल के गुनाह माफ़ कर देगा। और आ़शूरा के दिन (दस मुहर्रम) का रोज़ा रखने से पिछले एक साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं।)) (मुस्लिम)

२- और आप ﷺ ने फ़रमायाः ((अगर मैं अगले साल तक ज़िंदा रहा तो (आशूरा के दिन के साथ) नवीं मुहर्रम का भी रोज़ा रखूँगा।)) (मुस्लिम)

अतएव ६ और १० मुहर्रम का रोज़ा रखना सुन्नत है। हज्ज करने वाले ६ ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा नहीं रखेंगे।

३- अल्लाह के रसूल ﷺ से जब सोमवार और जुमेरात के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप ﷺ ने फ़रमायाः ((ये वे दो दिन हैं जिन में इंसान के कर्म (आमाल) अल्लाह तआ़ला के यहाँ पेश किये जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के सामने मेरे कर्म रोज़े की हालत में पेश हों।)) (नसई, मुन्ज़ेरी ने इसे हसन क़रार दिया है)

४- अल्लाह के रसूल ﷺ ने ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिन रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है। (बुख़ारी व मुस्लिम)

५- हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने रमज़ान के अ़लावा कभी भी किसी पूरे महीने का रोज़ा नहीं रखा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

६- हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़ा नहीं रखा। (बुख़ारी)

हज्ज और उ़म्रा की फ़ज़ीलत

१- अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ [سورة آل عمران: ٩٧]

''अल्लाह तआ़ला ने उन लोगों पर जो उसकी तरफ़ राह पा सकते हों उस घर का हज्ज फ़र्ज़ कर दिया है। और जो कोई कुफ़्र करे तो अल्लाह तआ़ला (उससे बल्कि) तमाम दुनिया से बेपरवा है।'' (सूरह आले इम्रानः ६७)

२- अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((एक उ़म्रा दूसरे उ़म्रा तक के दरमियानी गुनाहों का कफ़्फ़ारा है और मक़्बूल हज्ज (जो सुन्नत के मुताबिक़ हो और गुनाहों और बुराइयों से पाक हो) का बदला जन्नत के सिवा कुछ नहीं।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

३- आप ﷺ ने फ़रमायाः ((जो शख़्स बेहूदा बातों और गुनाहों से दूर रहते हुए हज्ज करता है वह गुनाहों से ऐसे पाक होकर लौटता है जैसे आज ही उसे उसकी माँ ने जन्म दिया हो।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

४- आप ﷺ ने फ़रमायाः ((मुझ से हज्ज के अहकाम सीख हो।)) (मुस्लिम)

५- मुसलमान भाईयो! आपको जब भी इतना माल उपलब्ध (मुहय्या) हो जाये कि हज्ज के लिए जाने और आने के ख़र्चे पूरे हो सकें तो फिर जल्द ही हज्ज का फ़रीज़ा अदा करने की कोशिश करें। और आप हज्ज के बाद के ख़र्चे जैसे तोहफ़े और मिठाई आदि की फ़िक्र न करें, क्योंकि अल्लाह तआ़ला यह उ़ज़्र क़बूल नहीं करेगा। इसलिए बीमारी और गुरबत के आने और नाफ़रमान होकर

मरने से पहले जल्द से जल्द हज्ज अदा कर लें, क्योंकि हज्ज इस्लाम के अर्कान में से एक रुक्न है जिसके फ़ायदे महान हैं।

६- हज्ज और उम्रा के लिए ख़र्च किये जाने वाले माल के लिए शर्त है कि वह हलाल हो ताकि अल्लाह तआला के यहाँ मक़्बूल हो सके।

७- औरत के लिए हज्ज या किसी दूसरे मक़्सद के लिए बिना महरम के सफ़र करना हराम है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((औरत महरम के बिना सफ़र न करे।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

८- हज्ज को जाने से पहले जिससे लड़ाई हो उससे सुलह कर लें, क़र्ज़ अदा कर दें और अपने घर वालों को वसियत कर दें कि ज़ेब व ज़ीनत (बनाव श्रृंगार), गाड़ियों, मिठाइयों और ज़बीहा आदि में इस्राफ़ (फ़ुज़ूल ख़र्ची) न करें, क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوٓاْ﴾ [سورة الأعراف: ٣١]

''खाओ ओर पीओ लेकिन फ़ुज़ूल ख़र्ची न करो।'' (सूरह अल्-आराफ़)

९- हज्ज मुसलमानों का महान सम्मेलन (इज्तेमाअ्) है, एक दूसरे से परिचय हो, एक दूसरे से मुहब्बत करें, समस्यायों (मशाकिल) के हल (समाधान) करने में एक दूसरे की मदद करें और अपने लिए दीनी तथा दुनियावी फ़ायदे हासिल करें।

१०- और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण (अहम) बात यह है कि आप अपनी कठिनाईयों के समाधान के लिए केवल अल्लाह तआला ही से मदद तलब करें और उसी से दुआ करें। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः

﴿قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِهِۦٓ أَحَدًا﴾ [سورة الجن: ٢٠]

''(ऐ नबी!) आप कह दीजिए कि मैं तो केवल अपने रब ही को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता।'' (सूरह अल्-जिन्नः २०)

११- उ़म्रा किसी भी समय अदा किया जा सकता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में अदा करना अफ़्ज़ल है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((रमज़ान में एक उ़म्रा हज्ज के बराबर है।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

१२- मस्जिदे हराम (बैतुल्लाह) में नमाज़ अदा करना बाक़ी जगहों पर नमाज़ पढ़ने की तुलना (मुक़ाबले) में लाख गुना बेहतर है, क्योंकि आप ﷺ ने फ़रमयाः ((मेरी इस मस्जिद (मस्जिदे नबवी) में नमाज़ अदा करना बाक़ी जगहों की तुलना में हज़ार गुना बेहतर है सिवाय मस्जिदे हराम के।)) (बुख़ारी व मुस्लिम) और आप ﷺ ने दूसरी हदीस में इर्शाद फ़रमायाः ((मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ना मेरी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से सौ गुना बेहतर है।)) (सहीह, अहमद)

१३- आप तमत्तुअ़ हज्ज अदा करें और वह यह है कि (हज्ज के महीनों में) पहले उ़म्रा अदा करें और उससे हलाल होकर हज्ज की नियत करें। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः ((ऐ आले मुहम्मद! तुम में से जो हज्ज करे, उसे चाहिए कि हज्ज में उ़म्रा की नियत करे -यानी पहले उ़म्रा की नियत से एहराम बाँधे फिर हज्ज करे-।)) (इब्ने हिब्बान ने इसे रिवायत किया और अल्बानी ने सहीह क़रार दिया)

उ़म्रा अदा करने का तरीक़ा

उ़मरा के आमालः इहराम, तवाफ़, सई, बाल मुँडवाना (या कटवाना) और हलाल होना।

१- इहरामः मीक़ात पर इहराम के कपड़े पहनें और कहें: **لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِعُمْرَةٍ** ''लब्बयकल्लाहुम्म बिउ़म्रह'' यानी या अल्लाह! मैं उ़म्रा के लिए हाज़िर हुआ हूँ। फिर उँची आवाज़ में तल्बिया ''लब्बयकल्लाहुम्म लब्बयक'' कहते रहें।

२- तवाफ़ः जब आप मक्का पहुँचें तो हरम जायें और कअ़बे का सात चक्कर लगाकर तवाफ़ करें। हर चक्कर हजरे अस्वद से 'अल्लाहु अक्बर' कहते हुए शुरू करें। अगर मुम्किन हो तो हजरे अस्वद को बोसा दे लें नहीं तो उसकी ओर दायें हाथ से इशारा कर देना काफ़ी है। रुक्ने यमानी से गुज़रते हुए अगर मुम्किन हो सके तो अपने दायें हाथ से छूयें नहीं तो उसे चूमने या उसकी ओर इशारा करने की ज़रूरत नहीं। रुक्ने यमानी और हजरे अस्वद के बीच में पढ़ें:

﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾

''ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भलाई अता (प्रदान) कर और आख़िरत में भी भलाई अता कर और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले।'' तवाफ़ पूरा करने के बाद मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअ़त नमाज़ पढ़ें, जिनकी पहली रकअ़त में सूरह अल्-काफ़िरून और दूसरी रकअ़त में सूरह अल्-इख़्लास पढ़ें।

३- सईः सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ें और क़िब्ला की ओर मुँह करके अपने दोनों हाथों को आस्मान की तरफ़ उठाये हुए पढ़ें:

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ﴾ **أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ**.

''बेशक सफ़ा और मर्वा अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं।'' 'मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जिससे अल्लाह ने शुरू किया।' फिर बिना इशारा किये तीन बार 'अल्लाहु अक्बर' कहकर तीन बार पढ़ें:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ))

उच्चारणः ((ला इलाह इल्लल्लाहु वह्दहु ला शरीक लहु, लहुल्मुल्कु व लहुल्हम्दु, व हुव अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाह इल्लल्लाहु वह्दहु, अन्जज़ वअ़्दहु, व नसर अ़ब्दहु, व हज़मल् अह्ज़ाब वह्दहु।))

अर्थः ((अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअ़्बूद नहीं, वह अकेला है उसका कोई साझी नहीं, बादशाही उसी के लिए है, प्रशंसा व तारीफ़ उसी के लिए है और वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा मअ़्बूद नहीं, वह अकेला है, उसने अपना वादा पूरा किया, अपने बंदे की मदद की और तन्हा तमाम दलों को पस्पा (पराजित) किया।)) (अबू दाऊद) और फिर अपनी इच्छानुसार (मर्ज़ी के मुताबिक़) दुआ़ करें। सफ़ा और मर्वा के पास हर चक्कर में दुआ़ओं को दोहरायें। सफ़ा और मर्वा के बीच चलते हुए दो हरे निशानों के दरमियान तेज़ चलें। सई के लिए सात चक्कर लगाना होगा, सफ़ा से मर्वा तक जाना एक चक्कर और मर्वा से सफ़ा तक आना दूसरा चक्कर होगा।

४- अपने सर के पूरे बाल मुँडवा लें या कटवा लें, और औ़रत अपने सिर के थोड़े से (उँगली के पोर के बराबर) बाल काटेगी।

५- इसके साथ आप उ़म्रे के आमाल पूरे कर लिए और अब आप अपने एहराम से हलाल हो गये।

हज्ज का तरीक़ा

हज्ज के आमालः एहराम करना, मिना में रातें बिताना, अ़रफ़ात में ठहरना, मुज़्दलिफ़ा में रात बिताना, कंकरियाँ मारना, क़ुर्बानी करना, तवाफ़ करना और सई करना।

१- आठ ज़ुल्हिज्जा को मक्का में अपनी रिहायश गाह से एहराम बाँधकर لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ بِحَجَّةٍ 'लब्बयकल्लाहुम्म बिहज्जतिन' 'ऐ अल्लाह! मैं हज्ज के लिए हाज़िर हूँ' कहकर मिना चले जायें, और पाँचों नमाज़ों को अपने अपने वक़्त में अदा करें, और चार रकअ़त वाली नमाज़ों (ज़ोह्र, अ़स्र और इशा) को क़स्र करके (यानी चार रकअ़त के बदले दो रकअ़तें) पढ़ें।

२- नौ ज़ुल्हिज्जा को सूरज निकलने के बाद अ़रफ़ात चले जायें और वहाँ ज़ोह्र और अ़स्र की नमाज़ एक अज़ान और दो इक़ामतों से क़स्र और जमा तक़्दीम करते हुए अदा करें, और सुन्नतें न पढ़ें। और निश्चित हो लें कि आप अ़रफ़ा की सीमा (हुदूद) के अंदर हैं या नहीं, क्योंकि अ़रफ़ात में ठहरना हज्ज का बुनियादी रुक्न है। मस्जिदे नमिरा का ज़्यादातर हिस्सा अ़रफ़ात के मैदान से बाहर है। उस दिन रोज़ा न रखें, तल्बिया पढ़ते रहें और अल्लाह तआ़ला से दुआ़यें करते रहें।

३- सूरज डूबने के बाद इत्मिनान के साथ मुज़्दलिफ़ा के लिए रवाना हो जायें, और वहाँ पहुँच कर (सबसे पहले) मग़रिब और इशा की नमाज़ जमा ताख़ीर से पढ़ें (इशा की नमाज़ क़स्र करके यानी दो रकअ़त पढ़ें), वहीं रात बितायें और फ़ज्र की नमाज़ अदा करने के बाद मशअ़रुल हराम के पास (या अपने आराम की जगह में) अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र करते रहें। बूढ़े और कम्ज़ोर लोगों के लिए आधी रात के बाद मुज़्दलिफ़ा से चले जाने की

इजाज़त है।

४- ईद के दिन सूरज निकलने से पहले ही मिना की ओर चल दें और अगर मुम्किन हो तो ईद की नमाज़ पढ़ें। और सूरज निकलने के बाद से किसी भी समय बड़े जमूरा को अल्लाहु अक्बर कहते हुए लगातार सात छोटी छोटी कंकरियाँ मारें।

५- ईद के दिनों (जो कि १३ ज़ुल्हिज्जा की शाम तक बाक़ी रहते हैं) किसी भी समय मिना या मक्का में क़ुर्बानी करें, उसका गोश्त ख़ोद खायें, फ़क़ीरों में बाँटें। लेकिन अगर क़ुर्बानी के लिए पैसे न हों तो उसके बदले में हज्ज में तीन रोज़े और घर वापस होने के बाद सात रोज़े कुल दस रोज़े रखें। औ़रत मर्द की तरह है यानी उस पर भी क़ुर्बानी या रोज़े हैं। क़ुर्बानी तमत्तुअ़ और क़िरान हज्ज करने वाले पर वाजिब है (इफ़्राद करने वाले पर नहीं)।

६- अपने पूरे सिर का बाल मुँडवा लें या कटवा लें, मुँडवाना बेहतर है, और आ़म (साधारण) कपड़े पहन लें, इसके बाद आपके लिए पत्नी के सिवा हर चीज़ हलाल हो जायेगी, और इसे तहल्लुले अस्ग़र यानी छोटा हलाल होना कहा जाता है।

७- मक्का जाकर बैतुल्लाह के सात चक्कर लगाते हुए तवाफ़ (इफ़ाज़ा) करें और सफ़ा मर्वा के सात चक्कर लगाते हुए सई करें। (सफ़ा से मर्वा तक एक चक्कर है और मर्वा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर है) तवाफ़ और सई करने के बाद अब आपके लिए आपकी पत्नी भी हलाल हो गई जो अब तक हराम थी।

तवाफ़े इफ़ाज़ा ज़ुल्हिज्जा के अंत तक मुवख़्ख़र (विलंब) किया जा सकता है।

८- ईद के दिनों मिना वापस आयें और वहीं रातें गुज़ारें।

इन दिनों ज़ोहर के बाद से लेकर रात तक किसी भी समय छोटे से शुरू करके तीनों जमरात को अल्लाहु अक्बर कहते हुए सात सात कंकरियाँ मारें। और इस बात का ख़्याल रखें कि कंकरियाँ जमरा के आसपास हौज़ में गिरें। अगर कोई कंकरी उस में न गिरे तो उसके बदले दूसरी कंकरी मारें। छोटे और बीच के जमूरा को कंकरियाँ मारने के बाद हाथ उठाकर दुआ़ करना सुन्नत है। कंकरियाँ मारने के लिए औ़रतों, बीमारों, छोटों और कम्ज़ोरों की तरफ़ से दूसरे को वकील बनाना जायज़ है। इसी तरह ज़रूरत पड़ने पर दूसरे और तीसरे दिन तक कंकरियाँ मारने में ताख़ीर करना जायज़ है।

६- विदाई तवाफ़ करना वाजिब है जो यात्रा से पहले (आख़िरी काम) होना चाहिए।

हज्ज और उ़मूरा के चंद आदाब

१- अल्लाह के लिए हज्ज को ख़ालिस करें और कहेंः 'या अल्लाह! मेरा यह हज्ज ऐसा हो जिस में किसी तरह का दिखावा और शुहरत (प्रसिद्धि) न हो।'

२- नेक और अच्छे लोगों का साथ पकड़ें, उनकी ख़िदमत करें और अपने पड़ोसियों की तरफ़ से पहुँचने वाली तक्लीफ़ों पर सब्र करें।

३- सिगरेट पीने और ख़रीदने से बचें, क्योंकि यह हराम है ओर इससे बदन, पड़ोसी और माल को नुक़्सान पहुँचता है, और इस में अल्लाह तआ़ला की नाफ़रमानी है।

४- नमाज़ के समय मिस्वाक का इस्तेमाल करें और घर वालों के लिए मिस्वाक, ज़मज़म का पानी और खजूर का तोहफ़ा ले लें, क्योंकि सहीह हदीसों में इन चीज़ों की फ़ज़ीलत आई है।

५- ग़ैर महरम औ़रतों को छूने और उनकी तरफ़ नज़र

उठाने से परहेज़ करें और अपनी औ़रतों को लोगों से पर्दा में रखें।

६- नमाज़ियों की गर्दनें फाँद कर उन्हें तक्लीफ़ न पहुँचायें बल्कि नज़दीक किसी जगह पर बैठ जायें।

७- किसी नमाज़ी के आगे से न गुज़रें चाहे आप हरमैन में क्यों न हों, क्योंकि यह शैतानी काम है।

८- नमाज़ इत्मिनान और सुकून के साथ सुतरा (दीवार, आदमी के पीठ या ब्रीफकेस) के पीछे पढ़ें, जबकि मुक़्तदी के लिए उसके इमाम का सुतरा काफ़ी है।

९- तवाफ़ और सई करते, कंकरियाँ मारते और हजरे अस्वद को बोसा देते समय अपने आसपास के लोगों से नर्मी से पेश आयें।

१०- अल्लाह को छोड़कर मुर्दों को न पुकारें, क्योंकि यह ऐसा शिर्क है जिससे हज्ज और दूसरे नेक आमाल बरबाद हो जाते हैं। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [سورة الزمر: ٦٥]

''अगर तुम शिर्क करोगे तो निःसंदेह तुम्हारा अ़मल बरबाद हो जायेगा और तुम अवश्य घाटा उठाने वालों में से हो जाओगे।'' (सूरह अज़्ज़ुमरः ६५)

मस्जिदे नबवी की ज़ियारत के आदाब

१- जब मस्जिदे नबवी में दाख़िल हों तो दायाँ पाँव आगे बढ़ाते हुए यह दुआ़ पढ़ेंः

((بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ))

उच्चारणः ((बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अ़ला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मफ़्तह ली अब्वाब रह्मतिक))

अर्थः ((अल्लाह के नाम से (दाख़िल होता हूँ), और सलाम हो

अल्लाह के रसूल पर। या अल्लाह! मेरे लिए रह्मत के दरवाज़े खोल दे।))

२- दो रकअ़त तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ें। और यह कहते हुए रसूल ﷺ पर सलाम पढ़ें:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ.

उच्चारणः अस्सलामु अ़लैक या रसूलल्लाह, अस्सलामु अ़लैक या अबा बक्र, अस्सलामु अ़लैक या उ़मर।

अर्थः ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलामती हो, ऐ अबू बक्र आप पर सलामती हो, ऐ उ़मर आप पर सलामती हो।

फिर दुआ़ करते वक़्त क़िब्ला रुख़ हो जायें और नबी करीम ﷺ के इस फ़रमान को याद रखें किः ((जब मांगो तो अल्लाह से मांगो और जब मदद चाहो तो केवल अल्लाह से मदद चाहो।)) (इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया और कहाः हसन सहीह)

३- मस्जिदे नबवी की ज़ियारत और रसूल ﷺ पर सलाम मुस्तहब है, और हज्ज के साथ इसका कोई सम्पर्क नहीं है और इसके लिए कोई वक़्त भी ख़ास नहीं है।

४- दीवारों और जालियों आदि को छूने या चूमने से परहेज़ करें, क्योंकि यह बिद्अ़त है।

५- मस्जिद से बाहर निकलते वक़्त उल्टे पाँव चलना बिद्अ़त है, इसकी कोई दलील नहीं है।

६- रसूल ﷺ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें, क्योंकि आप ﷺ ने फ़रमायाः ((जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर दस रहमतें नाज़िल फ़रमाता है।)) (मुस्लिम)

७- बक़ीअ़ और उहुद के शहीदों की ज़ियारत करना मुस्तहब है, मसाजिदे सबआ़ की नहीं।

८- मस्जिदे नबवी की ज़ियारत करने फिर पहुँचने के बाद आप ﷺ पर सलाम पढ़ने की नियत से मदीने का सफ़र होना चाहिए, क्योंकि मस्जिदे नबवी में एक नमाज़ दूसरी मस्जिदों की हज़ार नमाज़ से बेहतर है। और इस लिए भी कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((तीन मस्जिदों यानी मस्जिदे हराम, मस्जिदे अक़्सा और मेरी इस मस्जिद के अ़लावा (इबादत के इरादे से) कहीं का सफ़र करना जायज़ नहीं।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

९- वुज़ू करके मस्जिदे क़ुबा जायें और उस में दो रकअ़त नमाज़ पढ़ें ताकि आपके लिए उ़म्रे का सवाब लिखा जाये।

मुज्तहिद इमामों का हदीस पर अ़मल

चारों इमामों -अल्लाह तआ़ला उनसे राज़ी हो और उन्हें हमारी तरफ़ से पूरा अच्छा बदला दे- में से हर एक ने अपने पास पहुँची हदीसों के अनुसार इज्तिहाद किया है। उन्होंने बहुत सारे मसायेल में इख़्तिलाफ़ किया, इसका सबब यह रहा कि उनमें से कोई ऐसी हदीसों पर अवगत (वाक़िफ़) हुए जिन पर दूसरे उ़लमा वाक़िफ़ नहीं हुए। क्योंकि हदीसें मुन्तशिर (आ़म) नहीं थीं और हदीस के हुफ़्फ़ाज़ (उ़लमा/ज्ञाता) हिजाज़, सीरिया, इराक़ और मिस्र वग़ैरह इस्लामी मुल्कों में बिखरे हुए थे। और यह उस ज़माने की बात है जिसमें मुवासलात (ट्रान्सपोर्टेशन) बहुत कठिन और मुश्किल था (यानी जाने आने की सुहूलियात नहीं थी)। यही वजह है कि हम इमाम शाफ़िई रहेमहुल्लाह को देखते हैं कि उन्होंने इराक़ में रहते समय के पुराना मस्लक को छोड़ दिया, जब मिस्र का सफ़र किये और नई हदीसों पर वाक़िफ़ हुए।

और हम देखते हैं कि इमाम शाफ़िई की राय यह है कि औ़रत को छूने से वुज़ू टूट जाता है, जबकि इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक वुज़ू नहीं टूटता है। ऐसी हालत में क़ुरआन व सहीह सुन्नत की तरफ़ रुजू करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾ [سورة النساء: ٥٩]

''अगर तुम किसी चीज़ में इख़्तिलाफ़ करो तो उसे लौटाओ अल्लाह की तरफ़ और रसूल की तरफ़, अगर तुम्हें अल्लाह तआ़ला पर और क़ियामत के दिन पर ईमान है। यह बहुत बेहतर है और

अंजाम के ऐतेबार से बहुत अच्छा है।'' (सूरह अन्निसाः ५६)

क्योंकि हक़ कई एक तो नहीं हो सकता, अतः ऐसा नहीं हो सकता कि औ़रत को छूने से वुज़ू टूट जाता है और नहीं भी टूटता है। और हमें तो केवल अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से नाज़िल किया गया क़ुरआन की पैरवी करने का हुक्म मिला है जिसकी तफ़्सीर रसूलुल्लाह ﷺ ने सहीह हदीसों द्वारा की है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [سورة الأعراف: ٣]

''जो कुछ अल्लाह की तरफ़ से तुम्हारे ऊपर नाज़िल किया गया है तुम उसकी पैरवी करो और अल्लाह तआ़ला को छोड़ कर मनघड़ंत सरपरस्तों की पैरवी मत करो, तुम बहुत कम ही नसीहत हासिल करते हो।'' (सूरह अल्-आराफ़ः ३)

इस लिए किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि जब उसे कोई सहीह हदीस पहुँचे तो वह उसे केवल इसलिए रद्द कर दे कि वह उसके मज़हब के मुख़ालिफ़ है, हालाँकि सारे इमाम सहीह हदीस के क़बूल करने और हदीस विरोधी तमाम बातों को छोड़ने पर एकमत (मुत्तफ़िक़) हैं।

हदीस पर अ़मल करने के सिलसिले में इमामों के कथन

यह हैं इमामों के कुछ कथन (क़ौल) जो उनकी ओर मन्सूब की जाने वाली आपत्तियों (मलामतों) को दूर करते और उनके अनुयायियों (पैरोकारों) के लिए हक़ को स्पष्ट (वाज़ेह) करते हैं।

इमाम अबू हनीफ़ा रहेमहुल्लाह -फ़िक़्ह में सारे लोग जिनके शीर्ष हैं- फ़रमाते हैं:

१- किसी व्यक्ति के लिए जायज़ नहीं कि वह हमारे किसी क़ौल पर अ़मल करे जब तक उसे मालूम न हो जाये कि हमने यह क़ौल कहाँ से लिया है।

२- हराम है उस शख़्स पर जो मेरी दलील जाने बग़ैर मेरे क़ौल का फ़त्वा दे, क्योंकि हम बशर (इंसान) हैं, आज कोई बात कहते हैं तो कल उससे रुजूअ़ कर लेते हैं।

३- अगर मैं कोई ऐसी बात कहूँ जो अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह ﷺ की हदीस के मुख़ालिफ़ हो तो मेरी बात को छोड़ दो।

४- इब्ने आ़बेदीन अपनी किताब में फ़रमाते हैं: जब हदीस सहीह हो और वह मज़हब के ख़िलाफ़ (विपरीत) हो तो हदीस पर अ़मल किया जायेगा और यही उनका (इमाम का) मज़हब होगा और उस (हदीस) पर अ़मल करने की वजह से उनका मुक़ल्लिद हनफ़ी मज़हब से ख़ारिज नहीं होगा, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा से सही सूत्र से साबित है कि उन्होंने फ़रमाया: जब हदीस सहीह साबित हो जाये तो वही मेरा मज़हब है।

मदीना मुनव्वरा के इमाम इमाम मालिक रहेमहुल्लाह फ़रमाते हैं:

१- मैं एक इंसान हूँ, मुझसे कभी ग़लती भी होती है और कभी सही बात भी कह देता हूँ, इसलिए तुम मेरी राय देखो, अगर वह किताब व सुन्नत के मुताबिक़ है तो उसे ले लो, और अगर किताब व सुन्नत के मुख़ालिफ़ है तो उसे छोड़ दो।

२- नबी ﷺ के बाद हर एक की बात (सही हो तो) ली जायेगी और (ग़लत हो तो) रद्द की जायेगी, सिवाय नबी ﷺ की

बात के (क्योंकि उनकी कोई बात ग़लत नहीं है)।

इमाम शाफ़िई रहेमहुल्ला -जो आले बैत में से हैं- फ़रमाते हैः

१- कोई भी इंसान रसूल ﷺ की सारी सुन्नतों का इस्तीआ़ब (पूरे तौर पर आयत्त) नहीं कर सकता, इसलिए मैं कितनी ही अच्छी बात कह दूँ या कितना ही अच्छा क़ायदा बना दूँ, अगर वह रसूल ﷺ की सुन्नत के मुख़ालिफ़ हो तो बात वही होगी (मानी जायेगी) जो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया और वही क़ौल मेरा भी है।

२- मुसलमानों का इज्माअ़ (इत्तिफ़ाक़) है कि अगर किसी को रसूल ﷺ की सुन्नत मालूम हो जाये तो उसके लिए जायज़ नहीं कि वह उसे किसी के क़ौल की वजह से छोड़ दे।

३- अगर तुम्हें मेरी किताब से अल्लाह के रसूल ﷺ के क़ौल के ख़िलाफ़ कोई बात मिलती है तो रसूलुल्लाह ﷺ के क़ौल को अपनाओ और वही मेरा भी क़ौल होगा।

४- जब हदीस सही साबित हो तो वही मेरा मज़हब है।

५- इमाम अहमद बिन हम्बल रहेमहुल्लाह को संबोधित (मुख़ातब) करते हुए फ़रमाते हैंः तुम लोग हदीस और रिजाल के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकार हो, अतः अगर तुम्हें कोई सहीह हदीस मिलती है तो मुझे भी बताओ ताकि मैं भी उसे अपना लूँ।

६- हर वह मसअला जिसमें मुहद्देसीन के नज़ूदीक अल्लाह के रसूल ﷺ से सहीह हदीस साबित हो, और मेरा क़ौल उसके मुख़ालिफ़ हो तो जान लो कि मैं उससे रुजूअ़ करता हूँ अपनी ज़िंदगी में भी और मेरे मरने के बाद भी।

अहले सुन्नत के इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल रहेमहुल्लाह फ़रमाते हैं:

१- न मेरी तक़्लीद करो और न मालिक, न शाफ़िई, न औज़ाई और न सौरी की तक़्लीद करो, बल्कि तुम वहाँ से लो जहाँ से उन्होंने लिया है।

२- रसूलुल्लाह ﷺ की हदीस को रद्द करने वाला शख़्स तबाही के किनारे पर है।

अच्छी और बुरी तक़्दीर (भाग्य) पर ईमान

यह ईमान का छठाँ रुक्न है। इस रुक्न की व्याख्या करते हुए इमाम नववी रहेमहुल्लाह ने अपनी किताब 'अरबऊन नववीयः' में इसका अर्थ बयान किया कि अल्लाह तआ़ला ने धरती ओर आकाश बनाने से पहले हर चीज़ का भाग्य लिख दिया और अल्लाह तआ़ला को इल्म है कि यह चीज़ अपने निर्धारित समय में और निर्धारित जगह में घटित होकर रहेगी, इसलिए हर चीज़ अल्लाह तआ़ला के निर्धारण किये हुये भाग्य के अनुसार घटती रहती है।

भाग्य पर ईमान की चंद क़िस्में हैंः

१- अल्लाह के इल्म में भाग्य का निर्धारणः यानी इस बात पर ईमान रखना कि इंसान के अस्तित्व (वजूद) प्रदान करने और उनको पैदा करने से पहले ही अल्लाह तआ़ला के इल्म में था कि बंदे नेकी करेगा या बुराई, फ़रमाबर्दारी करेगा या नाफ़रमानी, उनमें से कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी। और यह कि अल्लाह तआ़ला ने उनको वजूद बख़्शने तथा उनको पैदा करने से पहले उनके आमाल का बदला देने के लिए सवाब व इक़ाब (प्रतिदान और सज़ा) तैयार कर रखा है। और यह कि अल्लाह तआ़ला ने इसे अपने पास गिन गिन कर लिख रखा है और यह कि बंदों के आमाल उसके इल्म और लिखे हुए भाग्य के अनुसार घटित होते हैं। (यह इब्ने रजब हम्बली की किताब जामिउल उलूम वलूहिकम पेज २४ से लिया गया है)

२- लौहे महफ़ूज़ में तक़्दीरः अ़ल्लामा इब्ने कसीर अपनी तफ़्सीर में अ़ब्दुर्रहमान बिन सलूमान से नक़ल करते हुए लिखते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने कुरआन या उससे पहले और बाद की भाग्य

में लिखी हर चीज़ को लौहे महफ़ूज़ में दर्ज किया हुआ है। (४/४६७)

३- रिहम (माँ के गर्भ) में भाग्य का लिखा जानाः हदीस में आया हैः ((---'गर्भ धारण के चार महीने के बाद' अल्लाह तआ़ला फ़रिश्ते भेजते हैं जो उसमें रुह डालते हैं और उन्हें चार चीज़ोंः उसके रिज़्क, उसकी ज़िंदगी, उसके अ़मल और वह खुश नसीब होगा या बद नसीब लिखने का हुक्म दिया जाता है ---।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

४- मुक़र्रर वक़्त पर भाग्य का घटित होनाः और वह यह है कि निर्दिष्ट समय तक भाग्य को ले जाना। अल्लाह तआ़ला ने ख़ैर व शर्र (भलाई और बुराई) पैदा फ़रमाया और निर्दिष्ट समय में बंदे के पास उसका आना तय कर दिया। (यह कलाम इमाम नववी की किताब श्रहुल अरबईन से लिया गया है)

भाग्य पर ईमान रखने के फ़ायदे

१- रज़ामंदी, यक़ीन और बदलाः अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾ [سورة التغابن: ١١]

''कोई मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नहीं पहुँच सकती।'' (सूरह अत्तग़ाबुनः ११) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा फ़रमाते हैंः अल्लाह के हुक्म से मुराद उसकी क़ज़ा और क़द्र है। और फ़रमाया अल्लाह तआ़ला नेः

﴿وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ﴾ [سورة التغابن: ١١]

''और जो अल्लाह पर ईमान लाये अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है।'' (सूरह अत्तग़ाबुनः ११)

इब्ने कसीर रहेमहुल्लाह ने इसकी तफ़्सीर में फ़रमायाः

यानी जिसे कोई मुसीबत पहुँची और उसने जाना (यक़ीन किया) कि यह अल्लाह की क़ज़ा और क़द्र से है, पस उसने सब्र किया, नेकी की उम्मीद रखा और अल्लाह के फ़ैसले के सामने सिर झुका दिया तो उसके दिल को हिदायत देता है और उससे फ़ौत हो जाने वाली दुनयावी चीज़ों का बदला उसके दिल में हिदायत और सच्चा यक़ीन डाल कर देता है। और कभी कभी उससे ली जाने वाली चीज़ का बदील (विकल्प) या उससे बेहतर अता फ़रमा देता है।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमायाः यक़ीन की तरफ़ उसके दिल को हिदायत देता है, पस वह जान लेता है कि जो मुसीबत उसको पहुँची है वह टलने वाली न थी और जो उससे फ़ौत हो गई है वह उसको मिलने वाली न थी।

२- गुनाहों का माफ़ होनाः आप ﷺ ने फ़रमायाः ((मोमिन को जो भी कोई परेशानी, थकान, बीमारी, दुख यहाँ तक कि चिंता में डालने वाली बात पहुँचती है, अल्लाह तआ़ला इसके ज़रीया उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

३- अच्छा बदला मिलनाः अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَـٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُوْلَـٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [سورة البقرة: ١٥٥-١٥٧]

‘‘और उन सब्र करने वालों को ख़ुशख़बरी दे दीजिये जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं हम तो ख़ोद अल्लाह की मिल्कियत हैं और हम उसी की तरफ़ लौटने वाले हैं। उन पर उनके रब की नवाज़िशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत

याफ़्ता हैं।'' (सूरह अल्-बक़रहः १५५-१५७)

४- नफ़्स की बेनियाज़ीः आप ﷺ ने फ़रमायाः ((---और तुम उस चीज़ पर राज़ी हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में रखा है, तो तुम लोगों में सबसे ज़्यादा बेनियाज़ रहोगे।)) (इसे अहमद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और जामिउल उसूल के मुहक़्क़िक़ (प्रतिपादक) ने हसन क़रार दिया है) आप ﷺ ने एक दूसरी हदीस में फ़रमायाः ((माल की कसरत (अधिकता) मालदारी नहीं है, लेकिन (हक़ीक़ी) मालदारी दिल की बेनियाज़ी है।))

और देखा जाता है कि बहुत से लोग जो करोड़ों के मालिक होते हैं और उस पर ख़ुश नहीं होते हैं तो वे नफ़्स के फ़क़ीर (उनके दिल भूखे) होते हैं। और जो लोग थोड़े माल के मालिक होते हैं और अल्लाह तआला के दिये हुए पर ख़ुश होते हैं तो वे दिली तौर पर मालदार होते हैं।

बेजा (अकारण) ख़ुशी या ग़मी में मुब्तिला होने से बचावः अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾﴾ [سورة الحديد: ٢٢-٢٣]

''न कोई मुसीबत दुनिया में आती है, न (ख़ास) तुम्हारी जानों में, मगर इससे पहले कि हम उसको पैदा करें वह एक ख़ास किताब में लिखी हुई है, यह (काम) अल्लाह तआला पर (बिल्कुल) आसान है। ताकि तुम अपने से खोये हुए किसी चीज़ पर ग़म न खाओ और

दिये हुए पर इतरा न जाओ, और अल्लाह इतराने वाले घमंडों को पसंद नहीं फ़रमाता।" (सूरह अल्-हदीदः २२,२३)

इब्ने कसीर रहेमहुल्लाह ने फ़रमायाः अल्लाह की दी हुई नेअ़मतों की वजह से लोगों पर गर्व न करो, क्योंकि इन नेअ़मतों का मिलना तुम्हारी अपनी कोशिशों से नहीं, बल्कि यह तो अल्लाह तआ़ला का तुम्हारे लिए क़िस्मत में लिखी हुई रोज़ी है, अतः अल्लाह की नेअ़मतों को घमंड और इतराने का वसीला न बनाओ।

इक्रिमा ने फ़रमायाः हर इंसान को ख़ुशी और ग़मी मिलती है, अतएव ख़ुशी को अल्लाह का शुक्र करने और ग़मी को सब्र करने का वसीला बनाना चाहिए।

६- दिल में साहस और हिम्मत पैदा होनाः जो शख़्स तक़्दीर पर ईमान रखता है वह साहसी होता है जो अल्लाह के सिवा किसी और से नहीं डरता है, क्योंकि वह जानता है कि मौत का वक़्त मुक़र्रर है और जो उससे खो गई है वह उसे मिलने वाली न थी और यह कि कठिनाई के साथ आसानी है।

७- इंसान के नुक़्सान से निडर रहनाः रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः ((जान लो कि अगर पूरी उम्मत तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिए इकळी हो जाये तो वह तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते मगर उस चीज़ के ज़रीया जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। और अगर वह तुम्हें कोई नुक़्सान पहुँचाने के लिए इकळी हो जाये तो वह तुम्हें कोई नुक़्सान नहीं पहुँचा सकते मगर उस चीज़ के ज़रीया जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर लिख दिया है। क़लम उठा लिए गये और सहीफ़े सूख गये।)) (इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और हसन सहीह कहा है)

८- मौत से न डरनाः हज़रत अ़ली ﷺ की तरफ़ मंसूब

है कि उन्होंने कहाः

أيَّ يَـوْمَـيَّ مِـنَ الْـمَـوْتِ أَفِـرُّ يَـوْمَ لَـمْ يُـقَـدَّرْ أَمْ يَـوْمَ قُدِّرَ
يَـوْمَ لَـمْ يُـقَـدَّرْ لاَ أَرْهَـبُـهُ وَمِـنَ الْـمَـكْتُوبِ لاَ يَنْجُو الْـحَـذِرُ

मैं मौत के कौन से दिन से भागूँ? मौत के मुक़र्रर वक़्त से या जो अभी तक़्दीर में नहीं आई है। जो तक़्दीर में नहीं है उससे मुझे काई डर नहीं और जो लिखा है डरने वाला उससे नजात नहीं पा सकता।

९- खो जाने वाली चीज़ पर पछतावा न करनाः अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((अल्लाह के नज़दीक ताक़तवर ईमानदार, कम्ज़ोर ईमानदार से ज़्यादा बेहतर और महबूब है, और दोनों में भलाई है। जो चीज़ तुम्हें फ़ायदा दे उस पर हरीस बनो (उसका कामना करो), अल्लाह से मदद मांगो और लाचारी मत दिखाओ। अगर तुम्हें कोई नुक़्सान पहुँचे तो यह न कहो कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, लेकिन कहोः अल्लाह ने जो तक़्दीर में लिखा और जो उसने चाहा किया, क्योंकि 'लौ यानी अगर' शैतान का अ़मल खोल देता है।)) (बुख़ारी व मुस्लिम)

१०- भलाई उसी में है जो अल्लाह अख़्तियार करेः मिसाल के तौर पर अगर मुस्लिम का हाथ ज़ख़्मी हो जाये तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि यह हाथ टूटा तो नहीं। और अगर टूट जाये तो उसे अल्लाह का शुक्र मनाना चाहिए कि हाथ कटकर अलग तो नहीं हुआ या यह कि पीठ आदि टूटने जैसा कोई बड़ा नुक़्सान तो नहीं हुआ।

एक बार कोई व्यापारी व्यापार (तिजारत) की यात्रा के लिए जहाज़ के इंतिज़ार में था कि अज़ान हो गई तो वह नमाज़ के लिए मस्जिद में चला गया। जब नमाज़ पढ़कर आया तो जहाज़ जा चुका

था तो वह ग़मगीन होकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद उसे ख़बर मिली कि वह जहाज़ फ़िज़ा में जल गई तो उसने अपनी सलामती और नमाज़ के सबब ताख़ीर (विलंब होने) पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सज्दे में गिर गया और अल्लाह के इस फ़रमान को याद करने लगाः

﴿وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [سورة البقرة: ٢١٦]

''शायद तुम किसी चीज़ को नापसंद करो हालाँकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और यह भी मुम्किन है कि तुम किसी चीज़ को अच्छी समझो, हालाँकि वह तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह ही जानता है तुम नहीं जानते हो।'' (सूरह अल्-बक़रहः २१६)

भाग्य को हुज्जत (दलील) न बनायें

एक मुसलमान का यह अक़ीदा होना चाहिए कि हर बुरा और भला अल्लाह तआला का तय किया हुआ है जो उसके इल्म व इरादे से घटित होता है, लेकिन बुरा-भला करना बंदे की तरफ़ से है जो उसके अख़्तियार में है। और बंदे पर मामूरात और मनूहियात (आदेश तथा निषेध) की रियायत करना वाजिब है, अतः उसके लिए जायज़ नहीं कि नाफ़रमानी करे और कहेः अल्लाह ने यही तक़्दीर में लिखा है! क्योंकि अल्लाह तआला ने रसूलों को भेजा और उन पर किताबों को नाज़िल फ़रमाया ताकि वे सआदतमंदी और बदनसीबी का रास्ता बतायें। इसके अ़लावा अल्लाह ने इंसान को अ़क़्ल व हिक्मत से नवाज़ा और उसे हिदायत तथा गुमराही का रास्ता बता दिया। अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [سورة الدهر: ٣]

''बेशक हमने उसे (हिदायत और गुमराही की) राह दिखाई अब चाहे वह शुक्र गुज़ार बने चाहे नाशुक्रा।'' (सूरह अद्दह्रः ३)

इसलिए बेनमाज़ी या शराबख़ोर इंसान अल्लाह के आदेश-निषेध (अम्र व नही) की मुख़ालफ़त करने की वजह से सज़ा का हक़्दार है। और उसके लिए ज़रूरी है कि अपने गुनाह पर नदामत महसूस करते हुए तौबा करे, और तक़्दीर को हुज्जत बनाकर वह अपने उस गुनाह से छुटकारा नहीं पा सकता।

मुसीबत के वक़्त तक़्दीर को हुज्जत बनाते हुए जान ले कि यह मुसीबत अल्लाह की ओर से है, अतः वह अल्लाह की क़ज़ा व क़द्र से ख़ोश रहे। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [سورة الحديد: ٢٢]

''न कोई मुसीबत दुनिया में आती है, न (ख़ास) तुम्हारी जानों में, मगर इससे पहले कि हम उसको पैदा करें वह एक ख़ास किताब में लिखी हुई है, यह (काम) अल्लाह तआ़ला पर (बिल्कुल) आसान है।'' (सूरह अल्-हदीदः २२)

ईमान और इस्लाम से बाहर कर देने वाले मामले

जिस तरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वुज़ू टूट जाता है और उन में से किसी एक के करने की वजह से दोबारा वुज़ू करना ज़रूरी हो जाता है, इसी तरह कुछ चीज़ें एसी हैं जिनके करने से आदमी ईमान से ख़ारिज हो जाता है।

ईमान को तोड़ने वाली चीज़ें चार क़िस्म की हैं:

पहली क़िस्मः रब के अस्तित्व (वुजूद) के इंकार या उसमें ज़ुबान दराज़ी करने को शामिल है।

दूसरी क़िस्मः इबादत के लायेक़ मअ़्बूद के इंकार या उसके साथ शिर्क करने को शामिल है।

तीसरी क़िस्मः अल्लाह तआ़ला के साबित शुदा (प्रमाणित) नामों और गुणों (अस्मा व सिफ़ात) के इंकार या उनमें बद ज़ुबानी करने को शामिल है।

चौथी क़िस्मः मुहम्मद ﷺ की रिसालत के इंकार या उसमें ताना ज़नी (कटाक्ष करने) को शामिल है।

पहली क़िस्म जो रब के अस्तित्व (वुजूद) के इंकार या उसमें ज़ुबान दराज़ी करने को शामिल है, उसमें कई प्रकार हैं:

१- रब के अस्तित्व (वुजूद) का इंकार करना, जैसे नास्तिक (कम्यूनिस्ट) लोग हैं जो ख़ालिक़ (सृष्टिकर्ता) का इंकार करते हैं और कहते हैं: कोई मअ़्बूद नहीं है और जीवन भौतिकवाद (माद्दा परस्ती) का नाम है, और सृष्टि तथा कर्मों को इत्तिफ़ाक़ (अचानक आने वाले) और फ़ित्रत (प्राकृति) की तरफ़ निस्बत करते हैं और इत्तिफ़ाक़ (अचानक आने वाले) और फ़ित्रत (प्राकृति) के ख़ालिक़ को भूल जाते हैं। अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं:

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ﴾ [سورة الزمر: ٦٢]

''अल्लाह ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वही हर चीज़ पर निगहबान (संरक्षक) है।'' (सूरह अज़्ज़ुमरः ६२)

ऐसे लोग अ़रब के मुशरिकों और शैतानों से भी बड़े काफ़िर हैं, क्योंकि वह लोग अपने ख़ालिक़ (सृष्टिकर्ता) का इक़रार करते थे, जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने उनके बारे में फ़रमायाः

﴿وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَهُمۡ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ﴾ [سورة الزخرف: ٨٧]

''अगर तुम उनसे पूछो कि उन्हें किस ने पैदा किया है तो वे ज़रूर जवाब देंगे कि अल्लाह ने (हमें पैदा किया है)।'' (सूरह अज़्ज़ुख़रुफ़ः ८७) और क़ुरआन ने शैतान की बात नक़ल करते हुए कहाः

﴿قَالَ أَنَا۠ خَيۡرٞ مِّنۡهُ خَلَقۡتَنِي مِن نَّارٖ وَخَلَقۡتَهُۥ مِن طِينٖ﴾ [سورة ص: ٧٦]

''(शैतान ने) कहाः मैं उस (आदम) से बेहतर हूँ, मुझे तू ने आग से पैदा फ़रमाया है और उसे मिट्टी से पैदा किया है।'' (सूरह स्वादः ७६)

अगर मुस्लिम यह कहे कि उसे फ़ित्रत ने पैदा किया है या वह ऐसे ही आ गया है -जैसाकि नास्तिक (कम्यूनिस्ट) वग़ैरह कहते हैं- तो यह कुफ़्र है।

२- किसी इंसान का दावा करना कि वह रब है, जैसाकि फ़िरऔ़न ने दावा करते हुए कहा थाः

﴿أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلۡأَعۡلَىٰ﴾ [سورة النازعات: ٢٤]

''मैं ही तुम सब का रब हूँ।'' (सूरह अन्नाज़िआ़तः २४)

३- रब के वुजूद को मानने के साथ यह दावा करना कि वलीयों में से कुछ क़ुतुब हैं जो कायेनात की तद्बीर करते और

उसका निज़ाम चलाते हैं। ऐसे लोग इस अक़ीदा में इस्लाम से पहले के मुशरिकों से बदतर हैं, क्योंकि वे मुशरिक यह अक़ीदा रखते थे कि कायेनात की तद्बीर करने और उसका निज़ाम चलाने वाला केवल अल्लाह है, जैसाकि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं:

﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَـٰرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [سورة يونس: ٣١]

''आप पूछिये कि वह कौन है जो तुमको आस्मान और ज़मीन से रिज़्क़ पहुँचाता है या वह कौन है जो कानों और आँखों पर पूरा अख़्तियार रखता है और वह कौन है जो ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है और वह कौन है जो तमाम कामों की तद्बीर करता है? ज़रूर वह यही कहेंगे कि 'अल्लाह' तो उनसे कहिये कि फिर क्यों नहीं डरते?'' (सूरह यूनुसः ३१)

४- बअ़्ज़ सूफ़ियों का यह कहना कि अल्लाह तआ़ला अपनी सृष्टि (मख़्लूक़) में समा गया है, यहाँ तक कि दमिश्क़ में मद्फ़ून इब्ने अ़रबी सूफ़ी ने कह दिया:

الرَّبُّ عَبْدٌ، والْعَبْدُ رَبٌّ   يَا لَيْتَ شِعْرِي مَن الْمُكَلَّفُ

अर्थात रब बंदा है और बंदा रब है, काश मैं जान लेता कि मुकल्लफ़ कौन है।

उनके एक और शैतान ने कहा:

وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إلاَّ إلَهُنَا   وَمَا اللهُ إلاَّ رَاهِبٌ فِي كَنِيسَةٍ

अर्थात कुत्ते और सूअर हमारे रब हैं और गिरजा के अंदर जो राहिब है वही अल्लाह है।

और हल्लाज ने जब कहा कि 'मैं वह (अल्लाह) हूँ और वह (अल्लाह) मैं हूँ' तो आ़लिमों ने उसके क़त्ल का फ़त्वा दिया, पस उसको क़त्ल कर दिया गया।
जो कुछ यह कहते हैं अल्लाह तआ़ला उससे पाक और बालातर, बहुत दूर और बहुत बुलंद है।

ईमान को तोड़ने वाली चीज़ों में से इबादत में शिर्क करना है

दूसरी क़िस्म जो इबादत के लायेक़ मअ़बूद के इंकार या उसके साथ शिर्क करने को शामिल है, उसमें कई प्रकार हैं:

१- वह लोग जो सूरज, चाँद, सितारों, पेड़ों और शैतान आदि की इबादत करते हैं और अल्लाह तआ़ला की इबादत नहीं करते जिसने इन चीज़ों को पैदा फ़रमाया जो न नुक़्सान पहुँचा सकते हैं और न फ़ायदा। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

[سورة حم السجدة: ٣٧]

''और उसकी निशानियों में से रात, दिन, सूरज और चाँद हैं, अगर तुम उसी की इबादत करने वाले हो तो सूरज तथा चाँद के लिए सज्दा न करो बल्कि उस अल्लाह के लिए सज्दा करो जिस ने उनको पैदा फ़रमाया है।'' (सूरह हामीम अस्सज्दाः ३७)

२- वह लोग जो अल्लाह की इबादत करते हैं और उसकी इबादत में उसकी बअ़ज़ मख़्लूक़ जैसे मूर्ती की शक्ल में वलियों और क़ब्रों इत्यादि को शरीक करते हैं। यह लोग इस्लाम से पहले

अ़रब के मुशरिकों की तरह हैं, जो अल्लाह की इबादत करते थे और कठिन घड़ी में उसी को पुकारते थे और आसानी के वक़्त तथा कठिनाई दूर होने के बाद ग़ैरुल्लाह (अल्लाह को छोड़कर दूसरों को) पुकारते थे। क़ुरआन ने उनकी हालत को नक़्ल करते हुए कहाः

﴿فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ إِذَا هُمۡ يُشۡرِكُونَ﴾ [سورة العنكبوت: ٦٥]

''पस यह लोग जब कश्तीयों में सवार होते हैं तो अल्लाह तआ़ला ही को पुकारते हैं उसके लिए इबादत को ख़ालिस करके, फिर जब वह उन्हें ख़ुश्की की तरफ़ बचा लाते हैं तो उसी वक़्त शिर्क करने लगते हैं।'' (सूरह अल्-अन्कबूतः ६५)

इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने उन्हें मुशरिक क़रार दिया, हालाँकि वे जब नाव डूबने का ख़तरा महसूस करते तो केवल अल्लाह ही को पुकारते, और यह इस लिए कि यह मुशरिक लोग केवल अल्लाह से दुआ़ करने पर बरक़रार नहीं रहते थे, बल्कि अल्लाह तआ़ला उनहें नजात दे देता तो उसके सिवा दूसरों को पुकारने लगते थे।

३- सोचने की बात यह है कि अगर अल्लाह तआ़ला ने इस्लाम से पहले के अ़रब मुशरिकों को काफ़िर क़रार दिया है और अपने नबी ﷺ को उनसे जंग करने का हुक्म दिया है इसके बावजुद कि वे कठिन घड़ियों में अपने बुतों को भूलकर अल्लाह को पुकारते थे, तो फिर ऐसे मुसलमानों का क्या हाल होगा जो केवल आ़म हालत ही में नहीं बल्कि कठिन घड़ियों में भी अल्लाह को छोड़कर मुर्दा वलियों की क़ब्रों पर जाकर बीमारी का शिफ़ा, रिज़्क़

और हिदायत वग़ैरह मांगते हैं जो केवल अल्लाह तआ़ला की कुदरत में हैं, और उन वलियों के पैदा करने वाले को भूल जाते हैं जो अकेला शिफ़ा देने वाला, रिज़्क़ देने वाला और हिदायत देने वाला है। और यह मुर्दे न किसी चीज़ के मालिक हैं और न किसी के पुकार को सुन सकते हैं, जैसाकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ ۝١٣ إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ﴾ [سورة فاطر: ١٣-١٤]

''जिन्हें तुम उनके सिवा पुकार रहे हो वह खजूर की गुठली के छिल्के के भी मालिक नहीं। अगर तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और अगर (मान लो) सुन भी लें तो फ़रयाद रसी नहीं करेंगे, बल्कि क़ियामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ़ इंकार कर जायेंगे, आपको कोई भी (अल्लाह तआ़ला) जैसा ख़बरदार ख़बरें न देगा।'' (सूरह फ़ातिरः १३,१४)

यह आयत सरीह (वाज़ेह) है कि मुर्दे अपने पुकारने वालों के पुकार को नहीं सुनते और इसमें यह वज़ाहत भी है कि उनको पुकारना बड़ा शिर्क है।

मुम्किन है कोई कहने वाला कहे कि हम यह अ़क़ीदा नहीं रखते कि यह औलिया व सालेहीन किसी लाभ या हानि के मालिक हैं, बल्कि हम अल्लाह की निकटता (तक़र्रुब) हासिल करने के लिए उनको वास्ता और सिफ़रिशी बनाते हैं। तो हमारा जवाब यह होगा कि इस तरह का अ़क़ीदा इस्लाम से पहले के मुशरिकीन का था जिनके बारे में कुरआन ने कहाः

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [سورة يونس: ١٨]

''और यह लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ों की इबादत करते हैं जो न उनको नुक़्सान पहुँचा सकें और न उनको फ़ायदा पहुँचा सकें और कहते हैं कि यह अल्लाह के पास हमारे सिफ़ारिशी हैं। आप कह दीजिये कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज़ों की ख़बर देते हो जो अल्लाह तआ़ला को मालूम नहीं, न आस्मानों में और न ज़मीन में, वह पाक और बरतर है उन लोगों के शिर्क से।'' (सूरह यूनुसः १८)

यह आयत भी सरीह (वाज़ेह) है कि जो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करेगा और उसको पुकारेगा व मुशरिकों में से है, अगरचे उसका यह अ़क़ीदा हो कि वे फ़ायदे और नुक़्सान के मालिक नहीं हैं बल्कि हमारे सिफ़ारिशी हैं।

मुशरिकीन के बारे में अल्लाह तआ़ला ने दुसरी जगह फ़रमायाः

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَٰذِبٌ كَفَّارٌ﴾ [سورة الزمر: ٣]

''और जिन लोगों ने उसके सिवा औलिया बना रखे हैं (और कहते हैं) कि हम उनकी इबादत सिर्फ़ इस लिए करते हैं कि यह (बुज़ुर्ग) अल्लाह की नज़दीकी के मर्तबा तक हमें पहुँचा दें, यह लोग जिस

बारे में इख़्तिलाफ़ कर रहे हैं उसका (सच्चा) फ़ैसला अल्लाह (ख़ोद) करेगा, झूठे और नाशुक्रे (लोगों) को अल्लाह तआला राह नहीं दिखाता।" (सूरह अज़्ज़ुमरः ३)

यह आयत भी खुली दलील है कि कुर्बत (निकटता) हासिल करने की नियत से ग़ैरुल्लाह को पुकारने वाला काफ़िर है, क्योंकि हदीस में हैः ((पुकारना (दुआ़) ही इबादत है।)) (इसे इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है और हसन सहीह कहा है)

४- ईमान से निकालने वाली चीज़ों में से एक अल्लाह के नाज़िल किये हुये के मुताबिक़ फ़ैसला न करना, यह अ़क़ीदा रखते हुए कि वह (अल्लाह के नाज़िल किये हुये हुक्म) योग्य (क़ाबिल) नहीं हैं या यह कि अल्लाह के हुक्म के मुख़ालिफ़ क़ानूनों को जायज़ क़रार दे, क्योंकि फ़ैसला करना इबादत में से है, जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سورة يوسف: ٤٠]

"फ़रमारवाई (हाकिमियत) सिर्फ़ अल्लाह ही की है, उसका फ़रमान है कि तुम सब सिवाय उसके किसी और की इबादत न करो, यही दीन दुरुस्त है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।" (सूरह यूसुफ़ः ४०)
दूसरी जगह अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ [سورة المائدة: ٤٤]

"जो लोग अल्लाह के नाज़िल किये हुये के मुताबिक़ हुक्म न करें, वही लोग काफ़िर हैं।" (सूरह अल्-माइदाः ४४)

लेकिन वह इंसान जो अल्लाह की शरीअ़त को अ़मल के

क़ाबिल तो समझता है लेकिन नफ़्स की इच्छाओं या किसी मजबूरी के कारण शरीअ़त का फ़ैसला नहीं करता तो वह काफ़िर नहीं बल्कि ज़ालिम और फ़ासिक़ होगा। जैसाकि अब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमायाः जो अल्लाह के नाज़िल किये हुये का इंकार करे वह काफ़िर है और इसका इक़्रार करे (लेकिन उसके मुताबिक़ फ़ैसला न करे) तो ज़ालिम और फ़ासिक़ है। इसे इब्ने जरीर ने एख़्तियार किया है। और अ़ता ने फ़रमायाः यह छोटा कुफ़्र है।

और जो अल्लाह की शरीअ़त को ख़त्म करके मानवीय क़ानून लागू करे और समझे कि यह क़ानून अ़मल के क़ाबिल है तो सारे लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि यह ऐसा कुफ़्र है जो दीने इस्लाम से ख़ारिज कर देता है।

५- ईमान से ख़ारिज करने वाली चीज़ों में से एक अल्लाह के फ़ैसले पर रज़ामंद न होना या उन्हें क़बूल करने में तंगी और घुटन महसुस करना। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [سورة النساء: ٦٥]

''तेरे रब की क़सम! यह मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तमाम आपस के इख़्तिलाफ़ में आपको हाकिम न मान लें, फिर जो फ़ैसले आप उनमें कर दें उनसे अपने दिल में किसी तरह की तंगी और नाख़ूशी न पायें और फ़र्माबरदारी के साथ क़बूल कर लें।'' (सूरह अन्निसाः ६५) या अल्लाह के नाज़िल किये हुये फ़ैसले को नापसंद करे, क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَٰلَهُمْ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَٰلَهُمْ ۝﴾ [سورة محمد: ٨-٩]

''और जो लोग काफ़िर हुये उन्हें हलाकी हो और अल्लाह उनके आमाल ग़ारत कर देगा। यह इस लिए कि वह अल्लाह की नाज़िल की हुई चीज़ से नाख़ोश हुए, पस अल्लाह तआ़ला ने (भी) उनके आमाल बर्बाद कर दिये।'' (सूरह मुहम्मदः ८,६)

ईमान को तोड़ने वाली चीज़ों में से अल्लाह के सिफ़ात (गुणों) में शिर्क करना है

तीसरी क़िस्म जो अल्लाह के गुणों या नामों के इंकार करने या उनमें तअ़न (कटाक्ष) करने को शामिल हैः

१- ईमान से ख़ारिज करने वाली चीज़ों में से यह है कि मोमिन क़ुरआन व सहीह सुन्नत से साबित (प्रमाणित) अल्लाह के नामों और सिफ़तों का इंकार करे, मिसाल के तौर पर वह अल्लाह के पूर्ण ज्ञान (कामिल इल्म), उसकी क़ुदरत, उसकी हयात, उसके सुनने, उसके देखने, उसके कलाम करने, उसकी रहमत, उसके अपने अ़र्श पर मुस्तवी और उच्चय होने, उसके आस्माने दुनिया पर अवतरण करने, उसके हाथ, उसकी आँख या उसकी पिंडली और उस जैसी अल्लाह तआ़ला के लिए लायक़ सिफ़तों का इंकार करे। और वह अपने मख़्लूक़ के मुशाबिह (सदृश) नहीं है, क्योंकि उसने फ़रमायाः

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [سورة الشورى: ١١]

''उस जैसी कोई चीज़ नहीं, वह सुनने और देखने वाला है।'' (सूरह अश्शुराः ११) इस आयत में अल्लाह तआ़ला ने अपने सृष्टि के

मुशाबिह होने की नफ़ी की है और अपने लिए सुनने और देखने को साबित किया है, और बाक़ी सिफ़तें भी इसी तरह हैं।

२- बअ़ूज़ साबित (प्रमाणित) सिफ़तों की तावील (अपव्याख्या) करना और उन्हें उनके ज़ाहिरी अर्थ से फेरना ग़लती और गुमराही है। जैसे कि अ़र्श पर उच्चय (मुस्तवी) होने को 'इस्तीला' यानी क़ादिर होने से तावील करना, क्योंकि इमाम बुख़ारी रहेमहुल्लाह ने अपनी सहीह में मुजाहिद और अबुल आ़लिया से इस्तिवा का अर्थ उच्चय होना और बुलंद होना नक़ल किया है। और वह दोनों सलफ़े सालेहीन में से हैं, क्योंकि वह ताबिई हैं। सिफ़तों की तावील करना उन्हें नकारने (वर्जन करने) की हद तक पहुँचा देता है। अतः इस्तिवा की तावील इस्तिला से करने से अल्लाह की सिफ़तों में से एक सिफ़त का इंकार हो जाता है, और वह है अल्लाह तआ़ला का अपने अ़र्श पर उच्चय होना जो क़ुरआन व सुन्नत से साबित है। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

﴿ٱلرَّحۡمَـٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ﴾ [سورة طه: ٥]

''अल्लाह तआ़ला अ़र्श पर उच्चय और बुलंद हुआ'' (सूरह ताहाः ५) और फ़रमाया अल्लाह तआ़ला नेः

﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡسِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ﴾ [سورة الملك: ١٦]

''क्या तुम उस ज़ात से मामून हो गये हो जो आस्मान पर है कि वह तुम्हें ज़मीन में धँसा दे।'' (सूरह अल्-मुल्कः १६)

और अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमायाः ((अल्लाह तआ़ला ने सृष्टि रचने से पहले एक किताब लिखी जिसमें यह है कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर सबक़त ले गई और वह किताब अल्लाह के यहाँ अ़र्श पर लिखी है।)) (बुख़ारी)

अल्लाह की सिफ़तों की तावील करना उन्हें फेर-बदल करना है जैसाकि अज़्वाउल बयान के लेखक शैख़ मुहम्मद अल्अमीन अश्शंकीती ने अपनी किताब 'मनूहज व दिरासात फ़िल्अस्माये वस्सिफ़ात' के पेज नम्बर २६ में फ़रमाया, जिसकी इबारत यह हैः

हम इस मक़ाले को दो बातों पर ख़त्म कर रहे हैंः उनमें से एक यह है कि अल्लाह तआला का यह फ़रमान ﴿**وَقُولُوا حِطَّةٌ**﴾ ''कहो हित्ता'' तावील करने वालों के सामने होना चाहिए जो यहूद से कहा था, तो इस श्ब्द में अक्षर 'नून' का इज़ाफ़ा करके कहा **(حِنْطَةٌ)** 'हिन्ता' तो अल्लाह तआला ने इस इज़ाफ़ा को फेर-बदल क़रार देते हुए सूरह बक़रह में इर्शाद फ़रमायाः

﴿فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ﴾ [سورة البقرة: ٥٩]

''फिर उन ज़ालिमों ने उस बात को जो उनसे कही गई थी बदल डाली, हमने भी उन ज़ालिमों पर उनके फ़िस्क़ व नाफ़रमानी की वजह से आस्मानी अ़ज़ाब नाज़िल किया।'' (सूरह अल्-बक़रहः ५६)

इसी तरह तावील करने वालों से कहा गया 'इस्तवा' तो उन्होंने अक्षर 'लाम' का इज़ाफ़ा करके 'इस्तौला' कहा। तो देखिये कि इनके लाम का इज़ाफ़ा करना यहूद के नून के इज़ाफ़ा करने के मानिंद (तरह) है। (इब्नुल क़ैयिम ने इसका उल्लेख किया है)

३- अल्लाह तआला ने चंद सिफ़तों को अपने लिए ख़ास कर लिया है, जिन में उसके सृष्टि में से कोई शरीक नहीं हो सकता, जैसे इल्मे ग़ैब (परोक्ष का ज्ञान)। अल्लाह तआला ने अपनी

किताब कुरआन में फ़रमायाः

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَ﴾ [سورة الأنعام: ٥٩]

''और उसी के पास हैं ग़ैब की कुंजियाँ, उनको कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के।'' (सूरह अल्-अनआमः ५६)

लेकिन कभी कभी अल्लाह तआला अपने रसूलों को वह्य के ज़रीये कुछ ग़ैबी चीज़ें जब वह चाहता है बता देता है। अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿عَـٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرۡتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾ [سورة الجن: ٢٦-٢٧]

''वह ग़ैब का जानने वाला है और अपने ग़ैब पर किसी को मुत्तलअ़ (अवगत) नहीं करता, सिवाय उस पैग़म्बर के जिसे वह पसंद कर ले।'' (सूरह अल्-जिन्नः २६,२७)

क़सीदतुल बुर्दा में बूसीरी का रसूल ﷺ के बारे में यह क़ौल कुफ़्र और गुमराही में से हैः

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتِهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوحِ وَالْقَلَم

अर्थः निश्चय आपके करम से हैं दुनिया और उसकी हम मिस्ल चीज़ें और आपके इल्म में से है लौह और क़लम का इल्म।

(बूसैरी का रसूल ﷺ के बारे में यह क़ौल कुफ़्र और गुमराही में से है) इस लिए कि दुनिया और आख़िरत अल्लाह तआला की सृष्टि और उसके करम से है, न कि मुहम्मद ﷺ की सृष्टि और उनके करम से है, जैसाकि शायर ने दावा किया है। अल्लाह तआला ने फ़रमायाः

﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ﴾ [سورة الليل: ١٣]

''और हमारे ही हाथ आख़िरत और दुनिया है।'' (सूरह अल्लैलः १३)

बेशक रसूल ﷺ नहीं जानते हैं उन चीज़ों को जो लौहे मह्फ़ूज़ में हैं और न उन चीज़ों को जो क़लम ने लिखा है, क्योंकि यह उन ग़ैबी उमुर (विषयों) में से हैं जिनका इल्म सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं है, जैसाकि क़ुरआन ने इसका ज़िक्र कियाः

﴿قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ﴾ [سورة النمل: ٦٥]

''कह दीजिये कि आस्मानों वालों में से और ज़मीन वालों में से सिवाय अल्लाह के कोई ग़ैब नहीं जानता।'' (सूरह अन्नम्ल्: ६५)

और अगर नबियों को ग़ैब का इल्म नहीं तो फिर वलियों को ग़ैब का इल्म कैसे हो सकता है, न उन्हें मुत्लक़ ग़ैब का इल्म है और न उस ग़ैब का इल्म है जिससे अल्लाह तआ़ला ने वह्य के ज़रीया अपने रसूलों को मुत्तलअ़ (अवगत) किया है। क्योंकि औलिया पर वह्य नाज़िल नहीं होती, वह्य तो नबियों तथा रसूलों के साथ ख़ास है। अतः लोगों में से जिसने इल्मे ग़ैब का दावा किया और लोगों में से जिसने उसकी तस्दीक़ किया उसने अपना ईमान तोड़ दिया। नबी ﷺ ने फ़रमायाः ((जो किसी काहिन (ज्योतिष) या नुजूमी के पास आया और वह जो कहे उसकी तस्दीक़ किया तो उसने उस चीज़ का कुफ़्र किया जो मुहम्मद ﷺ पर उतारा गया है।)) (सहीह, अहमद)

इस तरह के काहिनों और दज्जालों की बताई हुई ख़बरें अनुमान, इत्तिफ़ाक़ात और शैतान के वसूवसे के बेस पर है। अगर वे सच्चे होते तो हमें यहूद के भेदों से बाख़बर करते और ज़मीन

के ख़ज़ाने निकाल लेते, लेकिन जब वह मुहताज हुए तो वह बातिल तरीक़े से लोगों के माल खाने लगे।

ईमान से ख़ारिज करने वाली चीज़ों में से रसूलों के बारे में ताना बाज़ी करना है

चौथी क़िस्मः ईमान से निकालने वाली चीज़ों में रसूलों में से किसी भी रसूल को इंकार करना या उनके बारे में ताना ज़नी करना है। और इसके चंद प्रकार हैं:

१- मुहम्मद ﷺ की रिसालत का इंकार करना, क्योंकि 'इस बात की गवाही देना कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं' इस्लाम के अर्कान में से है।

२- अल्लाह के रसूल ﷺ को, उनकी सदाक़त (सच्चाई) में, उनकी अमानतदारी में, या उनकी पाक दामनी में ताना ज़नी करना अथवा रसूल को गाली देना, उनका मज़ाक़ उड़ाना, उन्हें हक़ीर समझना या उनके साबित तसर्रुफ़ात (प्रमाणित अधिकारों) में ताना बाज़ी करना।

३- आप ﷺ की सहीह हदीसों में ताना बाज़ी (कटाक्ष) करना या उनको झुटलाना अथवा उन साबित ख़बरों का इंकार करना जिनकी ख़बर आप ﷺ ने दी है, जैसे दज्जाल का आना या आप ﷺ की शरीअ़त पर फ़ैसला करने के लिए ईसा अ़लैहिस्सलाम का नाज़िल होना वग़ैरह जो क़ुरआन या सहीह सुन्नत से साबित है।

४- मुहम्मद ﷺ से पहले अल्लाह तआ़ला ने जिन रसूलों को भेजा उनमें से किसी का इंकार करना अथवा क़ुरआन या सहीह हदीसों में बयान किये गये उन रसूलों और उनकी क़ौमों के बीच

हुये घटनाओं का इंकार करना।

५- मुहम्मद ﷺ के बाद नबूअत का दावा करना, जैसाकि गुलाम अहमद क़ादियानी ने नबूअत का दावा किया था। क़ुरआन ने ऐसे को झुटलाते हुये कहाः

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ﴾ [سورة الأحزاب: ٤٠]

''तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप मुहम्मद (ﷺ) नहीं, लेकिन आप अल्लाह तआ़ला के रसूल हैं और तमाम नबियों के ख़त्म करने वाले।'' (सूरह अल्-अह्ज़ाबः ४०)

और रसूल ﷺ फ़रमाते हैंः ((मैं आख़िर में आने वाला हूँ, जिसके बाद कोई नबी नहीं आयेगा।'' (बुख़ारी व मुस्लिम)

और जो तस्दीक़ करेगा कि मुहम्मद ﷺ के बाद कोई नबी है चाहे वह क़ादियानी हो या कोई दूसरा तो वह काफ़िर हो जायेगा और ईमान के दायेरा से निकल जायेगा।

६- रसूलुल्लाह ﷺ को ऐसी सिफ़तों से मुत्तसिफ़ (ऐसी विशेषताओं से विशेषित) करना जो अल्लाह के लिए ख़ास हैं, जैसे सूफ़ी लोग कहते हैं कि आप ﷺ को मुत्लक़ ग़ैब (साधारण परोक्ष) का ज्ञान है, यहाँ तक कि उनके शायर ने कहाः

يَا عَلاَّمَ الْغُيُوبِ يَا شِفَاءَ الْقُلُوبِ

قَدْ لَجَأْنَا إلَيْكَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ

अर्थः ऐ ग़ैब के जानने वाले! ऐ दिलों की शिफ़ा! हमने आपको अपना मल्जा (जाये पनाह/आश्रय स्थल) बनाया है, आप पर दुरूद नाज़िल हो।

७- रसूलुल्लाह ﷺ से ऐसी चीज़ें तलब करना जिनकी कुदरत सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं है, जैसे मदद और शिफ़ा वग़ैरह तलब करना। और यह आज के बहुत से मुसलमानों की हालत है, ख़ासकर सूफ़ियों की, यहाँ तक कि उनके शायर बूसीरी ने कहः

وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُول الله نُصْرَتُهُ

إنْ تَلْقَهُ الْأسَدُ فِي آجَامِهَا تَهم

مَا سَامَنِي الدَّهْرُ ضَيْمًا وَاسْتَجَرْتُ بِهِ

إلاَّ وَنِلْتُ جِوَارًا مِنْهُ لَمْ يُضَمْ

अर्थः ऐसे शख़्स का क्या कहना जिसके साथ रसूलुल्लाह की नुसरत व मदद हो, अगर झाड़ियों में शेर का उससे मुड भेड़ हो जाये तो बकरी की तरह सहम जाता है। जब कभी भी ज़माने ने मुझ से जुल्म का सौदा किया और मैं ने उनसे पनाह तलब की हो तो फ़ौरन (तुरंत) ऐसा पनाह देने वाला पाया जो दुसरों की तरफ़ भेजने वाला नहीं (बल्कि खुद ही मदद फ़रमाई)।

जब रसूलुल्लाह ﷺ के बारे में यह अक़ीदा रखना शिर्क है और कुरआन की इस घोषणा के मुख़लिफ़ हैः

﴿وَمَا ٱلنَّصۡرُ إِلَّا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ﴾ [سورة الأنفال: ١٠]

''और मदद सिर्फ़ अल्लाह ही की तरफ़ से है।'' (सूरह अल्-अन्फ़ालः १०) और आप ﷺ के इस फ़रमान के मुख़ालिफ़ हैः ((जब मांगो तो अल्लाह से मांगो और जब मदद तलब करो तो अल्लाह से मदद तलब करो।)) (इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया और हसन सहीह कहा)

तो भला बताइये कि उनका क्या हुक्म होगा जो औलिया

के बारे में कहते हैं कि वे ग़ैब जानते हैं या उनके लिए नज़्र मानते हैं या उनके लिए ज़बह करते हैं या उनसे वह चिज़ तलब करते हैं जो सिवाय अल्लाह के किसी और से तलब नहीं की जाती जैसे रोज़ी, शिफ़ा या मदद इत्यादि तलब करना?!! कोई संदेह नहीं कि यह शिर्के अक्बर (बड़े शिर्क) में से है।

८- हम रसूलों के चमत्कार (मोजेज़े) और औलिया के करामतों का इंकार नहीं करते, लेकिन वह चीज़ जिसका हम इंकार करते हैं वह यह है कि हम उन्हें अल्लाह का शरीक बनाकर पुकारें जिस तरह अल्लाह को पुकारते हैं या उनके लिए ज़बह करें या उनके लिए नज़्र मानें।

यहाँ तक कि इस क़िस्म के कथित वलियों की क़ब्रों पर दौलत के ढेर लग जाते हैं जिसे मुजाविरीन ओर गद्दी नशीन लोग आपस में बाँट लेते हैं और उसे बातिल तरीक़े से खाते हैं, हालाँकि कितने ऐसे फ़क़ीर हैं जिन्हें एक दिन का खाना नसीब नहीं होता। शायर ने क्या ही ख़ूब कहा हैः

أَحْيَاؤُنَا لاَ يُرْزَقُونَ بِدِرْهَمٍ   وَبِأَلْفِ أَلْفٍ تُرْزَقُ الْأَمْوَاتُ

अर्थः हमारे ज़िंदों को एक दिरहम भी नसीब नहीं होता, जबकि मुर्दों पर लाखों निछावर कर दिये जाते हैं।

बेशक बहुत से दरगाहें, मज़ारात और क़ब्रें ऐसे भी हैं जिनकी कोई हक़ीक़त नहीं है, बल्कि ये दज्जालों तथा हीले बाज़ों की पैदावार है ताकि वे नज़्र व नियाज़ के नाम से आने वाले माल इकळा करें। इसकी दलील के तौर दो घटना उल्लेख करते हैंः

१- मेरे एक साथी उस्ताद का कहना है कि सूफ़ियों का एक पीर अपनी माँ के पास आया और उससे एक ख़ास सड़क पर एक हरा झंडा लगाने के लिए पैसा मांगा ताकि लोगों को मालूम हो

कि यहाँ किसी अललाह के वली को दफ़न किया गया है। माँ ने उसे कुछ पैसे दे दिये जिससे उसने हरा कपड़ा ख़रीदा और झंडा लगा दिया और लोगों से कहने लगा कि यहाँ अल्लाह का वली दफ़न है, जिसे मुझे स्वप्न (ख़्वाब) में दिखाया गया है। इस तरह से उसने लोगों को चक्कर देकर माल इकळा करना शुरू कर दिया। फिर जब हुकूमत ने सड़क चौड़ा करने के लिए क़ब्र वहाँ से हटानी चाही तो उस पीर ने यह अफ़वाह फैला दी कि जिस मशीन से क़ब्र गिराने की कोशिश की गई वह मशीन टूट गई। कुछ लोगों ने इस अफ़वाह को सच मान लिया और यह अफ़वाह आ़म हो गई, जिसके कारण हुकूमत क़ब्र न खोदने पर मजबूर हो गई। उस मुल्क के मुफ़्ती साहब ने मुझे बताया कि हुकूमत ने मुझे आधी रात के समय क़ब्र के पास बुलाया (ताकि उस क़ब्र की सच्चाई मालुम हो जाये) फ़रमाते हैं कि जब मशीनों और क्रेन से उसकी खोदाई की गई तो मुफ़्ती साहब ने क़ब्र के अंदर देखा तो वह बिल्कुल ख़ाली थी जिससे यह पता चला कि यह सब झूठ और फ्राड था।

२- हरम के एक अध्यापक (मुदर्रिस) ने सुनाया कि दो फ़क़ीर आपस में मिले और एक दुसरे से अपनी ग़रीबी की शिकायत की। उनकी नज़र एक वली की क़ब्र पर पड़ी जिस पर माल का ढेर था। यह देखकर उनमें से एक फ़क़ीर ने कहाः क्यों न हम भी कोई क़ब्र खोद कर किसी वली को दफ़न कर दें ताकि हमें भी माल व दौलत मिलने लगे। दूसरे फ़क़ीर ने इस पर रज़ामंदी (सहमति) ज़ाहिर की और दोनों चल पड़े, रास्ते में उन्हें एक चीख़ता हुआ गधा दिखाई दिया। उन्होंने उसे पकड़ कर ज़बह कर दिया और एक गढ़े में रख दिया और उस पर क़ब्र तथा क़ुब्बा बना दिया। फिर उससे तबर्रुक हासिल करने के लिए दोनों उस पर

लोटने लगे। जब कुछ आने-जाने वालों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ हुबैश बिन तुबैश नाम के एक वली दफ़न हैं, जिनकी करामतें बयान से बाहर हैं। लोग इन फ़क़ीरों की बातों से धोखा खा गये ओर उन्होंने उस पर नज़्र व नियाज़ पेश करने और चढ़ावे चढ़ाना शुरू कर दिया। जब काफ़ी माल इकळा हो गया तो उन फ़क़ीरों का उसके बँटवारे को लेकर मतभेद हो गया। पस वे आपस में झगड़ने लगे तो राहगीर इकळे हो गये। दोनों फ़क़ीरों में से एक ने कहाः मैं इस क़ब्र वाले वली की क़सम खाता हूँ कि मैं ने तुम से कुछ भी नहीं लिया। दूसरे ने कहाः तुम उसके वली होने की कैसे क़सम खाते हो जबकि हम दोनों को मालूम है कि हमने तो यहाँ गधा दफ़न किया है। लोग उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्य चकित रह गये और उन्हें बुरा भला कहते हुये तथा डाँटते हुये अपने नज़्र व नियाज़ के माल वापस ले गये।

कुफ़्र तक पहुँचाने वाले कुछ बातिल अ़क़ीदे

१- यह अ़क़ीदा रखना कि अल्लाह तआ़ला ने दुनिया मुहम्मद ﷺ की वजह से पैदा की है, जिसकी बुनियाद एक मनघड़ंत हदीस को बनाया जाता है कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः {अगर तुम न होते तो मैं दुनिया पैदा न करता।} (इब्नुल जौज़ी ने कहा कि यह हदीस मौज़ूअ़ (मनघड़ंत) है)

और बुसीरी ने क्या ही झूठ घड़ा है जब उसने कहाः

وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةَ مَنْ لَوْ لاَهُ لَمْ تُخْلَق الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ

अर्थः तुम्हें कैसे दुनिया की ज़रूरत पेश आ सकती है, अगर तुम न होते तो दुनिया अ़दम से वुजूद में न आती।

क्योंकि इस क़िस्म का अ़क़ीदा अल्लाह तआ़ला के इस फ़रमान के मुख़ालिफ़ हैः

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [سورة الذاريات: ٥٦]

''मैं ने जिन्न और इंसान को केवल अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।'' (सूरह अज़्ज़ारियातः ५६) यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला ने मुहम्मद ﷺ को भी अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। फ़रमाया अल्लाह तआ़ला नेः

﴿وَٱعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ﴾ [سورة الحجر: ٩٩]

''और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको मौत आ जाये।'' (सूरह अल्-हिज्रः ९९)

और अल्लाह तआ़ला ने सारे रसूलों को अपनी इबादत की तरफ़ बुलाने के लिए पैदा किया, जैसाकि फ़रमायाः

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ

ٱلطَّٰغُوتَ﴾ [سورة النحل: ٣٦]

''हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि (लोगो!) सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा तमाम मअ्बूदों से बचो।'' (सूरह अन्नह्ल्: ३६)

(ये सभी चीज़ें मालूम हो जाने के बाद) एक मुसलमान के लिए कैसे जायज़ हो सकता है कि वह क़ुरआने करीम और सैयदुल मुर्सलीन (रसूलों के सर्दार मुहम्मद) ﷺ के तरीक़े के ख़िलाफ़ अक़ीदा अपनाये?!!

२- यह कहना कि अल्लाह तआला ने सबसे पहले मुहम्मद ﷺ के नूर को पैदा किया और उनके नूर से दूसरी चीज़ें पैदा की गईं। यह अक़ीदा बातिल है इस पर कोई दलील नहीं है। ताज्जुब यह है कि इस क़िस्म की बातों का बयान मिस्र के एक मशहूर आ़लिम मुहम्मद मुतवल्ली शअ्रावी ने अपनी किताब 'अन्त तस्अलु वल्इस्लामु युजीब' में किया है। उसमें उन्होंने (अन्नूरुल मुहम्मदी व बिदायतुल ख़लीक़ा) के उनवान यानी हीडिंग तहत ज़िक्र किया हैः

सवालः हदीस में आया है कि जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा कि अल्लाह तआ़ला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया? आपने फ़रमायाः {ऐ जाबिर! तेरे नबी का नूर।} इस हदीस को इसके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है कि सबसे पहली मख़लूक़ आदम अलैहिस्सलाम हैं और उन्हें मिट्टी से पैदा किया गया है?

जवाबः मुत्लक़ कमाल और फ़ित्रत की यही माँग है कि पहले सबसे अच्छी चीज़ पैदा की जाये फिर उससे कम्तर चीज़। यह माक़ूल बात नहीं कि पहले तो मिट्टी का माद्दा पैदा किया जाये

फिर उससे मुहम्मद ﷺ को पैदा किया जाये, क्योंकि इंसानों में सबसे बेहतर अम्बिया व रुसुल हैं और रसूलों में सबसे अफ़ज़ल मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह हैं। अतएव यह सहीह नहीं कि माद्दा पैदा किया जाये फिर उससे मुहम्मद ﷺ पैदा किये जायें, इसलिए सबसे पहले नूरे मुहम्मदी का पाया जाना ज़रूरी है, और नूरे मुहम्मदी से दूसरी चीज़ें वुजूद में आयें, और जाबिर की हदीस इसकी सच्ची मिसाल है। और यह वह इल्म (ज्ञान) है जो इन अर्थों को निश्चित (तकीद) करता है कि पहले नूर पैदा किया गया फिर उससे माद्दे बनाये गये ---। (पृष्ठ ३८)

शअ़्रावी का यह जवाब निम्नलिखित वुजूहात (कारणों) से मरदूद है

१- शअ़्रावी का कलाम सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम की सृष्टि के बारे में अल्लाह तआ़ला के इस फ़रमान के मुख़ालिफ़ है:

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى خَـٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ [سورة ص: ٧١]

''जबकि तेरे रब ने फ़रिश्तों से इर्शाद फ़रमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ।'' (सूरह स्वादः ७१) और अल्लाह तआ़ला के इस फ़रमान के भी मुख़ालिफ़ है:

﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ﴾ [سورة غافر: ٦٧]

''वह वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से फिर नुत्फ़ा से---पैदा किया।'' (सूरह ग़ाफ़िरः ६७)

इब्ने जरीर तबरी ने कहाः तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी से पैदा किया फिर तुम्हें नुत्फ़ा से पैदा किया।

इसी तरह शअ्रावी की यह बात उस हदीस के भी मुख़ालिफ़ है जिसमें आप ﷺ ने फ़रमायाः ((तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किये गये।)) (इसे बज़्ज़ार ने रिवायत किया है और अल्बानी ने सहीहुल जामेअ् में सहीह क़रार दिया है ४४४४)

२- शअ्रावी कहते हैं कि 'फ़ित्रत की यह माँग है कि पहले सबसे अच्छी चीज़ पैदा की जाये फिर उससे कम्तर चीज़।' क़ुरआन ने इस फ़ल्सफ़ा को रद्द (खंडन) किया जब इब्लीस ने आदम को सज्दा करने से इंकार किया

﴿قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ﴾ [سورة ص: ٧٦]

''कहा कि मैं उससे बेहतर हुँ, तु ने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया।'' (सूरह स्वादः ७६)

इब्ने कसीर ने कहाः उसने दावा किया कि वह आदम से बेहतर है, क्योंकि वह आग से पैदा किया गया और आदम मिट्टी से पैदा किये गये, और उसके गुमान में आग मिट्टी से बेहतर है।

और इब्ने जरीर तबरी ने कहाः इब्लीस ने अपने रब से कहाः मैं आदम को सज्दा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उससे श्रेष्ठ हुँ, इस लिए कि तु ने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया और आग मिट्टी को खा जाती है और जला देती है, अतः आग मिट्टी से बेहतर है और मैं उससे बेहतर हूँ।

बल्कि अ़क्ल का तक़ाज़ा है कि पहले मिट्टी के माद्दा को पैदा किया जाये फिर उसके बाद उससे मुहम्मद ﷺ को पैदा किया जाये। और यह कि पहले माद्दा पैदा किया गया और वह है मिट्टी जिससे आदम पैदा किये गये, और मुहम्मद ﷺ आदम की नस्ल तथा उनकी औलाद में से हैं, जैसाकि आप ﷺ ने फ़रमायाः ((मैं आदम की औलाद का सर्दार हूँ।)) (मुस्लिम)

३- शअ़्रावी कहते हैं कि 'सबसे पहले नूरे मुहम्मदी का पाया जाना ज़रूरी है' यह ऐसी बात है जिसकी कोई दलील नहीं है, बल्कि क़ुरआन से साबित है कि इंसानों में सबसे पहले आदम -जैसे पहले गुज़र चुका- और दूसरी मख़लूक़ों में अ़र्श के बाद सबसे पहले क़लम बनाया गया, जैसाकि आप ﷺ ने फ़रमायाः ((सबसे पहले अल्लाह ने क़लम को पैदा किया।)) (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और अल्बानी ने सहीह क़रार दिया है)

और नूरे मुहम्मदी का नक़्ल (क़ुरआन व सुन्नत) और अ़क़्ल में कोई अस्तित्व (वुजूद) ही नहीं है। क़ुरआन अल्लाह के रसूल ﷺ को हुक्म दे रहा है कि वह लोगों से कहेंः

﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ﴾ [سورة الكهف: ١١٠]

''आप कह दीजिये कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ, (हाँ) मेरी तरफ़ वह्य की जाती है कि सबका मअ़्बूद सिर्फ़ एक ही मअ़्बूद है।'' (सूरह अल्-कह्फ़ः ११०)

और रसूलूल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः ((मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ।)) (इसे अहमद ने रिवायत किया है और अल्बानी ने सहीहुल जामेअ़् में सहीह क़रार दिया है २३३७)

और यह मारूफ़ (विदित) बात है कि आप ﷺ अपने पिता-माता अ़ब्दुल्लाह और आमिना बिन्ते वहब से ऐसे ही जनम लिए जैसे दूसरे इंसान जनम लेते हैं, फिर आपके दादा अ़ब्दुल मुत्तलिब ने फिर चचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश (पालन-पोषण) की।

प्रमाणित (साबित) है कि इंसानों में सबसे पहले आदम

और दूसरी मख़लूक़ों में सबसे पहले क़लम बनाया गया। और इससे खुले तौर पर उनका खंडन तथा रद्द होता है जो कहते हैं कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह तआला की पहली सृष्टि है, क्योंकि यह कुरआन और गुज़री हुई सहीह हदीस के मुख़ालिफ़ है। लेकिन एक हदीस आई है जो बयान करती है कि आदम से पहले अल्लाह के पास रसूल ﷺ का आख़िरी नबी होना लिखा हुआ था। और वह हदीस यह है, आप ﷺ ने फ़रमायाः ((बेशक मैं उस वक़्त अल्लाह के पास ख़ातमुन्नबीयीन (नबियों में आख़िरी नबी) लिखा हुआ था जब आदम गूँधी हुई मिट्टी में लतपत थे।)) (इसे हाकिम ने सहीह क़रार दिया और ज़हबी ने उनकी मुवाफ़क़त की और अल्बानी ने सहीह क़रार दिया है)

इस हदीस में है 'मक्तुब यानी लिखा हुआ था' उसमें 'मख़्लूक़ यानी पैदा किया गया था' नहीं है।

इसी तरह एक दूसरी हदीस है, आप ﷺ ने फ़रमायाः ((मैं नबी (लिख दिया गया) था इस हाल में कि आदम रूह और जसद (शरीर) की बीचली हालत में थे।)) (अहमद ने अस्सून्नह में इसे रिवायत किया है और अल्बानी ने सहीह क़रार दिया है)

अल्बत्ता वह हदीस जिसमें है कि ((मैं नबियों में सबसे पहले पैदा होने वाला और सबसे आख़िर में मबूऊ़स होने वाला (भेजा जाने वाला) हूँ।)) तो इसे इब्ने कसीर, मुनावी और अल्बानी ने ज़ईफ़ क़रार दिया है।

यह हदीस कुरआन तथा गुज़री हुई सहीह हदीसों के मुख़ालिफ़ होने के साथ साथ अ़क्ल और हिस्स (अनुभव) के भी मुख़ालिफ़ है, क्योंकि आदम अ़लैहिस्सलाम से पहले कोई बशर पैदा नहीं किया गया।

४- शअ़रावी कहते हैं कि 'दूसरी चीज़ें नूरे मुहम्मदी से पैदा हुईं।' (इसका खंडन इस तरह से होता है कि) चीज़ों में आदम,

शैतान, इंसान, जिन्न, हैवानात, किटाणु और जरासीम आदि शामिल हैं, और यह कुरआन में जो आया है उसके मुख़ालिफ़ है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किये गये, शैतान आग से पैदा किया गया और इंसान नुत्फ़ा से पैदा किये गये। और शअ्रावी का कलाम आप ﷺ के इस फ़रमान ((फ़रिश्ते नूर से पैदा किये गये, जिन्नात आग के शोले से पैदा किये गये और आदम उस चीज़ से जिसका वस्फ़ (गुण) तुम से बयान किया गया (यानी मिट्टी से) पैदा किये गये।)) के मुख़ालिफ़ है।

इसी तरह यह अक़्ल, हिस्स (अनुभव) और वास्तव के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इंसान और हैवान तनासुल और तवालुद (एक दूसरे से पैदा होने) के तरीक़ से पैदा हुये हैं। और जब नुक़्सान पहुँचाने वाले जरासीम तथा तक्लीफ़ देने वाले किटाणु चीज़ें हैं जो मुहम्मद ﷺ के नूर से पैदा किये गये हैं, तब फिर हम उन्हें क्यों क़त्ल करेंगे? हालाँकि हमें उनको -जैसे साँप, अज़दहा, मख्खी, मच्छर और गिरगिट- उनके हानि के कारण मारने का हुक्म दिया गया है।

५- शअ्रावी ने हज़रत जाबिर ﷺ की ओर मंसूब जिस हदीस {ऐ जाबिर! अल्लाह तआ़ला ने सबसे पहले तेरे नबी का नूर पैदा किया।} दलील बनाकर पेश किया है वह रसूलुल्लाह ﷺ पर घड़ा हुआ झूट है, इसलिए वह शअ्रावी के दावे की दलील नहीं बन सकती। क्योंकि वह कुरआने करीम का मुख़ालिफ़ है जो बता रहा है कि इंसानों में सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम हैं और चीज़ों में सबसे पहली चीज़ क़लम है, और मुहम्मद ﷺ आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं जो नुर से नहीं पैदा किये गये, बल्कि कुरआन की ज़ुबानी वह हमारी ही तरह इंसान हैं, अल्लाह

तआला ने उन्हें वह्य और नबूअत से नवाज़ा है, लोगों ने उन्हें नूर नहीं समझा बल्कि इंसान ही समझा।

और जिस हदीस को शअ्रावी ने अपनी बात की समर्थन में पेश किया है वह मुहद्दिसीन के नज़दीक झूठी, मनघड़ंत और बातिल है।

३- बातिल अक़ीदों में से कुछ सूफ़ियों का यह कथन भी है कि सारी चीज़ों को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा किया है। शअ्रावी ने इस अक़ीदे को वाज़िह तौर पर अपनी किताब 'अनूत तस्अलु वलूइस्लामु युजबि' में लिखते हुए कहाः जब हमको मालूम हो गया कि अल्लाह ने तमाम चीज़ें अपने नूर से पैदा कीं, और यह सहीह है। फिर कहाः जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने चीज़ों को अपने नूर से पैदा फ़रमाया तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके नूर की किरण से सारे माद्दे पैदा किये गये।

मैं कहता हूँ कि यह भी ऐसी बात है जिस पर कुरआन, सुन्नत तथा अक़्ल से कोई दलील नहीं है। और इससे पहले बात गुज़र चुकी है कि अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से, शैतान को आग से और इंसान को नुत्फ़ा से पैदा फ़रमाया है। और यह शअ्रावी के कलाम को रद्द करती है और उसे बातिल क़रार देती है। फिर यह कि शअ्रावी की यह बातें आपस में टकराती हैं, क्योंकि उसने कहा -जैसाकि पहले गुज़र चुका है- कि सारी चीज़ें नूरे मुहम्मदी से पैदा की गई हैं और यहाँ कह रहा है कि अल्लाह तआला ने सारी चीज़ों को अपने नूर से पैदा फ़रमाया है! हालाँकि अल्लाह तआला के नूर और नूरे मुहम्मदी में बहुत अन्तर है। फिर यह कि अल्लाह के नूर से पैदा होने वाली चीज़ों में साँप, बिच्छू, बंदर, सूअर और जरासीम वग़ैरह शामिल हैं। और

अगर बात ऐसी है तो फिर हम तक्लीफ़ पहुँचाने वाले जानवरों को क्यों मारते हैं?!

दीन नसीहत है

मेरे मुस्लिम भाई! -अल्लाह हमें और आपको हिदायत नसीब फ़रमाये- सूफ़ियों के इन बातिल अक़ीदों से सावधान रहें, क्योंकि ये क़ुरआन, सैयदुल मुर्सलीन (रसूलों के सरदार) ﷺ, अ़क़्ल और हिस्स (अनुभव) के मुख़ालिफ़ हैं और कुफ़्र तक पहुँचा देते हैं।

या अल्लाह! तू हमें हक़ को हक़ दिखा और उसकी इत्तिबाअ़ (अनुसरण) करने की तौफ़क़ दे तथा उसे हमारे नज़दीक महबूब कर दे। ओर तू हमें बातिल को बातिल दिखा और उससे परहेज़ करने की तौफ़ीक़ दे तथा उसे हमारे नज़दीक नापसंदीदा कर दे और रसूल ﷺ के तरीक़े की इत्तिबाअ़ (अनुसरण) करने की तौफ़क़ दे।

इलाही तू ही मेरा मददगार है

إلَـهِـي لَـيْـسَ لِـي إلاَّكَ عَــوْنٌ   فَـكُـنْ عَـوْنِي عَلَى هَـذَا الـزَّمَـانِ
إلَـهِـي لَـيْـسَ لِـي إلاَّكَ ذُخْـرٌ   فَـكُـنْ ذُخْـرِي إذَا خَـلَـتِ الْـيَـدَانِ
إلَـهِـي لَـيْـسَ لِـي إلاَّكَ حِـصْـنٌ   فَـكُـنْ حِـصْـنِـي إذَا رَامٍ رَمَـانِـي
إلَـهِـي لَـيْـسَ لِـي إلاَّكَ جَـاهٌ   فَـكُـنْ جَـاهِـي إذَا هَـاجٍ هَـجَـانِـي
إلَـهِـي أنْـتَ تَـعْـلَـمُ مَـا بِـنَـفْـسِـي   وَتَـعْـلَـمُ مَـا يَـجِـيـشُ بِـهِ جَـنَـانِـي
فَـهَـبْ لِـي يَـا رَحِـيـمُ رِضًـا وَحِـلْـمًـا   إذْ مَـا زَلَّ قَـلْـبِـي أوْ لِـسَـانِـي
إلَـهِـي لَـيْـسَ لِـي إلاَّكَ عِـزٌّ   كُـنْ عِـزِّي وَكُـنْ حِـصْـنَ الْأمَـانِـي

इलाही! तेरे सिवा मेरा कोई मददगार नहीं, पस तू इस ज़माने पर मेरी मदद फ़रमा।
इलाही! तेरे सिवा मेरा कोई ख़ज़ाना नहीं, पस तू मेरा ख़ज़ाना बन जा जब दोनों हाथ ख़ाली हो जाये।
इलाही! तेरे सिवा मेरा कोई क़िला (दूर्ग) नहीं, पस तू मेरा दूर्ग बन जब तुहमत लगाने वाले मेरे ऊपर तुहमत लगाये।
इलाही! तेरे सिवा नहीं है कोई मेरी जाह व हश्मत, पस तू मेरी जाह व हश्मत बन जा जब हजो (निंदा) करने वाले मेरी हजो करे।
इलाही! तू जानता जो मेरे दिल में है, और तू जानता है मेरा सीना क्यों जोश मार रहा है।
ऐ रहीम (दयावान)! मुझे रज़ामंदी और बुर्दबारी अता फ़रमा, जब मेरा दिल या मेरी ज़ुबान फिसल जाये।
इलाही! तेरे सिवा मेरी कोई इ़ज़्ज़त नहीं, पस तू मेरी इ़ज़्ज़त बन जा और मेरी आर्ज़ुओं का दूर्ग बन जा।